लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VI में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 14 शुक्रवार, 14 जुलाई, 1967/23 आषाढ, 1889 (शक)

No. 14–Friday, July 14, 1967/Asadha 23, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
1141	ट्रैक्टर बनाने के कारखाने	Tractor Factories	5361–5364
1142	भिलाई इस्पात कारखाने में रेल की पटरियों का निर्माण	Manufacture of Rails in Bhilai Steel Plant ..	5364–5367
1143	फरीदाबाद में "नैपको" फर्म	Napco, Faridabad	5367–5370
1144	आयातित रुई पर कर	Tax on Imoprted Cotton	5370-5373
1145	बिहार से कोयला	Coal from Bihar	5373–5376
1146	इस्पात प्राथमिकता समिति	Steel Priority Committee	5376–5377
अल्प सूचना प्रश्न/ S. N.Question.			
30	अदन में भारतीय लोग	Indians in Aden	5377–5385
प्रश्नों के लिखित उत्तर /		WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या/S.Q. Nos			
1147	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters	5385–5386
1148	बांसपानी–नयागढ़ रेलवे लाइन	Banaspani Nayagarh Railway line.. ...	5386–5387
1149	बम्बई के आयातकों द्वारा सिले सिलाये कपड़ों का आयात	Imports of Garments by Bombay Importers ... —	5387
1150	बिहार में खनिज पदार्थों को निकालना	Exploitation of Minerals in Bihar	5387–5388

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1151	इस्पात की उत्पादन लागत सम्बन्धी महताब समिति	Mahatab Committee on Production Cost of Steel	5388
1152	महाराष्ट्र में विद्युत चालित करघे	Powerlooms in Maharashtra	5388–5389
1154	राज्य व्यापार निगम	State Trading Corporation	5389
1155	गैर-सरकारी पूंजी को कारोबार में लगाना	Investment of Private Capital	5389
1156	रेलवे सुरक्षा आयोग	Railway Safety Commission	5390
1157	कॉफी का निर्यात	Export of Coffee	5390
1158	विनियंत्रण के पश्चात् इस्पात उपलब्धता	Availability of Steel after Decontrol	5391
1159	कारों और स्कूटरों के मूल्य	Prices of Cars and Scooters	5391–5392
1160	21-अप बरौनी ऐक्सप्रेस का रोका जाना	Hold up of 21–UP Barauni Express ...	5392
1161	संयुक्त संयंत्र समिति	Joint Plant Committee ...	5393
1162	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal ..	5393–5394
1163	लौह अयस्क खानों से लौह अयस्क निकालना	Exploitation of Iron Ore Mines ..	5394–5395
1164	जापान को कोयले का निर्यात	Export of Coal to Japan ...	5395–5396
1167	बिड़ला ग्रुप की सूती मिलों द्वारा अत्यधिक रुई का स्टाक करना	Over stocking of cotton by Birla Group of Cotton Mills	5396
1168	इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स कलकत्ता	India Electric Works, Calcutta	5396–5397
1169	रोम में 'इंडिया वीक'	India Week in Rome ...	5397–5398
1170	मनुष्यों के बालों का निर्यात	Export of Human Hair	5398

अतारांकित प्रश्न संख्या UNSTARRED QUESTION NOS.

5656	बेबी बायलर	Baby Boilers	5398–5399
5657	रबड़ टायरों के दाम	Prices of Rubber Tyres	5399
5658	महाराष्ट्र राज्य में रेलवे लाइनें	Railway Lines in Maharashtra State ...	5399–5400
5659	गुजरात में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Gujarat... ...	5400–5401
5660	गुजरात राज्य में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Gujarat State ...	5401
5661	गुजरात में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Gujarat	5402
5662	गुजरात में भारी उद्योगों की स्थापना	Location of Heavy Industries in Gujarat –	5402–5403
5663	रेलवे कर्मचारियों के लिये मध्यस्थ	Arbitrators for Railway Officers ..	5403
5664	असिस्टेंट डिविजनल पर्सानल अफसर	Assistant Divisional Personnel Officers ...	5403–5404
5665	खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग	Khadi and Village Industries Commission ..	5404
5666	सिगरेटों का निर्माण	Manufacture of Cigrettes – ...	5404–5406
5668	जालना और खामगांव के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Jalna and Khamgaon	5406–5407
5669	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, लिमिटेड	National Mineral Development Corporation Ltd.	5407
5670	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम में भर्ती	Recruitment in National Mineral Development Corporation	5407–5408
5671	श्रीकाकुलन जिले में कपड़ा बनाने का कारखाना	Textile Factory in Srikakulam District ...	408–5409

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5672	आन्ध्र प्रदेश में पटसन का कारखाना	Jute Factory in Andhra Pradesh	5409
5673	अखबारी कागज बनाने के कारखाने	Newsprint Factories	5409
5674	हावड़ा–रूरकेला ऐक्सप्रेस गाड़ी	Howrah-Rourkela Express	5409–5410
5675	दक्षिण पूर्व रेलवे की पटरियों के दोनों ओर की भूमि	Land on the sides of Railway Tracks on S. E. Railway	5410–5411
5676	ढोलका तथा नाड़ियाद (पश्चिमी रेलवे) के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Dholka and Nadiad (Western Railway)	5411
5677	हीरे तराशने के कारखाने	Diamond Cutting Factories	5411–5412
5678	रेफ्रीजरेटरों का मूल्य	Prices of Refrigerators	5412
5679	घरंगाधरा से कुडा तक बड़ी रेलवे लाइन	B. G. Line from Dhrangadhra to Kuda ...	5412–5413
5680	गुजरात में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Gujarat	5413
5681	पालनपुर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के निकट रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	Over bridge at Level Crossing near Palampur Station (Western Rly.)	5413
5682	डांगरवा तथा अम्बलियासन स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) के बीच फ्लैग स्टेशन	Flag Station between Dangarwa-Ambliyasan Station (Western Rly)	5413–5414
5683	खादी बोर्ड	Khadi Boards	5414
5684	गुजरातमें ऊपरी निचले पुल	Over/Under Bridges in Gujarat	5414
5685	रेयन कारखाने	Rayon Factories	5415
5686	भोपाल को जाने वाली इलाहाबाद यात्री गाड़ी	Bhopal Bound Allahabad Passenger Train	5416

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
5687 सीतलपुर के निकट आसाम मेल रेलगाड़ी की दुर्घटना	Assam Mail accident near Sitalpur ...	5416
5688 रेशम उत्पादन केन्द्र	Sericulture Farms	5416–5417
5689 जापान को इमारती लकड़ी का निर्यात	Export of Timber to Japan — ..	5417–5418
5690 भारत–बैलजियम सहयोग	Indo-Belgium Collaboration	5418–5419
5691 भारत में निर्मित कारों पर कर	Taxes on Cars manufactured in India —	5419
5692 हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन, राँची का हैवी मशीन टूल प्लाँट का तीसरा कारखाना	Third Unit of the Heavy Machine Too Plant of H. E. C., Ranchi	5419–5420
5693 आसाम मेल दुर्घटनायें	Accidents to Assam Mail	5420–5421
5694 निर्यात	Exports ... —	5421
5695 बीजापुर में बागलकोट सीमेंट कम्पनी	Bagalkot Cement Company at Bijapur ...	5421–5422
5696 बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन, लिमिटेड	Bombay Oxygen Corporation Ltd. ...	5422–5423
5697 कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials	5423–5424
5698 रद्दी इस्पात को उपयोग में लाना	Utilisation of Steel scrap ... —	5424
5699 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले	International Trade Fairs	5425
5700 आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Import Licences	5425
5701 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर	Hindustan Machine Tools, Bangalore ...	5425–5426
5702 देश में स्थापित किये गये उद्योग	Industries set up in the country	5426

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.-Contd

5703	मथुरा स्टेशन पर मटर से भरे हुए माल डिब्बों का पकड़ा जाना	Seizure of Wagons loaded with peas at Mathura Station	5426–5427
5704	पंजाब में औद्योगिक परियोजना	Industrial Projects in Punjab	5427
5705	क्षेत्रीय रेलवे अधिकारियों के गोपनीय शीघ्रलिपिक	Zonal Railway Officers, Confidential Stenographers ...	5427
5706	बुधनी रेलवे स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Bhudhani Railway Station	5427–5428
5707	पेरिस में 'इण्डिया फोर्ट-नाइट' प्रदर्शनी	India Fortnight Exhibition in Paris	5428
5708	कलामासेरी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना	H. M. T. Unit at Kalamassery ...	5429
5709	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा देय रायल्टी की रकम	Royalty Payable by N. C. D. C.	5429
5710	रेल गाड़ियों के आने-जाने का समय	Timings of Trains	5430
5711	छात्रों द्वारा जमालपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी का रोका जाना	Detention of Train by Students at Jamalpur Station	5430–5431
5712	राजस्थान में सर्वेक्षण कार्य में लगा हुआ अमरीकी दल	US Team Engaged in Survey work in Rajasthan ...	5431–5432
5713	केन्द्रीय रेशम अनुसंधान संस्था, मैसूर	Central Sericulture Research Institute Mysore	5432
5714	भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार कार्यक्रम	Bhilai Steel Plant Expansion Programme ...	5432–5433

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Page
5715	इलाहाबाद-भुसावल तथा इलाहाबाद-इटारसी रेल गाड़ियों में लगाई जाने वाली बोगियां	Bogies attached to Allahabad-Bhusaval and Allahabad-Itarsi Trains ... —	5433
5716	मद्रास में औद्योगिक मेला	Industries Fair in Madras	5433-5434
5717	रेलवे लोको शैडों के फोरमैनों को भत्ता	Allowance to Foremen in Railway Loco Sheds	5434
5718	स्टेनलैस स्टील	Stainless Steel .. —	5435
5719	मध्य रेलवे के कर्मचारी सघ	Unions on Central Railway	5435
5720	सूरी ट्रांसमिशन वाले इंजन	Locomotives fitted with Suri Transmission..	5436
5721	कोयले का आयात	Import of Coal	5436-5437
5722	चाय बागानों के क्षेत्रों का विस्तार	Extension of area for Tea Cultivation ...	5437
5723	चाय का उत्पादन	Production of Tea	5437-5438
5724	आन्ध्र प्रदेश में हथकरघे से बुने गये कपड़े की बिक्री	Sale of Handloom Cloth in Andhra Pradesh	5438
5725	प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आरक्षित स्थान	Reserved Vacancies in Class I & II ..	5438-5439
5727	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में अप्रयुक्त क्षमता	Idle Capacity in H. E. C, Ranchi ... —	[illegible]3
5728	बियर का उत्पादन	Production of Beer	5439
5729	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात और निर्यात	Imports and Exports through S. T. C. ..	5440
5730	सिलामाइट के निक्षेप	Silamite Deposits	5440
5731	वातानुकूलकों और रेफ्रीजरेटरों का आयात	Import of Air Conditioners and Refrigerators	5440-5441

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

5732 प्रथम श्रेणी के तथा वातानुकूलित डिब्बे	First Class & Air Conditioned Coaches	5441–5442
5733 प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय	First and Third Class Waiting Rooms ...	5442
5735 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर	Hindustan Machine Tools Ltd., Bangalore...	5442–5443
5736 रानाघाट स्टेशन पर गाड़ी का लूटा जाना	Looting of train at Ranaghat Station ...	5443
5737 दिल्ली में गाड़ियों का देर से आना	Late arrival of trains at Delhi ...	5443–5444
5738 नोनेरा स्टेशन (ग्वालियर-भिंड सेक्सन) के निकट रेल दुर्घटना	Accident near Nonera Station (Gwalior Bhind Section)	5444
5739 राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की टोलगारिया परियोजना	Tolgaria Project of N. C. D. C.	5445
5740 मध्य प्रदेश में छोटी लाइनों पर स्टेशन	Stations on N. G. Lines in Madhya Pradesh ..	5445
5741 ग्वालियर-भिंड ट्रेन सेवा	Gwalior-Bhind Train Services ...	5445–5446
5742 मध्य रेलवे यात्री और माल गाड़ियों के साथ लगे हुए डिब्बे	Bogies attached to passenger and Goods trains on Central Railway	5446
5743 खेतरी राजस्थान) में तांबा खनन कार्य	Copper Mining Work in Khetri (Rajasthan)	5
5744 सिगनल वर्कशाप के कर्मचारी	Signal Workshops staff ...	5448
5745 स्टेशन मास्टर प्रशिक्षुओं की नियुक्ति	Employment of Station Masters' Trainees ..	5448–5449
5746 राजमहल स्टेशन	Rajmahal Station –	5449
5747 मैसूर राज्य में रेल लाइनें	Railway Lines in Mysore State	5449–5450

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5748	काडूर-सकलेशपुरा रेलवे लाइन	Kadur-Sakaleshapura Railway Line ..	5450
5749	भुसावल-चालीसगांव और भुसावल-खण्डवा स्टेशनों के बीच शटल गाड़ियां	Shuttle Trains between Bhusaval-Chalisgaon and Bhusaval-Khandwa Stations ...	5450–5451
5750	नई दिल्ली तथा बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनों के बीच मेल. एक्सप्रेस जनता रेल गाड़ी का चलाया जाना	Mail/Express Janta Trains between New Delhi and Bombay	5451
5751	अन्दमान द्वीप समूह के रबड़ उत्पादकों के लिये रबड़ बोर्ड	Rubber Board for Andaman Rubber Growers .. —	5452
5752	मंदना रेलवे स्टेशन के निकट फाटक	Level Crossing near Madana Railway Station	5452
5753	केन्द्रपाड़ा में पठसन के कारखाने	Jute Mills in Kendrapara	5452
5754	दिल्ली की रेलवे बस्तियों में नागरिक सुविधायें	Civic amenities in Railway Colonies, Delhi	5453
5756	जापान को नमक का निर्यात	Export of Salt to Japan	5453–5454
5757	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर	Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur	5454–5455
5758	खनन तथा मशीनरी निगम लिमिटेड	Mining and Machinery Corporation Ltd.	5455
5759	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors	5455
5760	पश्चिम रेलवे के सहायक निर्माण कार्य निरीक्षक	Assistant Inspectors of Works, Western Railway ... —	5457

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

5761 आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 का उल्लंघन	Violation of Imports and Exports (Control) Act, 1947	5458
5762 केरल खादी बोर्ड	Kerala Khadi Board	5458–5459
5763 रुसी ट्रैक्टरों का आयात	Import of Russian Tractors	5459–5460
5764 कागज से ढकी हुई तांबे की पत्तियां बनाने का कारखाना	Factory for the Manufacture of Paper Govered Copper Strips	5460–5461
5765 तांबे की कमी	Scarcity of Copper	5461
5766 उद्योगों का क्षेत्रीय असंतुलन	Regional Imbalance of Industries	5462
5767 मेंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी	Decline in Export of Manganese Ore ...	5462–5463
5768 निर्यात	Exports	5463–5364
5769 मध्य प्रदेश से निर्यात	Exports from Madhya Pradesh	5464-5465
5770 मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के खनन क्षेत्र	Mining Areas of Madhya Pradesh and Maharashtra	5465–5466
5772 डूंगरपुर में फलुओराइट खनिज	Fluorite Mineral in Dungarpur	5466
5773 डूंगरपुर — गलियाकोट. बांसवारा–रतलाम रेलवे लाइन	Dungarpur-Galiakot, Banswara–Ratlam Railway Line	5466
5774 उदयपुर के जस्ता अलग करने वाले कारखाने में उत्पादन	Production in Zinc Separater Factory (Udaipur)	5467
5775 मेरठ और नई दिल्ली के बीच तेज रेलगाड़ियों का चलाया जाना	Running of Faster Trains from Meerut to New Delhi and vice versa	5467–5468
5776 मेरठ और गाजियाबाद से नई दिल्ली को चलने वाली शटल गाड़ियां	Shuttle Trains from Meerut and Ghaziabad to New Delhi	5468

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

5777	गाजियाबाद और तुगलकाबाद के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Ghaziabad and Tuglakabad	5468
5778	भीलाखेड़ी यार्ड तथा इटारसी रेलवे स्टेशन	Bhilakhedi Yard and Itarsi Railway Station	5469
5779	खनिजों के लिये वैमानिक सर्वेक्षण	Aerial Survey from Minerals ...	5469-5470
5780	इस्पात का आयात	Import of Steel	5470
5781	रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent Allowance to Railway Employees	5470-5471
5782	स्कूटरों और मोटर साइकिलों का निर्माण	Manufacture of Scooters and Motor Cycles	5471
5783	रेलवे द्वारा भूमि का अर्जन	Acquisition of Land by Railways	5471-547 2
5784	घरेलू काम में आने वाले कोयले का मूल्य	Prices of Domestic coke	5472-5473
5785	आन्ध्र प्रदेश में उपरी तथा निचले पुल	Over and Under Bridges in Andhra Pradesh	547 3
5786	भीमवरम टाउन रेलवे स्टेशन	Bhimavaram Town Railway Station ...	5473-5474
5787	नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड	National Instruments, Ltd	5474-5475
5788	भारतीय वायु सेना के एक सारजेंट की हत्या	Murder of an Indian Air Force Sergant ...	5475
5791	मौंट्रियल में लगी ऐक्सपो 67 प्रदर्शनी	Expo 67, Exhibition at Montreal	5475-5477
5792	कैमिकल प्लांट एण्ड मशीनरी एसोसिएशन ऑफ इण्डिया	Chemical Plant and Machinery Association of India	5477
5793	मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Madhya Pradesh	5478

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd

5794	मध्य प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण	Geological Svrvey of Madhya Pradesh ...	5478–5479
5795	मिराज–कोल्हापुर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Miraj-Kolhapur M. G into B. G.	5479
5796	उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले उद्योग	Industries to be set up in U. P. ...	5479
5797	उत्तर प्रदेश में छोटे–पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in U. P.	5479-5480
5798	आजमगढ जिले में मऊ में काटन मिल की स्थापना	Setting up of a Cotton Mill at Mau in Azamgarh District	5480
5799	कारों की बुकिंग	Booking of Cars	5480
5800	कपड़ा मिलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा लिया जाना	Taking over of Textile Mills	5481
5801	भाड़े में वृद्धि	Freight Increase	5481–5482
5802	कपड़ा मिलों की मशीनें	Textile Mill Machinery	5482
5803	यात्री किराया	Passenger Fares	5482
5804	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के लिये पुर्जों का आयात	Import of Components for H. M. T. Watches	5483
5805	गुजरात में सिमेंट का कारखाना	Cement Factory in Gujarat	5483
5806	दिल्ली में यमुना नदी पर रेलवे पुल	Railway Bridge over Jamuna in Delhi	5483–5484
5807	लोहे की खान से लोहा निकालना	Exploitation of Iron Mine	5484
5808	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car	5484-5485
5809	उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों पर छापे	Raid on Ticketless Travellers on Northern Railway	5485

तारा. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.		
5810 कताई मिलें	Spinning Mills	5485–5486
5811 हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता	Hindustan Motors, Limited, Calcutta ...	5486
5812 आसाम में नये उद्योग	New Industries in Assam	5486–5487
5813 दिल्ली तथा हावड़ा के बीच लम्बी यात्रा की सबसे तेज चलने वाली गाडी	Fastest long distance Train between Delhi and Howrah	5487
5814 छतों के नालीदार ढांचों का निर्माण	Manufacture of Tubular Roof Structures ...	5487–5488
5816 दादर रेलवे स्टेशन पर पीने का जल	Drinking Water on Dadar Railway Station	5488
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Impotrance	5488–5492
जिला दार्जिलिंग के सिलिगुड़ी सब डिविजन में बिना लाइसेंस के कमान, तीर आदि उठाने पर रोक	Ban on carrying of unlicensed bows, arrows etc. in Siliguri Subdivsion of Darjeeling District	5488
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri A. B, Vajpayee	5488
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	5489
ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं और स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)	Re. Call Attention Notices and Adjournment Motions (Query)	5492–5497
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants, 1967-68 (cont.) ...	5492
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation ..	5493
श्री लखण लाल कपूर	Shri Lakhan Lal Kapoor	5493
श्रीमती जयाबेन शाह	Shrimati Jayaben Shah	5494
श्री नि. श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekanatan Nair	5494
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghubir Singh Shastri	5495
श्री गडिलिंगन गौड	Shri Gadilingana Gowd	5496

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.

श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	5497
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	5497
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	5497
तिब्बत के बारे में संकल्प-अस्वीकृत	Resolution Re. Tibet-Negatived	5498
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar	5498
श्री नि. चं. चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	5499
श्री जी. मा कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	5499
श्री श्रधाकार सूपकार	Shri Sradhakar Supakar	5501
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	5501
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	5502
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	5503
श्री वे. कृ. दासचौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	5504
श्री क. ना. तिवारी	Shri K. N. Tiwary	5505
श्री रा. की. अमीन	Shri R. K. Amin	5505
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	5505
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	5506
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel	5507
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	5508
उड़ीसा को गेहूं की आवश्यकताओं के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Wheat Requirement of Orissa	5514
श्री चिन्तामणि पाणिग्राही	Shri Chintamani Panigrahi	5514
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	5516

लोक-सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार, 14 जुलाई, 1967/23 आषाढ़, 1889 (शक)
Friday 14, *July* 1967/23, *Asadha* 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ट्रैक्टर बनाने के कारखाने

+

*1141 **श्री शारदानन्द :** **श्री रणजीत सिंह :**
श्री भारत सिंह चौहान : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रैक्टरों की भारी मांग को देखते हुए क्या ट्रैक्टर बनाने के कुछ कारखाने खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कारखाने किन-किन स्थानों पर लगाये जायेंगे और उनकी क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) क्या ये कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे या सरकारी क्षेत्र में ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) : 25 अश्व शक्ति से 50 अश्व शक्ति तक के कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण

करने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र में 5 कारखाने हैं। इनकी कुल मिलाकर उत्पादन क्षमता 30,000 ट्रैक्टर प्रतिवर्ष है। इनमें से दो कारखाने फरीदाबाद में और एक-एक कारखाना बम्बई, बड़ोदा तथा मद्रास में स्थित है। सरकारी क्षेत्र में 12,000 प्रतिवर्ष की क्षमता के 20 अश्व शक्ति से कम शक्ति वाले ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

Shri Sharda Nand : If there is great demand of low cost tractors in the country will any factory to manufacture tractors be set up in Uttar Pradesh ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : It has been told in the reply to the question that there are five factories in the private sector which manufacture tractors. We are in need of about 12,000 tractors of the capacity of less than 20 H. P. We have sought opinions of czechoslovakia in this connection. They say that if at all a factory is to be set up, it should be located in Uttar Pradesh.

Shri Sharda Nand : May I know the names of the countries which have so far been consulted for setting up a factory in the Public Sector ?

Shri F. A. Ahmed : We had received detailed report in this connection only in the month of May and it is now under consideration.

Shri Bharat Singh Chauhan : May I know from the hon. Minister the names of the States from which applications have been received to set up these factories in the private sector ?

Shri F. A. Ahmed : We had received requests from many States such as Bihar, Kerala, Madras, Gujrat, Rajasthan and Madhya Pradesh. Taking into consideration that there are some factories already working in Gujrat, Madras and Bombay it was thought that such factories should be set up in Indo-Gangetic plains where such tractors will be much in demand. We had shown the places mentioned now to our experts and after a lot of consideration they have come to the conclusion that the best location is U. P.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know total requirement of the tractors and whether we will have to import tractors from abroad even after setting up factories in the country ?

Shri F. A. Ahmed : We are in need of 40,000 tractors during the Fourth Five Year Plan. The licensed factories will be in a position to manufacture 30,000 tractors. We are making an arrangement of 12,000 tractors in Public Sector also. After that we will not have to import any tractor.

Shri K. N. Tiwary : The tractors of different types which were imported from abroad are now lying idle for want of spare parts. Even those tractors which were imported from czechoslovakia and Russia are lying idle for want of spare parts. May I know whether apart from the present scheme of manufacturing tractors Government has chalked out any programme to manufacture spare parts so that the tractors now lying idle are utilised and we have not to import tractors any more ?

Shri F. A. Ahmed : This matter has been considered as to whether M. & A. M. C. or Heavy Engineering Corporation have the capacity to manufacture the required

components. A Committee has been set up in this connection which will consider the matter and make arragements as early as possible.

श्री स० कंडप्पन : विभिन्न राज्यों की भिन्न-भिन्न किस्मों के ट्रैक्टरों और शक्तिचालित हलों की मांग को, जिनकी उन्हें अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अ वश्यकता होती है, ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उनको मांगों के आंकड़े इकट्ठे किये हैं तथा क्या वह ट्रैक्टर कारखानों और ट्रैक्टरों के फालतू पुर्जों के लिये अपेक्षित पर्याप्त विदेशी मुद्रा देगी ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, सरकार ने इन सब बातों पर विचार कर लिया है । जैसा कि माननीय सदस्य को पता ही है ट्रैक्टर प्राथमिकता सूची में नहीं थे । अब ट्रैक्टर प्राथमिकता सूची में शामिल कर लिये गये हैं तथा पुर्जों के लिये अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र को दी गई क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिये उपेक्षित विदेशी मुद्रा की सहायता दी जाएगी ।

Shrimati Jayaben Shah : In the first part of the question asked by Shri K. N. Tiwary it was mentioned that twenty thousand tractors are laying idle for want of spare parts. In this connection I would like to know whether Government is contemplating to utilise those tractors first which get spare parts ? Secondly, I would like to know whether Government propose to take steps to repair those tractors which are lying idle for so many years instead of going in for twelve thousand new tractors ?

Shri F. A. Ahmed : There are two ways for that. One is to give foreign exchange for components required.....

Shrimati Jayaben Shah : Foreign exchange will be required even for the new factory. Therefore difficulty in getting foreign exchange should not be advanced as an excuse.

Shri F. A Ahmed : We will be giving foreign exchange required for components without which tractors are lying idle. Secondly we would prefer to get components manufactured in N. A. M. C. or Heavy Engineering Corporation instead of depending on foreign countries. We are making efforts towards that.

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि यदि विदेशी सहयोग है तो विदेशी पुर्जों का अनुपात कितना कितना होगा जिसे सरकार सरकारी क्षेत्र के अथवा गैर–सरकारी क्षेत्र के इन कारखानों को देने का विचार कर रही है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह भिन्न भिन्न कारखानों में भिन्न भिन्न है । जहां तक मैसी फरगुसन का सम्बन्ध है, देशी भाग 68 प्रतिशत है, इन्टरनेशनल हारवैस्टर में 59 5 प्रतिशत, हिन्दुस्तान में 50 अश्व शक्ति के लिए 80 प्रतिशत और 30 अश्व शक्ति के लिए 50 प्रतिशत, एस्कार्ट्स में 53.7 प्रतिशत और ऐचर में 57 प्रतिशत । जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है 80 प्रतिशत मांग देशी होगी ।

Shri Achal Singh : The Commission appointed by Government has advised to set up a factory in Gangetic plains. But as is known to the hon. Minister there are lakhs of villages in Uttar Pradesh. May I therefore know whether forty thousand tractors will

be sufficient to meet the country's requirement. I would therefore suggest that two factories should be set up in Uttar Pradesh so that the whole demand may be met by that.

Shri F. A. Ahmed : This thing is taken into consideration. As and when the demand of tractors will increase we will go on increasing their number in every plan. As I have already pointed out we will be requiring 40 tractors during the 4th Plan and we will try to meet that demand.

Manufacture of Rails in Bhilai Steel Plant

+

*1142. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that alloy metals are being used in the manufacture of rails at the Bhilai Steel Plant ;

(b) if so, whether any enquiry has been made in this regard ;

(c) if so, the outcome thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां। रेल की पटरी का इस्पात बनाने की यह सामान्य प्रक्रिया है।

(ख) और (ग) भिलाई में रेल पटरी के निर्माण में प्रयुक्त किये गये इस्पात में कार्बन और मैंगनीज के अंश की कमी के बारे में जांच की गई थी जिससे यह पता चला कि 22.7.66 को विभिन्न प्रकार के इस्पात की छड़ें आपस में मिल गई थीं। इस मिलावट के संभाव्य कारणों का पता लगाने और ऐसी घटनाओं को रोकने के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई थी। परिणाम-स्वरूप भिलाई इस्पात कारखाने ने रेल की पटरी में प्रयुक्त होने वाली इस्पात की छड़ों पर एक विशेष प्रकार की छाप लगाने की व्यवस्था की है जिससे उनकी पहचान आसानी से हो सके और भविष्य में इन्हें ब्लूम स्टाकयार्ड में रखने के लिए अलग से स्थान होगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know what proportion of rails manufactured by Bhilai Steel Plant are utilised in the country and in what proportion those are exported to other countries ? May I also know whether Government have also received such a report that the rails which were exported to foreign countries were of inferior quality ?

Dr. Channa Reddy : Rails to the extent of 1 lakh and 15 thousand tonnes are manufactured in the country whereas the capacity of Bhilai Steel Plant was 3 lakh and 65 thousand tonnes. After that the capacity has been increased by 2.5. lakh tonnes. Thus there is a capacity to manufacture five lakh tonne rails while we need only 2 lakh and 33 thousand tonne rails. This is the position with regard to capacity and production at present.

As far as the question of export is concerned we have been exporting rails from 1963-64 to 1966-67 at the rate ranging from 12 thousand tonnes to 15 thousand tonnes a year. As far as the quality is concerned, we have received no such complaint. Whatever had happened once or twice that I have told in the form of one answer to a question.

Shri Hukam Chand Kachwahi : May I know whether it is a fact that rails are still imported from abroad, and if so, their number. May I also know the reasons of importing them when the same are being manufacture in the country ? As it due to the fact that Government have concluded agreement with foreign countries that these have to be imported from abroad or the indigenous quality is so poor which necessitates import ?

Shri Channa Reddy : Only the Railway Minister can give all these details.

Shri Hukam Chand Kachwai : Are rails imported because the indigenous rails are inferior to that of the imported ones ? The hon. Railway Minister is there and can give that reply. Where we import rails we have to spend foreign exchange. I want that the Minister should tell the reasons for importing the same and the extent to which these are being imported ?

अध्यक्ष महोदय : यदि इस्पात मंत्री उत्तर दे सकते हैं तो ठीक है ।

Shri Bharat Singh Chauhan : May I know whether any experts have been consulted as to how much quality has been effected due to this mix-up and the extent to which the business have been effected ?

Dr. Channa Reddy : The question is that chemical analysis is done of the casts so manufactured. They are hammer tested and their dimension is also tested. As for as the question of incident of 22nd July is concerned, some defect was noticed in one cast after chemical analysis of five or six and so the weighing 105 tonnes were taken back.

Shri Jagannath Rao Joshi : May I know the requirement of rails in the Ministry of Railways. Whether Steel Ministry has been informed accordingly ? How much demand of that Ministry is being met ? How much time it will take to meet the full requirement of that Ministry and the time likely to be taken to be self-sufficient in this regard ?

Dr. Channa Reddy : As far as the question of becoming self-sufficient is concerned we have much capacity. There is a capacity of five lakh tonnes with us. While there is a demand for 2 lakh 33 thousands tonnes only. This is the demand of the Ministry of Railway for 1966-67. Therefore the production has been reduced inspite of excess capacity. We are also trying to export the same.

Shri Madhu Limaye : Last year when one after the other accidents had taken place, this charge was levelled in the House that the accident have taken place because of the rails which were constructed with soft steel or a mixed up metal. It has become evident from the statement of the hon. Minister also. Thus it appears that the rails are very weak. May I know whether the accidents and the statement of the hon. Minister are inter-connected ?

Dr. Channa Reddy : It appears that there is some mis-understanding. All that I have said is that some mix-up appeared in a cast of one lakh tonnes at the time of Chemical analysis and then the same was withdrawn. I assure the House that the tests

told by D. G. S. and D. and the inspection told by the Director of Technical Development and Director of Inspection take place through factory management. These are exported according to the description of Railway standards. None of the inferior standard has been utilised.

Shri Madhu Limaye : He has said that the Director General of Supplies and Disposal does this or that. Had these been inspected in a proper way, there would not have been case of defective tyres.

There are so many such cases, not one. May I know from the hon. Railway Minister whether any complaints of this nature.....

अध्यक्ष महोदय : यहां बैठे हुए सब मंत्रियों को आप इस तरह से नहीं कह सकते । आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : I have not received any reply. Accident take place because of defects of rails.

Shri Prem Chand Verma : The hon. Minister has said that the capacity of Bhilai Steel Plant is to the tune of five lakh tonnes and the demand is only for two and a quarter lakh tonnes. May I know why the remaining capacity is not being utilised ? What were the reasons to increase the capacity to its requirement ? Why that much amount was spent and which are the persons responsible for it ?

Dr. Channa Reddy : This capacity was increased taking into consideration the requirement of the Fourth Plan targets. We are not wasting the excess capacity. We are making use of that in preparing billets and utilising them as re-rollers. These can also be utilised in other rails. We are experimenting that.

Shri George Fernandes : In connection with the question of Shri Madhu Limaye I would like to ask one question. When accident had taken place, then charges were levelled and an enquiry committee was also set up. The charge levelled was that the soft steel has been utilised. May I know whether the report of the Enquiry Committee has so far been received if so whether this thing has been proved that soft steel was used in constructing rails ?

Dr. Channa Reddy : There was no such thing. Whatever had happened was only in the case of one hundred and odd tonnes. I have given an answer to that end.

Shri George Fernandes : Whether the Committee was appointed or not and if it was appointed whether the report of the same has been received so far ?

Dr. Channa Reddy : The Committee was appointed by Bhilai Steel Plant to go into the defect of the cost they noticed. The report and some suggestions were given by that committee. There was a mix-up on account of an increase in bloom capacity. That is being set right. I cannot say anything regarding the report of the Committee of Railways.

श्री रंगा : क्या सभा को यह आश्वासन दिया जाएगा कि समिति ने जिस जिस तरह से खराबियों को दूर करने के लिये सुझाव दिये हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है ? क्या रेलवे की सलाह, जो इन रेलों का प्रयोग करती है, इन रेलों की गुंज पुकार के सम्बन्ध में

समय समय पर ली जाती है ताकि वे भी इस बात की जांच कर सकें कि रेलों की साफ्ट् किस्म के कारण रेल दुर्घटनायें न हो सकें ?

डा० चन्ना रेड्डी : मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि न केवल भिलाई में बल्कि जहां कहीं भी रेलें बनती हैं डी० जी० एस० डी० तथा इस्पात कारखाना निर्माताओं के प्रतिनिधियों द्वारा जब निरीक्षण किया जाता है उस समय बहुत सावधानी बरती जाती है और रेलवे द्वारा भी यह आग्रह किया जाता है इण्डियन रेलवे स्टैंडर्ड स्पैसिफिकेशन का पूरा पूरा ख्याल रखा जाये। जहां तक इस विशेष विशिष्ट घटना का सम्बन्ध है मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी और आपकी अनुमति से फिर स्पष्ट कर देता हूं कि इन रेलों का प्रयोग नहीं किया गया था और उन्हें वापिस ले लिया गया था और यह घटना भी एक कास्ट में हुई थी क्योंकि उस समय छड़ी की क्षमता में वृद्धि के कारण वे आपस में मिल गई थी। तत्व सुनिश्चित करने के लिये पूर्वोपाय किए जाते हैं और मैं सभा को यह स्पष्ट आश्वासन दे सकता हूँ।

फरीदाबाद में 'नैपको' फर्म

\+

***1143. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :**
श्री जे० एच० पटेल :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरीदाबाद की 'नेपको' फर्म के भारतीय प्रबन्धकों तथा अमरीकी सहयोगियों के बीच मतभेद के बारे में जानकारी है, जिसका पता पंजाब सरकार द्वारा उस कारखाने को अपने हाथ में लिये जाने के बाद लगा है, जानकारी है;

(ख) क्या फैक्टरी के प्रबन्धकों ने अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (यू० एन० एड) द्वारा कारखाने कार्य-संचालन में अनुचित हस्तक्षेप किये जाने के समय भारत सरकार द्वारा चुप्पी साध ली जाने का आरोप लगाया है ; और

(ग) क्या उस कारखाने को पुनः चालू करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार को विदित है कि अमरीकी सहयोगियों और मैसर्स नैपको, फरीदाबाद के भारतीय प्रबन्धकों के बीच कुछ मतभेद हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यद्यपि सरकार इस बात की इच्छुक है कि कारखाना फिर से चालू हो जाना चाहिए और यथाशीघ्र सामन्य रूप से काम करने लगे तो भी यह मामला ऐसा है जिस पर पंजाब सरकार द्वारा कार्यवाई की जाती है। चाव रखने वाली कुछ पार्टियों द्वारा दायर की गई याचिकाएं न्यायालयों में विचाराधीन हैं और जब तक इन याचिकाओं पर निर्णय नहीं

हो जाता जिसका कारखाने के कार्य पर प्रभाव पड़ता है, तब तक कारखाने को चालू करने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

Shri George Fernandes : What is the nature of the differences between the American collaborators and the management of this company ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : As I stated in the reply the matter is sub-judice and as such we should not refer to such things.

Shri Madhu Limaye : If they do not want to give the information, then there is no point in having the Lok Sabha.

Shri George Fernandes : Atleast the facts must be placed before this House. I want to know only the nature of the differences existing between the American collaborators and the management of this company.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : भारतीय फर्म यह कहती है कि विदेशी सहयोगकर्त्ताओं ने करार का पालन नहीं किया है । दूसरा विवाद यह है कि लगभग 23 लाख डालर की राशि अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की प्रत्याभूति पर दी गई थी, और फिर, पंजाब नेशनल बैंक की स्थायी आस्तियों को प्रतिभूति के रूप में मानकर पंजाब सरकार को प्रत्याभूति देनी पड़ी थी । चूंकि किश्त और ब्याज की कुछ राशियों का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिये अमरीका ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने नोटिस दे दिया है और अपनी राशि की वसूली करना आरम्भ कर दिया है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं हम बीच में इसलिये आते हैं कि चूंकि हमें रुपयों में धन का भुगतान किये जाने के पश्चात् अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को उसे लौटाने का हमारा दायित्व बन जाता है ।

Shri George Fernandes : Is it not a fact that this trouble has arisen only after this factory was taken over by the Punjab Government from the Private Sector.

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : चूंकि इस मामले का सम्बन्ध पंजाब सरकार से है, इसलिये मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, और हम बीच में केवल इसी रूप में आते हैं कि अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के प्रति हमारा दायित्व है ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether all the cases of foreign collaboration will be handed over to the State Governments. It has appeared in the press today that a protest note has been handed over by the British Ambassador to the West Bengal Government and the Deputy Chief Minister of West Bengal has directly replied to that. When the British Government can deal with such matters, how is it that the Central Government leaves such matters to the State Government ?

Shri F. A. Ahmed : So far as the Central Government is concerned, it comes into the picture only at the time of issuing the licences and all these things including the conditions etc. are taken into consideration at that time. When there is contract between the two parties, the Government does not come into the picture. Since this case is sub-judice it is not proper for the Government to express its opinion.

Shri Madhu Limaye : When there is dispute regarding foreign collaboration, it is the duty of the Central Government to intervene just as the British Government has done in the Tram Company case to safeguard the national interests.

Shri F. A. Ahmed : We have intervened and we will intervene, when the matter is not sub-judice.

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री ने विदेशी सहयोग कर्ताओं की कुछ गल्तियों का उल्लेख किया । वे गल्तियां क्या हैं ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिये मेरे लिये कुछ भी राय प्रकट करना उचित नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन गल्तियों को न्यायालय के सामने रखा जाता है, हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जबकि मामला न्यायालय के समक्ष है मैं कुछ कहने के लिये तैयार नहीं हूं ।

Shri Abdul Gani Dar : May I know whether the Government had, before giving the assurance, ensured that neither party was defrauding the Government, that the machinery was not 50 years old or recondtioned that under invoicing or over invoicing was not practised, if not, who is responsible for that ?

Shri F. A. Ahmed : We did not give any assurance. All the points raised by the hon. Member are sub juidce.

श्री रामकृष्णन : क्या 1964 में पंजाब सरकार ने इस करार के विभिन्न पहलुओं, कानूनी तथा वित्तीय, की जांच करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया था; यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने पंजाब सरकार को उस समय क्या मंत्रणा दी थी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमने लाइसेंसों की शर्तों और उनको देने के प्रश्नों की जांच की थी और उसके आधार पर हमने पंजाब सरकार द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया था और उन शर्तों को शामिल किया गया था ।

Shri A. B. Vajpayec : Does the Central Government like the idea of direct correspondence between the State Governments and the Foreign Governments ?

Shri F. A. Ahmed : In this case the question of such correspondence has not arisen, since the contract was executed between the two private parties. Generally a foreign Government writes to the Central Government here and the Central Government gives the reply.

श्री रंगा : क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्य सरकारें भारत सरकार को यह लिखती रही है कि अपने उद्योगों के विकास के लिये उन्हें विदेशी सरकारों और कम्पनियों के साथ सीधी बातचीत करने की अनुमति दी जाये और क्या यह भी सच नहीं है कि भारत

सरकार विदेशी सहयोग और राज्य सरकार के बीच हुए करार की शर्तों के लिये जिम्मेदार नहीं है सिवाय इसके कि अंश पूंजी में विदेशी सहयोग कर्ताओं का भाग एक निश्चित प्रतिशतता से अधिक नहीं होना चाहिये ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक विदेशी सहयोग का सम्बन्ध है, भारत सरकार की अनुमति के बिना इस प्रकार का कोई करार नहीं किया जा सकता । यदि किसी पक्ष की राय में करार की शर्तों का पालन नहीं हुआ है तो उस पक्ष को हमारे पास आना चाहिये । बजाय इसके वे न्यायालय में चले गये हैं । चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये मेरे लिये अपनी राय व्यक्त करना उचित न होगा ।

श्री दत्तात्रय कुंटे : क्या माननीय मन्त्री वाद तथा लिखित वक्तव्य की एक एक प्रति सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : उस याचिका से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । वह याचिका सम्बन्धित पत्र द्वारा दायर की गई है ।

आयातित रुई पर कर

\+

***1144. श्री मधु लिमये :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेंन्डीज़ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मंजूरी के बिना आयातित रुई पर काटन मिल ओनर्स फेडरेशन द्वारा लगाये गये 'शुल्क' अथवा 'कर' के बारे में हुई आलोचना की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस 'कर वसूली' के परिणाम स्वरूप एकत्रित हुए धन का दुरुपयोग अथवा दुर्विनियोग किया गया है ; और

(ग) भाग (क) में उल्लिखित गैर-सरकारी तथा अनधिकृत निकाय द्वारा इसे 'कर' की अवैद्य वसूली को रोकने तथा भाग (ख) में उल्लिखित दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ।

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सूती कपड़े के निर्यात संवर्द्धन के लिये सूती कपड़ा उद्योग द्वारा ऐच्छिक अंशदान की योजना सरकारी प्राधिकारियों की जानकारी में बनाई गई थी ।

(ख) जी, नहीं । एकत्रित धन का उपयोग सूती कपड़े के निर्यात संवर्द्धन के लिये किया गया है । इस धन के संग्रह तथा वितरण की यथोचित लेखा-परीक्षा होती हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Madhu Limaye : My question was whether Government's attention has been drawn to the criticism regarding the imposition of such fee etc and the answer is that this has been done with Government's consent.

Shri Shafi Qureshi : There has been no criticism of it. It is neither fee nor tax, but a voluntary contribution made by the mill owners.

Shri Madhu Limaye : It is absolutely untrue. In the 50th Report of the Public Accounts Committee it is a given :

The Sub Committee are surprised to learn that even when there is no sanction from Government and Parliament the Textile Commissioner gives his moral support to the Cotton Mills Federation for realising a premium on foreign cotton and fee on Indian Cotton consumption. The Sub-Committee are of the view that however desirable the objective, this compulsory levy has all the ingredients of a tax and hence it should be levied only with the prior sanction of Parliament and should be operated by an official agency." This is not the criticism of ordinary people. This is the criticism by the Public Accounts Committee and the hon. Minister says that there has been no criticism. After all what is the use of having Public Accounts Committee ? If the Chairman and Members of the Public Accounts Committee have an iota of self respect, Minister should be suspended from the House atleast for to day and afterwards I will raise the question of privilege.....(interruptions).....

My question is that the Public Accounts Committe is of the opinion that it is a fee and tax. It requires approval of Parliament. How can the Textile Commissioner give the property or moral support ...

श्री मु० यू० सलीम : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, कि सदस्य को ठीक भाषा का प्रयोग करना चाहिये । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनसे कहें कि वह ठीक भाषा का प्रयोग करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हे पहले ही कह चुका हूं । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Shafi Qureshi : The question has been asked whether the attention of the Government has been drawn towards the criticism made regarding the collection of fee and taxes by Owner's Federation. It has not been mentioned in the question that it a criticism of the Public Accounts Committee.

So far as criticism is concerned it may be general or particular. The recommendation of the Public Accounts Committee read by the hon. member are quite correct. In reply to his question I have to say that it is neither a tax nor a fee. The members of the Cotton Mill Federation have voluntary decided that by imposing levy on import of cotton made by them, they would utilise this money for encouraging export. There is no question of imposing any fee or tax from the side of the Government. I have no reply for the rest of the things mentioned by the hon member.

Shri Madhu Limaye : My point of order is "whether Government's attention has been drawn to the criticism"

The report of the Public Accounts Committee is a public report and it has been laid on the Table of the House. I want to know the decision of the speaker in this regard whether the report of the Public Accounts Committee has been included in the criticism ?

Secondly, my point of order is that I have not used the word fee and Tax.

"The Sub-Committee are of the view that, however desirable that objective, this compulsory levy has all the ingredients of a tax".

This is not my view. My second question is what action has been taken by you on the report of the Public Accounts Committee and whether you sent the action taken report to them ?

Shri George Fernandes : Whether the levy has been imposed with the permission of the Government and when did the Government give permission ?

Shri Madhu Limaye : Government cannot give permission, it is the Parliament which can give permission.

Shri George Fernandes : Who are officers who have given the permission ? Secondly, what action has been taken by the Government with regard to the critcism made by the Public Accounts Committee in this regard ?

Shri Shafi Qureshi : So far as the question of permission is concerned, the fact is that the Government have neither given the permission nor it bas been asked to give the permission. However, it has been in the notice of the Government the that members of the Federation have decided to impose voluntary levy.

In this respect neither the orders have been issued by the Government nor the Government have made any objection. If some four or five persons want to increase the export, it is another thing. So far as Public Accounts Committee is concerned, it is not a criticism. They are conclusions, recommendations or they may be their view. We are prepared to place the views of the Government on the Table of the House.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या लोक लेखा समिति और सरकार दोनों भिन्न भिन्न विचार रखने वाले दो पक्ष हैं। लोक लेखा समिति "सभा का संक्षिप्त रुप है"। ऐसा विनिर्णय पहले दिया जा चुका है।

क्या लोक लेखा समिति को सिफारिशें इस सभा की सिफारशें नहीं है। यदि ऐसी बात है, तो मन्त्री महोदय यह कैसे कहते हैं कि इस सम्बन्ध में दो राये हैं–एक लोक लेखा समिति की और दूसरी राय सरकार की। क्या इस स्थान पर यह कहना उचित है कि उनकी अभी भी यही राय है ? मैं इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय का निर्णय जानना चाहती हूँ।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : सरकार लोक लेखा समिति की सिफारिशों का हमेशा आदर करती है, परन्तु कभी ऐसे भी अवसर हो सकते हैं जब सरकार उनकी राय से सहमत न हो। इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम लोक लेखा समिति का आदर नहीं करते। लोक लेखा समिति की प्रत्येक सिफारिश आदेश नहीं हो सकती।

श्री तन्नेटि विश्वनाथम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय मन्त्री ने बताया है कि उन्हें प्रसन्नता है कि हमारी राय उनसे भिन्न है, परन्तु सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह लोक लेखा समिति को यह सूचित कर दें कि वह उनके विचारो से सहमत नहीं हैं और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनकी राय किस बात पर भिन्न है। उन्हें सभा में इस प्रकार भिन्न मत प्रकट कर ऐसी मिसाल कायम नहीं करनी चाहिये।

श्री हेम बरुआ : क्या लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में प्रयोग की गई भाषा की ओर मैं आपका ध्यान आकृषित करा सकता हूं ? इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि यह अनिवार्य कर है। अब यहां उप-मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि यह अनिवार्य कर न होकर स्वेच्छा से किया गया अंशदान है। अब इसका निर्णय कौन करे कि क्या यह स्वेच्छा से किया गया अंशदान है या अनिवार्य करे ?

क्या हम लोक लेखा समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट पर निर्भर रहें या माननीय उप-मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर ? दोनों के विचारों में भारी मतभेद है अतः केवल आप ही इस सम्बन्ध में निर्णय देकर हमारी सहायता कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : It is for that very reason I put up a second supplementary that you have sent an action taken reports, because I did not like that those differences may be discussed here. I raised the matters concerning Sarvashri Subramaniam and Sachin Chowdhary before your predecessor. In the case of Shri Sachin Chowdhary there is ruling that the criticism was made of the Public Accounts Committee and reference was also made about the differences without informing it. That is why I do not want to bring it here, but you did not allow me to put a supplementary.

The statment given by him is in the same connection as the statement of Shri Sachin Chowdhary given in Rajya Sabha. Please give your rulings in this regard tomorrow if it is not possible to day. Their procedure is not correct. They appear before the Public Accounts Committee and if there are some differences they should be brought before the House. The House is sovereign in this regard and can decide the matter.

श्री प्र० कु० घोष : इसको ध्यान में रखते हुए कि यह एक अनधिकृत वसूली है, क्योंकि संसद ने इसका अधिकार नहीं दिया था, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वसूली पर आयकर लगाया जा रहा है।

श्री शफी कुरेशी : यह स्वेच्छा से किया गया अंशदान है, कर नहीं।

बिहार से कोयला

\+

***1145. चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार सरकार के स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा 27 अप्रैल, 1967 को दिये गये उस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने

राष्ट्रीय कोयला निगम को बिहार की भूमि से कोयला निकालने से रोकने की धमकी दी थी ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान उसी भाषण में उन मन्त्री द्वारा दी गई इस धमकी और दिलाया गया है कि कोयला भेजना बन्द करके वह अन्य क्षेत्रों के उद्योगों को भी बन्द कर सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य का संकेत बिहार के स्थानीय स्वायत्त सरकार के मन्त्री के प्रकाशित भाषण की ओर है जिसका प्रकाशन 30 अप्रैल 1967 को कलकत्ता के स्टेटसमैन में हुआ था। बिहार सरकार से प्रार्थना की गई है कि वह उस भाषण को, जो उनके अनुसार दिया गया था औपचारिक रूप में भेजे। इसकी प्रतिरक्षा की जा रही है। इसके प्राप्त होने से पूर्व इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यों के मन्त्रियों द्वारा इस प्रकार के असंगत कार्य से जनता और राजकीय क्षेत्र संगठनों की रक्षा करने का कोई प्रबन्ध है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : जब तक हमें बिहार सरकार से इस सम्बन्ध में पुष्टि की कोई रिपोर्ट नहीं मिलती हमारे लिये इस सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जहां तक खानों का सम्बन्ध हैं वह केन्द्र का विषय है और हम लाइसेंस और परिमिट देते हैं। मैं यह नहीं समझता कि खानों से कोयले के न निकालने का अवसर आ सकता है।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कब स्थापना हुई थी। यह भी मामला था। अब भी हम राज्य सरकार की सहायता और सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का सम्बन्ध है, जब यह बना, वह मामला था। अब भी हम राज्य सरकार का सहयोग और सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri O. P. Tyagi : When the Government of different provinces can control the production of foodgrains in their provinces and do not allow them to move in other provinces, why not the provinces who produce coal and iron in large quantity as compare to foodgrain can impose restriction on its movement to other provinces ? Whether, the Government is formulating some universal policy in this connection that whatever may be produced meant for country and there should not be any restriction on its movements ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोयला खान और कोयले का एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने का विषय केन्द्र का है, अतः इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई सामने आई तो वह वांछनीय नहीं होगी।

Shri Ramavatar Shastri : The Central Food and Finance Ministers threatened the Bihar Government that they would not supply food to the Bihar Government. The Finance Minister told that in case they abolished the land revenue, the Centre would not give economic assistance, whether the Deputy Minister had like that in reaction to that.

Shri P. C. Sethi : As I have said in the beginning that no official copy has been received from the Bihar Government, therefore, it could not be said in what connection it had been said.

श्री प्र० कु० घोष : यदि हम यह भी समझ ल कि बिहार के मन्त्री के वक्तव्य का कोई महत्व नहीं है तब भी वहां श्रम संकट को देखते हुए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के उत्पादन में रुकावट पैदा होने वाली है। गिडि खान और ड्रिलिंग कैम्प के कर्मचारी 27 तारीख से पहले ही हड़ताल पर हैं, और मुख्यालय के कर्मचारी 14 जून से हड़ताल पर जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों से समझौता करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

श्री प्र० चं० सेठी : निगम बोर्ड की बैठक कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में उनकी कुछ बैठकें हुई थी। हम गतिरोध को दूर करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री प्र० कु० घोष : कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं। उनसे बिना शर्त के हड़ताल वापस लेने को कहा जा रहा है।

श्री पीलु मोडी : जो राज्य अपने उत्पादों को अपनी ही सीमाओं में रखना चाहते हैं, क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह एक व्यापक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Molhu Prasad : Sir, I rise on a point of order. The hon. Minister says that this is a wider question. Will some other Ministers come for answering the wider questions ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते कि क्या एक राज्य में पैदा की गई प्रत्येक वस्तु को उसी राज्य में रखा जायेगा ? इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री हेम बरुआ : बिहार के मन्त्री का यह कथित वक्तव्य हमारे राजनीतिक जीवन के विकास के लिए बहुत खतरनाक है कि बिहार सरकार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को कोयला निकालने नहीं देगी। क्या सरकार राज्य सरकार के विरुद्ध कोई कदम उठायेगी ? दूसरे बिहार सरकार से उत्तर प्राप्त होने में इतना अधिक समय क्यों लगा है ?

श्री प्र० चं० सेठी : हमने बिहार सरकार को लिख दिया है और हम उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक स्मरण पत्र भी भेजा गया है।

इस्पात प्राथमिकता समिति

+

***1146. श्री दामानी :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों की प्राथमिकता वाली आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सप्लाई का नियतन करने के लिये उनके मंत्रालय में कोई इस्पात प्राथमिकता समिति काम कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन कौन हैं और इसके कार्य के मार्गदर्शक सिद्धान्त क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी :) (क) जी हां।

(ख) इस्पात प्राथमिकता समिति का गठन इस प्रकार है :

(1)	सचिव, लोहा और इस्पात विभाग	अध्यक्ष
(2)	सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
(3)	सचिव, योजना आयोग	सदस्य
(4)	सचिव, वित्त मंत्रालय (अर्थ विभाग)	सदस्य
(5)	लोहा और इस्पात नियंत्रक	सदस्य सचिव

इस्पात प्राथमिकता समिति का काम मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित कम मात्रा में उपलब्ध इस्पात की पूर्ति के लिए प्राथमिकता देना है। इसके पास विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा पुरस्कर्ता प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर इस्पात की पूर्ति के लिये सिफारिशें आती है। रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर कृषि, लघु उद्योग, रेलवे, परिवहन और संचार, मूल उद्योग और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। समिति प्राथमिकता के आधार पर इस्पात की पूर्ति प्रत्येक छः महीनों के आधार पर करती है।

श्री दामानी : पिछले तीन वर्षों में इस्पात कितनी मात्रा में और कहां से प्राप्त किया गया और उसे किस प्रकार वितरित किया गया।

श्री प्र० चं० सेठी : मेरे पास इसके वर्ष वार आंकड़े नहीं है, परन्तु मैं अक्तूबर 1966 मार्च 1967 तक के कुछ आंकड़े दे सकता हूं।

श्री दामानी : मैं यह भी जानना चाहता था कि यह इस्पात कहां से प्राप्त किया गया था। दूसरे देश में विशेष इस्पात के निर्माण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और हम कब तक इसमें आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : जैसा कि सभा को पता है, चपटे उत्पादों की हमारे यहां विशेष-रूप से कमी है और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं। चतुर्थ योजना विधि में इसकी कमी को पूरा करना कठिन है।

Shri Kameshwar Singh : Is it not a fact that the Iron and Steel Controller, who is the M mber- Secretary of the Steel Priority Committee indulges in excessive favouritism and mis-appropriation and discriminates against the small industrialists who cannot get their requiremants of iron ?

Shri P. C. Sethi : Sir, this is not correct. So far as the constitution of the Steel Priority Committee is concerned, Secretary, Department of Iron and Steel is its Chairman; Secretary, Department, of Industrial Development, New Delhi, Secretary, Planning Commission and Secretary, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) are its Members. Iron and Steel Controller is its Member-Secretary. As I stated the quota of steel is determined by the Steel Pri rity Com nittee after taking into account the Defence and other requirements of the Government, therefore the question of mis-appropriation does not a ise.

श्री सोनावने : इस्पात प्राथमिकता समिति इस प्रकार के इस्पात को कहां से प्राप्त करती है और इसके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समिति का सम्बन्ध मुख्य रूप से देशी इस्पात संयंत्रों के उत्पादन से सी हैं और इसलिये विदेशी मुद्रा का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री कंडप्पन : क्या सरकार इस्पात जैसी आधारभूत सामग्री के लिये एक समान मूल्य नीति अपनाने के महत्व को महसूस करती है क्योंकि जिन क्षेत्रों में इस्पात पैदा किया जाता है वहां के दूर के क्षेत्रो में इस्पात के मूल्यों में बड़ा अन्तर है ? क्या इस समस्या पर विचार किया गया है और क्या सरकार कोई एकसम मूल्य नीति अपनाने जा रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : जी हां। विभिन्न राज्यों के विभिन्न कर ढांचों के कारण मूल्यों में निश्चित रूप से अन्तर है। सरकार इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question

\+ **अदन में भारतीय लोग**

अ०सू०प्र०30 **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** **श्री महंत दिग्विजय नाथ :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**

श्री शिव कुमार शास्त्री
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोट्टारी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री रा० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री मंरढी .
श्री स्वैल :
श्री बलराज मधोक :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री श्रद्धाकर सुपकार :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अदन में संकटग्रस्त लगभग एक हजार भारतीय राष्ट्रजन तुरन्त भारत आना चाहते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें भारत में लाने के लिये अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है ; और

(ग) उन्हें उस स्थान से निकालने की व्यवस्था कब तक पूरी हो जायेगी ।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) अदन में हाल की गड़बड़ी के कारण, लगभग 500 भारतीय जिनमें अधिकांश स्त्रियां और बच्चे हैं, मुगल लाइन के 'मोजफ्फरी' नामक जहाज द्वारा 7 जुलाई को बम्बई के लिए रवाना हो गए ।

(ख) और (ग) जी नहीं । सरकार के सामने अदन से भारतीयों की आम निकासी के बारे में सोचने का कभी मौका नहीं आया । गड़बड़ की स्थिति की वजह से जो लोग अदन छोड़कर आना चाहते थे, उन्हें यातायात के सुलभ सामान्य साधनों से आने में कोई कठिनाई नहीं हुई ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the total number of Indians living in Aden and whether any of them have expressed their desire to come over to India and whether have not been able to come uptil now because the Government could not make them necessary facilities available ? Why was such a hasty departure necessitated ?

Shri Surendra Pal Singh : Because of the prevailing bad conditions there and particularly the middle east crisis, they felt the need to send their women and childern from the sefety point of veiw. For themselves, they have not expressed their desire to come.

Shri Prakash Vir Shastri : My question is different. What was the need of sending their families and themselves staying on there due to some circumstances in the hope that perhaps the conditions might improve ? Are they being harassed or their properties confiscated ?

Shri Surendrra Pal Singh : Neither there is any trouble with them nor is any action being taken against them; rather they are having very cordial relations with the people of that place. They have sent their women and children only because of the present but condition there and it is thought that they will call them as soon as the conditions normalise.

Shri Prakash Vir Shastri : Is it solely because of the West Asia crisis that they had to send their families ?

Shri Surendr. Pal Singh : No action whatsover has been taken against them. The Arab countries are having disputes among them and it is just possible that it might result in some harm to the Indian families. The property of the Jews was looted in a series of disturbances there and incidentally some harm was also done to the property of the Indians, but it was not i tentional. Keeping such a condition in view they felt that it was better to send their families India till the conditions normalised.

Shri Kameshwar Singh : There is no order in the House. Women are being harassed there the hon. Minister should be asked to tell facts.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : There is a point of order. Hon. Minister has said that the relations of those people with the Indians are good. They are not being teased and no damage is being done to their properties. But when they are sending their families here, after all there must be some danger to them. Otherwise why they would have sent. I mean to say that you ask the hon. Minister to clarify the position.

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या मैं इसका उत्तर दूं ?

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मंत्रियों को यह विशेषाधिकार नहीं है कि वह किसी भी समय उठकर प्रश्न का उत्तर देने लगे ।

Shri Prakash Vir Shastri : It has been just told by the hon. Minister that the houses and properties were burnt and the Indians residing near by suffered a loss as result of it. I think that the hon. Minister wants to hide the actual incidents happened with the Indians residing there. If there had not been something serious, the Indians residing there would not have been compelled to sent their families. They would have sent only one or two persons. It would not be necessary to send them in such a large number. However, if you want to hide the facts, please tell us at least, clearly when the houses of these jews were put to fire in which the Indians were residing, and the amount of loss suffered by the Indians as a result of it. Have you got any statistics in this connection ?

Shri Surendra Pal Singh : There is no organised move against properties of Indians there.

Shri Kanwar Lal Gupta : It is wrong.

Shri Yaswant Singh Kushwah : It has not been told when this demand was made.

Shri Surehra Pal Singh : The Indians residing there were of the view to send their families. We have instructed our Commissioner to provide them facilties according to their requirements. If there is some transport difficulty to them, we will arrange for it. We were assured that they were having no difficulty and those who wanted to send their families had sent them. They got the passages in the ship. Even then if they would require some sort of assistance from us that would be provided to them. we would not be a hindrance to them.

Shri Mahant Digvijai Nath : In these circumstances whether it is not the responsibility of the Government to make arrangements to bring them back ?

Shri Surendra Pal Singh : It is the responsiblility of the Indian Government to give full facilies to our citizens, if they are in difficulty and it is being done in Aden. But unless they themselves are willing to come what can be done. They perhaps feel that the situation has, as yet, is not so bad, that they should come back. They have sent their families due to fear.

Shri Raghuvir Singh Shastri : I want to know from the hon. Minister whether he has read the statement given by Shri Suresh Mehta, a representative of the businessmen, published on 3rd July in which he has mentioned that one thousand persons are expected to reach within one week and four thousand people are waiting for visa British Officers have been standing on the craters for the last eleven days and they have permitted to bring only one loaded truck, That disturbances have been created by the National Liberal Front. The guns of twenty chokidars have been snatched. I want to know how far these facts are correct,

Shri Surendra Pal Singh : The facts stated by the hon. Minister have been mostly correct. All of us are aware of the trouble going on there. I did not read statement of 3rd July. But it is a fact that there has been the disturbances and it has been coming for quite a long time. Our responsihilty comes only when our citizens are in trouble we could not provide them facilities for bringing them here. We are fulfilling our responsibilities when we have been asked to provide facilities-what facilties we could provide ? We are prepared to provide, but they are coming here with their own means. If they would require our help we are at their disposal,

Shri Hukam Chand Kachwai : A few month's before, a former Indian Minister there, published some articles in the 'Indian Express' in which he mentioned that if the Government of India does not pay attention to these inhabitant Indians, the conditions would have become miserable, I want to know whether it is a fact that the number of Pakistani is increasing and the number of Indians is decreasing ? Whether it is also a fact that the communists are responsible for all these incidents ? Whether the Government would make a investigation in this regard ?

Shri Surendra Pal Singh : I am not aware whether the number of Pakistani nationals are increasing there. But I want to assure you that no investigation is being made against the Indian citizens and they are not in difficulty. When this kind of dispute arises, some harm is bound to result but they are not the target.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to draw the attention towards the articles written by the former Minister. You have not replied to them.

श्री क० प्र० सिंह : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अदन के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भारतीयों ने महत्वपूर्ण योग दिया है और 4500 भारतीयों को मजबूर होकर अदन छोड़ना पड़ेगा क्या भारत सरकार को इस बात का पता है कि अदन स्थित भारतीयों के सम्बन्ध में उसके मतभेद होने के परिणाम स्वरूप कुछ चीनी तत्व भारतीयों को भर्ती कर चीनी सरकार के लिये कुछ गुप्तचर कार्य करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं ? इस सन्दर्भ में मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या कभी वैदेशिक कार्य मन्त्रालय या मन्त्री ने उनसे विचार विमर्श करने का प्रयत्न किया या क्षेत्र का दौराकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि अदन स्थित भारतीयों ने अदन के विकास के लिये महत्वपूर्ण योगदान किया है । मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि वहां स्थित भारतीयों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है यह सच नहीं है । जहां तक चीन सम्बन्धी गतिविधियों के प्रश्न का सम्बन्ध है, मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री म० ला सोंधी : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय को अवश्य कुछ बताना चाहिये ।

श्री दी चं शर्मा : मैं 1965 में अदन में था । जब वहां मैने एक भारतीय होटल में ठहरने के लिये स्थान बुक कराया तब मुझे बतलाया गया कि मुझे किसी भारतीय होटल में नहीं ठहरना चाहिये बल्कि अरब होटल में ठहरने चाहिए क्योंकि भारतीय निवास स्थान और होटल सुरक्षित नहीं है । सौभाग्य से मैं एक अरब निवास स्थान पर ठहरा और जिस भारतीय होटल में ठहरने वाला था उसके निकट एक बम विस्फोट हुआ । उसके बाद अदन में स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है । जहां तक भारतीयों का प्रश्न है उनकी स्थिति बहुत खराब है । मैं यह जानना चाहता हूं कि वहां स्थित भारतीयों की सुरक्षा के लिये कौन जुम्मेवार है—कौनसा राजदूत—क्या भारतीयों की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश या अन्य राजदूत का है और इसके लिये क्या प्रयत्न किये जायेंगे ताकि वहां स्थित भारतीय वहां से अपनी सम्पत्ति ला सके । मैंने दो या तीन कारखानों का दौरा किया उनके मालिकों में घबराहट थी और उनका विचार था कि उनकी सम्पत्ति छीन ली जायेगी । अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारतीयों और उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये क्या किया जा रहा है ।

सुरेन्द्रपाल सिंह : अदन स्थित भारतीयों की सुरक्षा का दायित्व वहां के स्थानीय प्रशासन पर है, परन्तु हमारे अपने राजदूत भी अदन में हैं वो भी उनके हितों की ओर ध्यान देते हैं । जब भी कभी कठिनाई होती है वह उनसे सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । जहां तक सम्पत्ति को छीन लेने का प्रश्न है, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया, जहां तक मुझे पता है, प्रशासन की ओर से ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । वे जो चाहें ला सकते हैं जिसमें उनकी सम्पत्ति भी शामिल है ।

श्री वासुदेवन नायर : सरकार के प्रतिनिधि बहुत से अवसरों पर यह बता चुके हैं कि अफ्रीका तथा विभिन्न देशों में स्थित भारतीयों को सलाह दी गई है वह उन देशों में ऐसा

व्यवहार करें जिससे वह स्थानीय लोगों का विश्वास प्राप्त करने में समर्थ हो और स्थानीय लोगों की राष्ट्रीय आकांक्षा में सहानुभूति प्रकट करें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि हाल के झगड़े पश्चिमी एशिया की लड़ाई के बाद मुख्यत: इंगलैंड विरोधी थे और क्या सरकार भारतीयों को यह सलाह देगी कि वे भी वे तनाव का वातावरण पैदा न कर स्थानीय लोगों के राष्ट्रीय मुक्ति आकांक्षा को प्रोत्साहन दे।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भारत का हमेशा से यह दृष्टिकोण रहा है। हमने वहां स्थित भारतीयों को यह सलाह दी है कि उनके भविष्य की खुशी और भलाई के लिये यह अच्छा है कि वह वहां के रहने वाले व्यक्तियों की आकांक्षाओं से पूरी सहानुभूति प्रकट करें और वह अधिकांश इन अनुदेशों का अनुकरण कर रहे हैं।

वहां स्थित भारतीयों के स्थानीय लोगों से बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। उनमें कोई मतभेद नहीं है। यह सच है, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि हाल का झगड़ा कुछ ऐसे तत्वों के परिणाम स्वरूप हुआ जो उस क्षेत्र में इंगलैंड की नीति को पसन्द नहीं करते। हाल में हुए आन्दोलन में कभी भी भारतीयों को लक्ष्य नहीं बनाया गया।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि वहां पर सुरक्षा की स्थिति न होने के कारण ब्रिटेन सरकार ने लगभग 2000 भारतीयों को, जिनके पास ब्रिटिश पारपत्र थे, पहले ही अदन से बाहर निकाल दिया है। इससे उस भाग में होने वाली भारी अराजकता का पता लगता है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि अदन से भारतीयों को निकालकर भारत भेजने से पहले क्या ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार से मंत्रणा की थी। यदि हमारी सरकार में मंत्रणा की गई थी तो हमारी सरकार की क्या राय थी और चूंकि वह स्थिति बहुत गम्भीर है अत: स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार इस स्थिति के सम्बन्ध में शीघ्र ही उपाय करेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : ब्रिटिश पार-पत्र प्राप्त भारतीयों की संख्या अदन में लगभग 2000 या इससे कुछ अधिक है। यह कहना बहुत कठिन है कि उनमें से कितने निकाले गये हैं। यह सम्भव है कि कुछ वापिस चले गये हों, परन्तु इस बात का पता लगाने के लिये कि क्या हमारी भी इसी प्रकार की योजना या विचार है, ब्रिटिश सरकार ने हमारे से कोई सलाह नहीं की।

श्री हेम बरुआ : यहां ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने इंगलैंड निष्काक्षित कर दिया और फिर भी हमारी सरकार की सलाह नहीं ली गई। उप प्रधान मन्त्री यह कहते हैं कि हमारी सलाह नहीं ली गई। यह कैसे हो सकता है ?

Shri Jagannath Rao Joshi : It is not a question related to Aden only. In East West Asian countries, the Chinese and Pakistani activities have increased as a result of it an atmosphere of tension and fear has been created. I was surprised to hear from the hon. Minister that the relations of the Indians with the local population are very healthy and even then they are being sent from there. When they are sending their families here at shows that some different conditions have arosen there. I want to know that during

the last two months, after knowing the conditions prevailing there and with the intent to stop the anti-Indian activities by China and Pakistan and by maintaining good relationship with that Government for creating confidence in the minds of the Indians, what steps have been taken by Government ?

Shri Surendra Pal Singh : I have already replied to it. There is nothing to worry about the situation there. Their relations are good and they have been residing there. If they send their families, then what does it matter ?

A. B. Vajpayee : The future of the Indian in habitants in Aden is inter-linked with the local population there and it is connected with the problem of leaving Aden by the Britishers. Whether the Government of India has ever made a declaration with regard to the liberation of Aden in "unequivocal terms". Whether the Government of India is of the opinion that the Britishers should leave Aden as early as possible so that the drama of creating frctions between the local people by the imprialist may end ?

श्री मु० क० चागला : इस सम्बन्ध में हमारी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती मेरे माननीय मित्र को पता है कि वहां संघीय सरकार है । ब्रिटिश सरकार ने यह कहा है कि उन्हें कुछ ही समय में स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायेगी । संघीय सरकार, राष्ट्रीयवादी संगठनों फलौस और दूसरे राष्ट्रीय संगठनों के बीच झगड़ा है । वहां संकट है, नाश हुआ बम फेंके गये हैं और ब्रिटिश फौजा को क्रेटर भेजना पड़ा था । जहां तक भारतीय जनता का सम्बन्ध हैं वे राजनीतिक संकट से प्रभावित नहीं हुई हैं उनके सम्बन्ध वहां रहने वाले लोगों से बहुत अच्छे हैं हमने अपने वहां स्थित आयुक्त को कुछ समय पूर्व विशेष अनुदेश दिये हैं कि यदि कोई भारतीय जाना चाहे तो उसे प्रत्येक सुविधा दी जाये । अब तक 500 भारतीय अदन छोड़ चुके हैं । मैं यह भी कहूँगा कि इस सम्बन्ध में बम्बई के सीमा शुल्क कलक्टर और मुख्य सचिव को अनुदेश दे दिये गये हैं । जब वे आते हैं तो उन्हें प्रत्येक सुविधा दी जानी चाहिये हम अदन स्थित अपने आयुक्त से सम्पर्क बनाये हैं और अदन स्थित भारतीयों की सुरक्षा के लिये हम चिन्तित हैं । वहां बहुत से भारतीय हैं जो अदन छोड़ना नहीं चाहते । भारतीयों का यह कहना मैं उचित समझता हूं कि मैं यह नहीं चाहता कि मेरी स्त्री यहां रहे क्योंकि यह दो दलों में राजनीतिक झगड़ा है और उसमें वह शामिल नहीं है । परन्तु संवैधानिक सरकार और राष्ट्रीय संगठनों में झगड़ा है । हम स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं । यदि भारतीय यह सोचेंगे कि राजनीतिक स्थिति बिगड़ रही है तो उन्हें वहां से निकाल लिया जायेगा ओर उन्हें सब सुविधायें दी जायेंगी ।

Shri George Fernandes : What the Government has said regarding custom.

श्री मु० क० चागला : सीमा शुल्क (कस्टम) कलक्टर को यह अनुदेश दिया गया है कि विश्वसनीय व्यक्तियों के, घर के समान, मशीनरी, औद्योगिक समान, मोटर इत्यादि को निकालने के सम्बन्ध में उदार रहे हैं । जहां तक व्यापार में लगे स्टाक का सम्बन्ध हैं हम राज्य व्यापार निगम से सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि वे खरीदा जा सके । हमने सभी यथा सम्भव कदम उठा लिये हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : All these five hundred people who have come from there have come due to panic and not for pilgrimage. Whether the Indians have ever

written about their difficulties to their Commissioner; if so, the action taken by the Government in that regard ? What facilities Government intent to provide to those people who would come from there and would like to start their business here ?

श्री मु० क० चागला : हमारे आयुक्तों को कोई कठिनाइयों के सम्बन्ध में नहीं बताया गया है। केवल एक कठिनाई यह थी कि जब एक यहूदी भवन को नष्ट किया गया तो उससे लगे भारतीय भवनों को नुकसान पहुँचा। भारतीयों को इस सम्बन्ध में चेतावनी दी गई और वहां की स्थानीय जनता ने इसके लिये खेद प्रकट किया। भारतीय सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग कि हमने वहां क्या किया है का सम्बन्ध है बम्बई के सीमा शुल्क कलक्टर को ये अनुदेश दिये गये हैं कि अदन से आने वाले भारतीयों द्वारा लाये जाने वाले समान को स्टोर करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध करें। उनसे यह भी कहा गया है कि वह ऐसी व्यवस्था भी करें जिससे वह कस्टम से शीघ्र और आसानी से मुक्त हो सकें और अदन से आने वालों के साथ सहानुभूति तथा समझदारी से व्यवहार किया जाये। वहां पर इस सम्बन्ध में उच्चस्तरीय निगरानी है। प्रादेशिक पार-पत्र अधिकारी से जो प्रवासियों के रक्षक भी हैं कहा गया है कि वह स्वदेश लौटने वालों को आवश्यक सहायता प्रदान करें। बम्बई के मुख्य सचिव से यह निवेदन किया गया कि वह स्वदेश लौटने वालों के लिए यात्रा के लिए गाड़ियों और अस्थायी आवास की व्यवस्था कर उनकी सहायता करें। उनसे यह भी निवेदन किया है कि वह स्वदेश लौटने वालों की देखभाल के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्त करें।

रेलवे बोर्ड से उन्हें रेल की सुविधायें प्रदान करने के लिये कहा गया है। राज्य बीमा निगम से यह निवेदन किया गया है कि वह यथा शीघ्र वाणिज्य मन्त्रालय के सहयोग से यह निर्णय करें कि किन शर्तों और नियमों के अन्तर्गत व्यापारी स्टाक किया जा सकता है ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जा सकें।

Shiri B. S. Sharma : Hon. Minister has told with great pride that the concerned authorities have been instructed to provide all sorts of facilities to the repatriates. I want to know whether he has consulted Shri Jagjiwan Ram in connection with providing food etc. to the repatriates.

अध्यक्ष महोदय: यह विषय भिन्न है।

श्री बलराज मधोक : भारतीय सामुदायिक दृष्टिकोण से अदन एक महत्वपूर्ण सामायिक क्षेत्र है। चूंकि अब अंग्रेजों को इसे मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वह यह चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके हितो की रक्षा करें। वह पाकिस्तान और पाकिस्तानी तत्वों को अदन में प्रोत्साहन दे रहे हैं और इसी के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में भारत विरोधी गतिविधियां और भारत विरोधी भावना पैदा की गई है। इसी वजह से ही वहां स्थित भारतीयों में घबराहट है। इन बातों को ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार पाकिस्तान का प्रभाव कम करने और भारतीयों के हितों की रक्षा करने के अभिप्राय से क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय तत्संगत प्रश्नों के उत्तर देंगे ।

श्री मु० क० चागला : अदन में पाकिस्तानी प्रभाव की मुझे जानकारी नहीं है । वहां पर ब्रिटिश सरकार संघीय सरकार और राष्ट्रवादी संगठन में झगड़ा है । संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा दो राष्ट्रीय संगठनों की वृद्धि की जा रही है । अतः वहां पाकिस्तानी प्रभाव का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अब प्रश्न यह है कि अंग्रेजों के अदन छोड़ने पर वहां का ढांचा क्या होगा । वहां वह सहयोगी सरकार चाहते हैं । राष्ट्रीय संगठनों ने कहा हैं कि वह "संघीय सरकार के साथ कार्य नहीं करेंगे" । आप इसे समाप्त कर दें और एक सार्वजनिक निर्वाचन करे । अतः उस क्षेत्र में पाकिस्तान के प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रद्धाकार सूपकार : ये तीन तथ्य है पहला यह कि 900 स्त्रियों और बच्चों को निकाला गया है; दूसरा 3000 व्यक्तियों को ब्रिटेन भेजा गया है ; तीसरा यह कि ऐसा समाचार है कि 4000 व्यक्ति भारत आ जाना चाहते हैं । वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री ने बताया है कि अब और लोग यहां आने के इच्छुक नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सब बाते आपस में कैसे मेल खाती है । क्या ऐसा कहना कि वहां रहने वाले और व्यक्ति यहां अस्थायी तौर पर भी आना नहीं चाहते, बिल्कुल गलत नहीं है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं पहले ही ये सब बातें स्पष्ट कर चुका हूँ । यह सच है कि 500 व्यक्ति जहाज द्वारा भारत आ रहे हैं । मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसे कितने व्यक्तियों को जिन पर पार-पत्र थे या नहीं, ब्रिटेन को पहले ही भेजा जा चुका है, परन्तु यह तथ्य है कि वहां पर भारतीय पार-पत्रों पर रहने वाले बाकी भारतीयों ने भारत आने की इच्छा व्यक्त नहीं की है । यदि बाद में वे भारत आने की इच्छा व्यक्त करेंगे तो उन्हे सुविधाएं प्रदान की जायेंगी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

स्कूटरों का निर्माण

***1147. श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री श्रीधरन :
श्री विश्वम्भरम :
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री अदिचन :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री 7 अप्रैल, 1667 के अतारांकित प्रश्न संख्या 815** के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्ति के शेष आवेदन-पत्रों की छानबीन हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस जारी न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि (एक) विदेशियों को आवर्ती रायल्टी न दी जाये, (दो) जहां स्थानीय सहायक-उद्योगों के देशी पुर्जे मिलते हों वहां पर आयातित पुर्जों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये; और (तीन) निर्माता लोग धीरे-धीरे देशी पुर्जों का निर्माण करके देश में बने पुर्जों से समूचा स्वदेशी स्कूटर बनाने का पूरा प्रयत्न करें ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) शेष आवेदन पत्रों की छानबीन अभी की जानी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1. विदेशियों को आवर्ती पारिश्रमिक का भुगतान करने में सम्बन्धित प्रस्तावों पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है और उनके लिये तभी सहमति दी जाती है जब सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाती है कि देश में यह ज्ञान उपलब्ध नहीं है।

2. प्रत्येक वर्ष आयात नीति बनाते समय तकनीकी विकास का महानिदेशालय द्वारा उन वस्तुओं पर रोक प्रतिबन्ध लगाने के बारे में सावधानी बरती जाती है जिनका देश में ही विकास हो चुका है अथवा जिनके विकास किये जाने की सम्भावना है।

3. तकनीकी विकास का महानिदेशालय प्रति वर्ष कच्चा माल और पुर्जों का आयात करने के आवेदन-पत्रों की छानबीन करता है तथा साथ ही साथ देश में इन वस्तुओं का विकास करने और आयात के अंश में निरन्तर कटौती करने का सुनिश्चय भी करता है। मोटर गाड़ियों के अधिकांश निर्माताओं ने पहले ही 90 प्रतिशत से अधिक देशी अंश तैयार कर लिया हैं।

बांसपानी–नयागढ़ रेलवे लाइन

*1148. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) बांसपानी-नयागढ़ रेलवे लाइन के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सचिवों की समिति ने इस लाइन की स्वीकृति दी है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस लाइन के शीघ्र निर्माण के साथ खनिज उद्योग के विकास तथा पारादीप पत्तन के पूर्ण उपयोग का बहुत सम्बन्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्य की गति में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) निकट भविष्य में नयागढ़ क्षेत्र में खनिज लोहे के निक्षेपों के बढ़ने की आशा नहीं है, इसलिये बांसपानी/नयागढ़ से पारादीप तक रेलवे लाइन बिछाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी, पारादीप बन्दरगाह से निर्यात के लिए तोमका/दाईतेरी क्षेत्रों से खनिज लोहा ढोने के लिए कटक/बेरंग/नेरगुण्डी से पारादीप तक बड़ी लाइन बिछाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है और आवश्यक सर्वेक्षण हो रहे हैं। इस प्रस्ताव को खनिज लोहे के निर्यात के लिए सचिवों की बनाई गई अनौपचारिक समिति का भी अनुमोदन प्राप्त है। खनिज सम्बन्धी प्रगति और पारादीप बन्दरगाह के उपयोग आदि सभी तथ्यों को सर्वेक्षण के समय ध्यान में रखा जायेगा और सर्वेक्षण के परिणाम मिलने पर कटक–पारादीप लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

बम्बई के आयातकों द्वारा सिले सिलाये कपड़ों का आयात

1149. श्री अब्दुल गनी दार : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को बम्बई के आयातकों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें फटे पुराने कपड़ों के आयात के साथ नये सिले सिलाये कपड़ों, पुल ओवरों आदि को टुकड़ों के रूप में तथा विभिन्न गांठों में आयात कर के सरकार को धोखा देने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में ऐसे कितने मामलों का पता लगा है; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बिहार में खनिज पदार्थों को निकालना

***1150. श्री रा० बरुआ** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार की अभ्रक पट्टी तथा रांची की पठार भूमि में खनिज पदार्थों को निकालने के लिए कोई बहुमुखी योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के लिए किसी विदेशी सहयोग की व्यवस्था की जा रही है; और

(ग) क्या योजना का विस्तृत ब्यौरा बना लिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा०चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) और (ग) हां, महोदय। हवाई खनिज सर्वेक्षणों तथा भौमिक अनुवर्ती कार्य जिसमें भूभौतिक सर्वेक्षण और हीरक व्यधन कार्य भी शामिल है, का एक व्यापक कार्यक्रम यू० एस० ए० आई० डी० के सहयोग से बनाया गया है जिन्होंने कि विदेशी मुद्रा की लागत को पूरा करने के लिए 3·5 मिलियन डालर का ऋण दिया है। यह समस्त कार्य ठेके के आधार पर अमरीकी इंजीनियरी फर्म मैसर्स पाससन्स कारपोरेशन, लास एंजेलस और उनके सहयोगी मैसर्स एरो सर्विस कारपोरेशन आफ फिलाडैलफिया करेंगे जो इस कार्यक्रम में शामिल खनिजयुक्त खण्डों के हवाई सर्वेक्षण करेंगे।

इस्पात की उत्पादन लागत सम्बन्धी महताब समिति

1151. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात की उत्पादन लागत सम्बन्धी महताब समिति कि कौन-कौन सी शिफारिशें अब तक क्रियान्वित की जा चुकी है; और

(ख) क्या परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में इस्पात की उत्पादन लागत कम हो गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) मेहताब समिति को मुख्य सिफारिशों का उद्देश्य इस्पात कारखानों के संचालन में सुधार लाना है जिसके लिए स्वयं कारखाने लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें धमन भट्टियों, और इस्पात पिघलाने वाले कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत तरीकों का प्रयोग, आयात किये जाने वाले पुर्जों के स्थान पर अन्य पुर्जों का प्रयोग कारखानों की वर्कशापों में अधिकाधिक काम करना, कोयला साफ करने के कारखानों का कुशल संचालन तथा उनका उत्पादन बढ़ाना, चूरे का अधिक मात्रा में उपयोग करना और रक्षित खानों में खनन की लागत में कमी करना आदि शामिल है। ये दीर्घ कालीन उपाय हैं जिनको अपनाने से कुछ समय के पश्चात ही परिणाम दृष्टिगोचर हो सकते हैं।

महाराष्ट्र में विद्युत-चालित करघे

1152. श्री राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री चक्रपाणि :
श्री अनिरुद्धन :
श्री नायनार :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में एक लाख से अधिक विद्युत-चालित करघों के बन्द हो जाने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें बन्द होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कुछ विद्युतचालित करघों के कथित बन्द होने का कारण विद्युत-चालित करघों को प्राप्य धागे पर बजट प्रस्तावों में उत्पादन शुल्क की वृद्धि बताई जाती है। सरकार इस मामले पर अविलम्ब ध्यान दे रही है।

राज्य व्यापार निगम

***1154. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के वर्तमान ढांचे को पुनर्गठित करने का विचार किया गया है, ताकि राज्य व्यापार निगम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नये वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रवेश कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : राज्य व्यापार निगम विदेशी व्यापार बढ़ाने तथा विभिन्न बाजारों में नई वस्तुओं का, जिनका निर्यात नहीं होता है, नियात आरम्भ करने और अपराम्परागत बाजारों में परम्परागत मदों के निर्यात की और बढ़ाने के लिये निरन्तर प्रयत्न कर रहा है। इस समय निगम के वर्तमान ढांचे को पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

Investment of Private Capital

***1155. Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri S. S. Kothari :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Srichand Goel :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state.

(a) Whether it is a fact that there is no incentive for the investment of private capital in the country; and

(b) whether there is any scheme to maximise the industrial potential and profits from such investment in the country ?

The Ministsr of Industrial Developmeut and Company Affair. (Shri F. A. Ahmed) :

(a) and (b) No, sir. various incentives have been provided through fiscal and other means from time to time and these are intended to maximise induetrial notential and offer insentives for investment.

Railway Safety Commission

*1156. **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Gunanand Thakur :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the main recommendations made by the Railway Safety Commission in their annual report for 1965-66 and the extent to which they have been accepted by Government.

(b) whether it is a fact that the Railway Safety Commission has arrived at a conclusion that some of the electric locomotives perchased by the Railway Board from aboard were defective; and

(c) if so, the action taken in regard there to ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) (a) to (c) The report of the Commissioner of Railway Safety on the working of the Railway Inspectorate for 1965-66 has been received and is under discussion with the Ministry of Tourism & Civil Aviation, which controls the Commission for Railway Safety. This report will be shortly placed on the Table of the House.

काफी का निर्यात

*1157. **श्री सम्बन्धन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के सारे देशों को भारत से निर्यात करने के लिये काफी का कोई कोटा नियत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना और यह मात्रा विश्व के सब नियतिक देशों की निर्यात की कितनी प्रतिशत है ;

(ग) क्या भारत ने इस कोटे को बढ़ाने का कोई प्रयत्न किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार के अन्तर्गत भारत के लिये प्रतिवर्ष 21,600 मे० टन का एक मूल निर्यात कोटा नियत किया है, जिसमें प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद द्वारा सभी देशों को निर्यात के लिये, उन देशों को छोड़कर जिनका वर्गीकरण 'गैर कोटा' देशों के रूप में किया गया है, समंजन होता रहता है। अक्तूबर 1966-सितम्बर 1967 वर्ष के लिये वार्षिक कोटा 21274 मे० टन है। यह मात्रा सभी नियतिक देशों के लिये करार के अन्तर्गत इस अवधि के लिये निर्धारित कुल निर्यात कोटे की लगभग 0·8 प्रतिशत है।

(ग) जी, हां ,

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार के अन्तर्गत भारत के लिये नियत किये गये मूल निर्यात कोटे में वृद्धि करने के लिये हमारा अभ्यावेदन अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद के समक्ष अंतिम निर्णय के लिये पड़ा हुआ है।

विनियंत्रण के पश्चात् इस्पात की उपलब्धता

*1158. **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनियन्त्रण के पश्चात उद्योगों के लिये इस्पात की उपलब्धता की क्या स्थिति है;

(ख) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चे माल के रुप में इस्पात आसानी से मिल जाता है ; और

(ग) यदि नहीं, तो छोटे पैमाने के उद्योगों को इस्पात उपलब्ध कराने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से और (ग) : कुछ वस्तुओं को छोड़कर जैसे जस्ती चादरें, अधिक मोटी प्लेटें, अधिक पतली चादरें, जो कम मात्रा में उपलब्ध हैं, अन्य सभी प्रकार का इस्पात अब आसानी से उपलब्ध है । कम मात्रा में उपलब्ध माल के वितरण के लिये संयुक्त सन्यन्त्र समिति ने एक योजना की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को माल का आवंटन किया जायेगा और राज्य सरकारें लघु उद्योगों को माल देगी । लघु उद्योगों को कम मात्रा में उपलब्ध माल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त उपाय किए गये हैं । यदि यह देखा गया कि उद्योग की वास्तविक मांग की पूर्ति उस हद तक नहीं हो रही है जितनी कि देशीय साधनों से करनी सम्भव है, तो योजना में आवश्यक संशोधन कर दिया जायेगा । कम मात्रा में उपलब्ध माल का उत्पादन बढ़ाने के लिये पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं परन्तु इनके पूरा होने में कुछ समय लग जायेगा ।

कारों और स्कूटरों के मूल्य

*1159 **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार कारों तथा स्कूटरों के मूल्य कम करने का है;

(ख) क्या सरकार ने कारों तथा स्कूटरों के उत्पादन को दुगुना करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क) सरकार ने मोटर गाड़ी उत्पादकों को उत्पादन में बचत करने तथा मोटर गाड़ियों के मूल्य में कमी लाने की आवश्यकता पर बल दिया है । प्रशुल्क आयोग से भी देश में निर्मित व्यावसायिक गाड़ियों तथा यात्री कारों के उचित बिक्री मूल्य के बारे में सिफारिश करने के लिये कह दिया गया है । आगे की कार्यवाही प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही की

जायगी । (ख) और (ग) स्कूटर उद्योग के उन प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है जो अपनी पूरी स्थापित क्षमता के आधार पर विदेशी मुद्रा पाने के हकदार हैं । हालांकि वर्तमान एक्कों में 1967 में 1966 की अपेक्षा स्कूटरों का उत्पादन काफी अधिक होगा, फिर भी स्कूटरों और यात्री कारों की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

21-अप बरौनी एक्सप्रेस का रोका जाना

*1160. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 जून, 1967 को 60 व्यक्तियों के एक दल द्वारा पूर्व रेलले पर बन्देल के निकट 21–अप बरौनी एक्सप्रेस को रोका गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने यात्रियों की कितने मूल्य की वस्तुओं को लूट लिया था ;

(ग) इस लूट से रेलवे की कितनी हानि हुई थी ;

(घ) गाड़ियों का विशेषत: पूर्व रेलवे पर इस प्रकार से बार बार रोके जाने की घटनाओं का क्या कारण है ;

(ङ) मई, 1967 से लेकर इस रेलवे पर कितनी बार गाड़ियों को रोका गया ; और

(च) यात्रियों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनावा) : (क) घटना 17 जून, 1967 को नहीं बल्कि 18 जून, 1967 को हुई । बंडेल स्टेशन से छूटने के थोड़ी देर बाद ही 21 अप नार्थ विहार एक्सप्रेस गाड़ी को समपार फाटक के निकट, किलोमीटर 41 पर, लाठियों ओर छुरों से लैस 50–60 बदमाशों ने, विभिन्न डिब्बों में खतरे की जंजीर खींचकर, रोक लिया ।

(ख) यात्रियों का सामान लूट लिया गया । एक यात्री की घड़ी और 175 रुपये नकद और एक और यात्री के 113 रुपये छीन लिये गये । तीर्थ यात्रियों के एक दल के संवाहक को बदमाशों को 100 रुपये देने पड़े ताकि तीर्थ यात्री एक-एक करके न लूटे जायें ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) और (ङ) 1 मई से 10 जुलाई, 1967 तक गाड़ियों को रोकने की 37 घटनायें हुई । गाड़ियों को इस तरह रोकने, लूट और डकैती के मामले कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति बिगड़ जाने के कारण हुए ।

(च) पश्चिम बंगाल के प्रभावित रेलवे खण्डों में सवारी ले जाने वाली सभी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस तैनात की जा रही है । रेलवे सुरक्षा विशेष दल के कार्मिक इस काम में उनकी सहायता करते हैं ।

संयुक्त संयन्त्र समिति

*1161. श्री प० गोपालन :
श्री एस्थोस :
श्री अब्राहम :
श्री नायनार :
श्री अनिरुद्धन :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्केटडेवलेपमेंट फण्ड (बिक्री विकास निधि) जिसे अब तक लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक द्वारा प्राइम स्टील (उत्तम प्रकार के) के निर्यात के लिये रियायतें देने तथा इस्पात की ढलाई से बनने वाले इन्जीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के लिये ढलाई कारखानों को दिये जाने वाले इस्पात के विक्रय मूल्य में छूट देने के लिये संचालित किया जा रहा था, अब बन्द कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संयुक्त संयन्त्र समिति को इस्पात के हाल ही में घोषित मूल्यों में एक ऐसा तत्व सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया है जिससे संयुक्त संयन्त्र समिति एक नई निधि को आरम्भ कर सके जिसके द्वारा यह प्राइम (उत्तम) प्रकार के लोहे तथा इस्पात के सामान अथवा इस्पात की ढलाई से बनी हुई वस्तुओं के निर्यात के लिये सहायता प्रदान कर सके ; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी प्राधिकारी से काम वापिस ले लेने और वही काम गैर-सरकारी संस्थाओं को सोंपने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं। अभी भी मार्केट डिवलपमेंट फण्ड में से कच्चे लोहे और बढ़िया किस्म के इस्पात के निर्यात के लिये रियायतें दी जा रही हैं।

(ख) इस्पात के मूल्य पर कोई नियन्त्रण नहीं है संयुक्त संयन्त्र समिति द्वारा स्थापित फण्ड को इस्तेमाल केवल अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इस्पात की सप्लाई की प्रतिपूर्ति के लिये किया जाता है, जिसका उपयोग इंजीनियरी उद्योग निर्यात किये जाने वाले सामान के निर्माण के लिये करते हैं। संयुक्त संयन्त्र समिति इस फण्ड के लिये देश में बेचे जाने वाले इस्पात पर 5 रुपये प्रति टन और कच्चे लोहे पर 3 रुपया प्रति टन, विक्रय मूल्य पर से अलग से रुपया इकट्ठा करती है। इस फण्ड का इस्तेमाल कच्चे लोहे और बढ़िया किस्म के इस्पात के निर्यात के लिये अनुदान देने के लिये नहीं किया जाता है।

(ग) अब चूकि मार्केट डिवलपमेंट फण्ड का इस्तेमाल निर्यात करने वाले इंजीनियरी उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर इस्पात सप्लाई करने के लिये नहीं किया जाता अतः यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिपूर्ति सरकारी एजेन्सी की मार्फत की जाय।

नेपाल के साथ व्यापार

*1162. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच हुए व्यापार समझौते की अवधि बढ़ा दी गई है; यदि हां, तो कब तक के लिए और इस अवधि में दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होने की आशा है ; और

(ख) किन किन वस्तुओं का और कितनी कितनी मात्रा में नेपाल को निर्यात दिया जाएगा और वहां से आपात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : भारत सरकार तथा नेपाल के महाराजधिराज की सरकार के बीच व्यापार तथा पारगमन संधि जो कि 31 अक्तूबर, 1964 तक वैध थी उसे पांच वर्ष की अवधि के लिये अर्थात 31 अक्तूबर, 1970 तक के लिये और बढ़ा दिया गया है । सन्धि के अन्तर्गत निर्यात । आयात की विभिन्न मदों के लिये कोई अधिकतम सीमा न निर्धारित करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार के अवाध प्रवाह की व्यवस्था है । पिछले कुछ वर्षों में नेपाल के साथ भारत के व्यापार के विस्तार का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

नेपाल के साथ भारत का व्यापार

(लाख रुपया)

वर्ष	आयात	निर्यात		व्यापार संतुलन
1961-62	359	916	(+)	557
1962-63	264	437	(+)	173
1963-64	539	1157	(+)	618
1964-65	721	1662	(+)	941
1965-66	749	1964	(+)	1215
1966-67 (अप्रेल-जनवरी)	837	1329	(+)	492

लौह-अयस्क खानों से लौह अयस्क निकालना

*1163. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विशाल लौह अयस्क खानों से, निर्यात करने के लिए मुख्यतया जापान को, लौह अयस्क निकालने की करोड़ों डालर की लागत की एक परियोजना भारत सरकार, एक अमरीकी खनन फर्म और तीन जापानी फर्मों के साथ-संघ द्वारा तैयार की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसका क्या परिणाम रहा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) कुदरमुखक्षेत्र. चिकमगलोर जिला, मैसूर राज्य, में मैंगनाटाइट कच्चे लोहे के निक्षेपों के विदोहन तथा विस्तृत अनुसंधानों के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। इस क्षेत्र का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने पूर्वेक्षण किया है। इन निक्षेपों के वाणिज्य विदोहन के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही के रूप में धातुकार्मिक जांचे तथा पाइलट प्लांट अनुसन्धान करने में तकनी की तथा वित्तीय सहयोग देने का एक प्रस्ताव एक अमरीकी फर्म तथा उसके तीन जापानी सहयोगियों से प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

(ख) और (ग) परियोजना के विस्तार बताने का अभी उपयुक्त समय नहीं हुआ है। इनका निश्चय पाइलट प्लांट अनुसन्धान तथा दूसरे परीक्षणों के बाद ही किया जा सकेगा।

जापान को कोयले का निर्यात

***1164. श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान तथा अन्य पड़ौसी देशों में कोयले का निर्यात करने के मामले में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1967—68 में जापान को सीमित मात्रा में कोकिंग कोयले का निर्यात करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ग) भावी आयतकों के साथ बातचीत किस प्रक्रम पर चल रही है ;

(घ) क्या केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम को ही कोकिंग कोयले का निर्यात करने का अधिकार है अथवा गैर सरकारी उत्पादकों को भी कोकिंग कोयले के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने की तथा उसका निर्यात करने की अनुमति है; और

(ङ) कोकिंग कोयले के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या प्रोत्साहन अथवा सुविधायें दी जा रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) आजकल कोयले का निर्यात केवल वर्मा और श्रीलंका को किया जाता है। अन्य देशों को, जिनमें जापान और हांगकांग शामिल है, भारतीय कोयले के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय कौकिंग कोयले की विशिष्टियां, मूल्यों के अनुमान तथा नमूने कुछ जापानी फर्मों को दिये गये हैं जिनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ) : खनिज तथा व्यापार निगम द्वारा कोकिंग कोयले के निर्यात की व्यवस्था की जाती है। निगम ने विभिन्न कोटियों के कोयले के लिये निम्नतम मूल्य का सुझाव दिया है और भारतीय निर्यातकों को निर्यात के लिये सौदे करने की अनुमति दे दी है और यह आश्वासन दिया है कि यदि वे निगम द्वारा निर्धारित निम्नतम मूल्यों से ऊंचे मूल्य प्राप्त कर सकते है तो ऐसे ऊंचे मूल्यों का लाभ उन्हें ही मिलेगा।

बिड़ला ग्रुप की सूती मिलों द्वारा अत्यधिक रुई का स्टाक करना

1167. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री सूरज भान :
श्री प० मु० सैयद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला ग्रुप की सूती मिलों ने अपनी आवश्यकता से बहुत अधिक रुई का स्टाक कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में विनियमों का उल्लंघन किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि ग्वालियर की बिड़ला काटन मिल ने प्रवर्तन शाखा द्वारा हाल ही के छापों से कुछ घंटे पूर्व दस लाख रुपये की रुई के भन्डार जानबूझ कर जला दिये थे; और

(घ) यदि हां, तो इस सन्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : बिड़ला ग्रुप की थोड़ी सी सूती मिलों द्वारा अनुमति स्तरों से कुछ अधिक रुई का स्टाक रखे जाने की सूचना मिली है।

(ग) और (घ) ऐसी सूचना मिली है कि 16 जून, 1967 को दिन के 12·30 बजे ग्वालियर के जे० सी० मिल्स में आग लग गई है, जिसके परिणाम स्वरुप रुई की लगभग1670 गांठों को अशंत क्षति पहुंची। आग के कारण चार लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है। अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चला है।

इन्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स कलकत्ता

***1168. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय वसु :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मधु लिमये :
श्री रा० बरुआ :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इडिया इलेक्ट्रिक वर्कस, कलकत्ता ने काम बन्द कर देने की घोषणा कर दी है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस फर्म को अपने हाथ में ले लिया था ;

(ग) यदि हां, तो काम बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने इस कार्य को स्थायी रूप से अपने हाथ में लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) पश्चिमी बंगाल सरकार ने अभी तक कम्पनी को अपने हाथ में लेने के बारे में अपना निर्णय नहीं बताया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

India Week In Rome

1169. Shri J. H. Patel :
Dr. Ram Manohar Lohia :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that preparations are being made by our embassy in Rome to celebrate 'India Week';

(b) If so, the object behind celebrating the said week and the detials of the proposed activities during the week; and

(c) Whether it is also a fact that effiorts are being made to popularise the sale of the Italian perfumes during the said week which have no particular connection with india ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a)to (c) : A statement is attched.

Statement

(a) The India week was celebratee from 26th june to 2nd July.

(b) The main object was the promotion of some of our export products like tea. cashew, mangoes. bananas, handicrafts and handlooms products and promotion of tourist trafflic to india.

India handicrafts and hanblooms products etc. were displayed during the week in 80 show windows. Liquid Indian tea and cashew nuts were served to customers in Coffiee Bars in the shopping centre. Also a special brand of Indian tea and salted cashew nuts were sold.

(c) Advantage was taken of the occasion of the promotion of the sale of Italian perfume bearing Indian name to publicise and popularise Indian products through the India week celebration.

मनुष्यों के बालों का निर्यात

*1170. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :
श्री आत्म दास :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से कौन कौन से देश मनुष्यों के बाल खरीदते हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में मनुष्यों के बालों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) क्या रुपये का अवमूल्यन होने के बाद मनुष्यों के बालों की मांग बढ़ गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारत से मनुष्य के बाल खरीदने वाले मुख्य देश सं० रा० अमरीका, पश्चिम जर्मनी, हांगकांग, आस्ट्रिया, फ्रांस, जापान तथा इटली है ।

(ख) 1964–65, 1965–66 तथा अप्रेल, 66 से फरवरी, 67 की अवधियों में क्रमश 29·75 लाख रु० 43·66 लाख रु० तथा 145.19 लाख रु० के मनुष्यों के बालों का निर्यात किया गया ।

(ग) सं० रा० अमरीका में चीन, उत्तरी कोरिया तथा उत्तरी वियतनाम के मनुष्य के बालों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के उपरान्त भारत से मनुष्य के बालों की मांग बढ़ गई है ।

बेबी बायलर

5656. श्री क० मि० मधुकर : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही के वर्षों में अज्ञात निर्मातातों के बेबी बायलर उद्योगपतियों को बेचे जा रहे हैं जो शायद इनके प्रयोग की जो सिधे तथा खतरों से अनभिज्ञ है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे यह भी नहीं जानते कि ऐसे बायलरों का प्रयोग करके वे इंडियन बायलर एक्ट 1923 के अन्तर्गत अध्ययन करते हैं ; ओर

(ख) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी हां । कुछ राज्य सरकारों के मुख्य बायलर निरीक्षकों ने यह बताया है कि कुछ बायलरों का जो भारतीय बायलर अधिनियम के उपबन्धों के अनुरुप नहीं है , कुछ उद्योगों विशेष कर तेल निकालने की मिलों में प्रयोग किया जा रहा है जिसकी राज्य बायलर निरीक्षालयों

को जानकारी नहीं है निरीक्षणालयों द्वारा भारतीय बायलर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत इन पार्टियों के विरुद्ध मुकदमें चलाने के लिये उपयुक्त पग उठाये गये हैं।

भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 के अधीन बायलर का अर्थ एक बन्द बर्तन है जिसकी क्षमता 22·75 लिटर से अधिक है और जो दबवा से भाप बनाने के लिये ही स्पष्ट रुप से प्रयोग किया जाता है। राज्य मुख्य बायलर निरीक्षकों द्वारा यह बताया गया है कि 22·75 लिटर की क्षमता से अधिक के ऐसे बायलरों का कुछ गैर जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा निर्माण किया जा रहा है जो अधिनियम द्वारा निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुरूप नहीं हैं और ऐसे बायलरों का प्रयोग उन छोटे उद्योगपतियों द्वारा किया जा रहा है जो इन बायलरों के लगाने की विधि को नहीं जानते हैं। केन्द्रीय बायलर बोर्ड ने ऐसे बायलरों को अधिनियम के क्षेत्र में लाने की दृष्टि से इस मामले पर विचार किया था। इस मामले पर बोर्ड की 18 जुलाई, 1967 को होने वाली बैठक में भी विचार किया जायेगा और बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर उचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

Prices of Rubber Tyres

5657. Shri K. M. Madhukar : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the increasing prices of rubber tyres ;

(b) whether the rise in the prices of rubber tyres should be taken as an indication of the decline in the rubber industry ;

(c) if so, the reasons for the decline in the rubber industry ; and

(d) if not the reasons for the increase in the prices of rubber tyres ?

The Minister of Industrial Development and company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) There is no statutory control on the prices of tyres and tubes. However, the tyre industry informal consults the Government before effecting any inerease in the prices of tyres and tubes. The last increase in prices of tyres and tubes was effected on 1.4.1966. There has been no increase in the price of tyres and tubes after 1.4,.1966

(b) and (c) The question does not arise as there has been no increase in the price of tyres and tubes after 1.4.1966.

(d) The increase in price of tyres and tubes was effected on 1.4 1966 mainly due to the increase in the price of indigenous raw materials like naturla rubber tyre cord, beadwire, miscellaneous chemicals etc,

Railway Lines in Maharashtra State

5658. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of railway lines proposed by the Maharashtra Government for inclusion in the Fourth Five Year Plan and their order of priority ;

(b) whether Government propose to open a railway line in the coal and cement areas of Yeotmal district keeping in view the need of its industrial development ; and

(c) if so, the details of the proposal under consideration of Government ?

The Minister ot Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) The following new lines/ conversion schemes, according to the order of priority have been proposed by the Maharashtra Government for inclusion in the Railways Fourth Plan :

1. Conversion of Manmad-Aurangabad Nanded section from Metre Gauge to Broad Gauge.
2. Apta-Kharpada-Dasgaon-Goa.
3. Sholapur-Osmanabad-Bhir-Paithan-Aurangabad-Chalisgaon and Dhulia to Nardhana.
4. Ballarshah-Ashti-Allapalli-Gurpalli-Surajgarh Bhamragarh to join Gidam Jagadalpur B. G. line.
5. Kalamb-Khaparkheda (Railway Siding).
6. Kurla-Panvel Section of Kurla Karjat
7. Conversion of Miraj-Pandharpur Kurduwadi-Barsi-Latur from Narrow Gauge to Broad Gauge.
8. Latur-Purli Vaijnath via Mominabad.
9. Adilabad Chanda via Ghugus.
10. Kolhapur-Ratnagiri.
11. Karad-Chiplun.
12. Restoration of Darwha Pusad.
13. Badnera-Amravati-Narkhed.
14. Khamgaon-Jalna via Chikhli.
15. Chimur-Umrer.
16. Gangakhed to Bodhan and Nanded to Latur Railway line.
17. Manmad-Malegaon-Dhulia Nardhana.
18. Kurduwadi-Karmala Nagar Karamala Auranga ad and Kunduwadi-Shingnapur Railway Line.
19. Ghugus to Sindola Railway Line, and
20. Construction of Kolhapur-Nagpur Railway line.

(b) No.

(c) Does not arise,

गुजरात में लघु उद्योग

5659. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात और सीमेंट के विनियंत्रण के बावजुद गुजरात में लघु उद्योगों के लिए इस्पात, सीमेंट और टीन के रूप में अनिवार्य कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं होता है ;

(ख) यदि हां तो उद्योगों को चलाने के लिये कच्चा माल उपलब्ध करने में कठिनाई होने के कारण कितने उद्योगों के बन्द हो जाने की आशंका है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात राज्य में लघु उद्योग

5660. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में अच्छे देहाती क्षेत्रों तथा छोटे छोटे नगरों में लघु उद्योगों के विकास के लिये अपने प्रयत्न सकेन्द्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिए गुजरात के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार और गुजरात सरकार के बीच इस योजना की क्रियान्वित का समन्वय किस प्रकार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जानकारी गुजरात सरकार से इक्ट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के मसोदे में लघु उद्योगों के विकास तथा औद्योगिक बस्तियों के निर्माण के लिए 206 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी गई है। किन्तु यह निश्चित रूप से बता सकना सम्भव नहीं होगा कि उसमें कितना रुपया राज्य सरकार छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग के विकास के लिए व्यय करेगा किन्तु उद्योगों के विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुसार इसमें से पर्याप्त राशि इस उद्देश्य के लिए व्यय की जायेगी । इसके अतिरिक्त गुजरात में दो ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं हैं जिसके लिए धन की व्यवस्था ग्रामीण उद्योग योजना समिति चौथी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित 20 करोड़ रुपये में से करेगी ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा चालू की गई तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू इन योजनाओं का समन्वय मन्त्री स्तर पर लघु उद्योग बोर्ड तथा अफसरों स्तर पर समिति समय-समय पर होने वाली बैठकों से किया जाता है । इन दोनों पर ही केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं ।योजना स्तर पर इनका समन्वय राज्य सरकार में होने वाली बातचीत से किया जाता है ।

गुजरात में कुटीर उद्योग

5661. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1967-68 में गुजरात राज्य में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा कोई योजनायें बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में भारी उद्योगों की स्थापना

5662. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने 1967--68 में गुजरात में कुछ भारी उद्योग तथा औद्योगिक कारखाने स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने किन किन उद्योगों का सुझाव दिया है ;

(ग) उक्त अवधि में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित बड़े उद्योगों तथा औद्योगिक कारखानों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन पर कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) राज्य सरकार के प्रस्तावों में कोई भारी उद्योग अथवा औद्योगिक एकक सम्मिलित नहीं थे किन्तु उनका सम्बन्ध नीचे दी गई योजनाओं से था:—

(1) बडौदा स्थित औद्योगिक रसायन प्रयोगशाला का विस्तार । राजकोट में एक प्रयोगशाला तथा परीक्षण शाला का निर्माण ।

(2) औद्योगिक अनुसंधान तथा मार्गदर्शी संयंत्र ।

(3) परियोजना प्रतिवेदन का तैयार किया जाना ।

(4) गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों का अधिकरण तथा विकास ।

(5) गुजरात औद्योगिक विनियोजन निगम की पूंजी में भागीदारी ।

(6) राजकीय एककों द्वारा जारी की गई पूंजी का निम्नांकन ।

(7) निर्यात को प्रोत्साहन ।

(घ) 1967-68 में इन योजना में विनियोजन की राशि के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

रेलवे कर्मचारियों के लिये मध्यस्थ

5663. श्री द० रा० परमार : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यस्थ निर्णय के मामलों में रेलवे प्रशासन याचिका कर्ताओं और प्रतिवादी दोनों ही पक्षों के लिये रेलवे अधिकारियों में से मध्यस्थों की नियुक्ति करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं है ;

(ग) क्या दोनों पक्षों से वसूल की गई पारिश्रमिक की राशि रेलवे प्रशासन को दी जाती है, क्योंकि मध्यस्थ रेलवे में सेवा करने वाले अधिकारी ही होते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) विवाचकों की नियुक्ति रेलवे और ठेकेदार के बीच सम्पन्न करार की उस संगत धारा के अनुसार विनियमित की जाती है, जिसके अनुसार जब दावा 3 लाख से कम का हो और अन्तर्ग्रस्त मुद्दे जटिल न हों तो विवाद एक विवाचक को सौंपा जाता है जो महाप्रबन्धक हो सकता है या उसके द्वारा इस निमित्त नामित कोई अन्य व्यक्ति हो सकता है। जब दावा 3 लाख से अधिक का हो या उसमें अन्तर्ग्रस्त मुद्दे जटिल हों तो विवाद दो विवाचकों को सौंपा जाता है। ऐसे मामले में रेल प्रशासन ठेकेदार को रेलवे के एक या एक से अधिक विभागों के तीन से अधिक अधिकारियों की एक नामिका भेजते हैं और उसे इसमें से तीन नामों की नामिका सुझाने के लिए कहते हैं। ठेकेदार द्वारा सुझाई गयी नामिका में से महाप्रबन्धक एक विवाचक नियुक्त करता है, जो ठेकेदार का नामित (व्यक्ति) होता है। फिर उसी नामिका में से या उससे बहार से उसी हैसियत का दूसरा विवाचक रेलवे के नामित (व्यक्ति) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

(ग) उन मामलों को छोड़कर, जिन में विवाद का सम्बन्ध उस अधिकारी के विभाग से भिन्न विभाग से हो, विवाचकों के रूप में काम करने वाले रेल अधिकारियों को रेलवे से मानदेय लेने की अनुमति नहीं है। जहां तक ठेकेदारों से पारिश्रमिक लेने का सम्बन्ध है, जब ठेकेदार के विरुद्ध विवाचन का खर्च देने का निर्णय किया जाता है तब सम्बन्धित रेलवे द्वारा वसूल की गयी सारी रकम रेलवे के नाम जमा की जाती है विवाचकों को नहीं दी जाती।

(घ) सवाल नहीं उठता।

असिस्टेंट डिवीजनल पर्सानल अफसर

5664. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या रेलवे मन्त्री 16 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2664 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अफसरों के, विशेषतया प्रशासनिक मामलों का निपटारा करने वाले अफसरों के, किसी एक स्थान पर रहने की सामान्य अवधि निर्धारित न की जाने के क्या कारण हैं। जिससे स्वस्थ प्रसासन व्यवस्था कायम हो सके ; और

(ख) उन डिविजनों कार्यालयों के नाम क्या हैं। जिनमें स्थानान्तरित किये गये तथा वहां लम्बी अवधि से कार्य करने के बावजूद अधिकारी भी रखे गये 2 अधिकारी इस समय तैनात हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अधिकारियों को, जिनमें स्थापना सम्बन्धी मामलों पर काम करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं, सामान्यतः लम्बे अर्से तक एक ही जगह पर अनावश्यक रूप से नहीं रखा जाता। उनके लिए एक स्थान पर रहने की कोई अटल सीमा निर्धारित नहीं है। प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें समय समय पर स्थानांतरित किया जाता है।

(ख) (i) बीकानेर, फिरोजपुर और इलाहाबाद।

(ii) दिल्ली मण्डल और जोधपुर कारखाना।

Khadi and Village Industries Commission

5665. Shri Ram Charan : Will the Minister of Commerce be pleased to state ;

(a) the number of cases in which the Khadi and Village Industries Commission requested the Central Government to write off the loans advanced by them during the last five years ;

(b) the total value thereof ; and

(c) whether efforts were made to realise the amount from the persons who stood sureties for such loans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd, Shafi Qureshi) (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सिगरेटों का निर्माण

5666. श्री बाबूराव पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा कौन कौन से कारखाने सिगरेट बना रहे हैं और वे प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के सिगरेट बनाते हैं ;

(ख) भारत में प्रति वर्ष कितनी सिगरेटों की बचत है ;

(ग) कागज, विदेशी तम्बाकू तथा अन्य सम्बन्धित माल की खरीद के लिये इन सिगरेट निर्माताओं को प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है ;

(घ) इन कारखानों में, कम्पनीवार, कितने कर्मचारी हैं और इन सिगरेट निर्माताओं के कर्मचारियों की वार्षिक मजूरी कितनी होती है ?

(ङ) कैंसर के खतरे को दृष्टि में रखते हुए स्वास्थ्य के आधार पर सिगरेटों के निर्माण पर क्या क्या शर्तें तथा प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

(च) भारतीय सिगरेट निर्माताओं की तुलना में विदेशी सिगरेट निर्माता कितने कम अथवा अधिक है और उन्होंने कितनी पूंजी लगाई है ; प्रत्येक का वार्षिक उत्पादन कितना और कितने मूल्य का होता है ;

(छ) इन विदेशी निर्माताओं में से किसी द्वारा प्रति वर्ष कितना धन देश से बाहर भेजा जाता है और उनके नाम क्या हैं ; और

(ज) सिगरेटों का प्रति वर्ष कितना और कितने मूल्य (रुपयों में) का निर्यात किया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (च) भारत में इस समय 13 एकक सिगरेट बना रहे हैं। इनका नाम, इनकी 1966 में उत्पादन का परिमाण तथा मूल्य और इनका विनियोजन बताने वाला एक विवरण (परिशिष्ट 1) सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1044/67]** । इनमें से एकक एक अपने उत्पादन की सूचना नहीं दे रहा है ।

(ख) 1966 में 5652.5 करोड़ सिगरेटों की खपत का अनुमान है ।

(ग) सिगरेटों के उत्पादन के लिए आवश्यक लगभग अभी कच्चा माल केवल कुछ वस्तुओं को छोड़कर देश में ही उपलब्ध है, जिनमें परिरक्षक, गन्ध पदार्थ तथा विशिष्ट प्रकार का पेकिंग का कागज ऊंचा है। इन वस्तुओं की आयात के लिए पिछले तीन वर्षों में दी गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

1964–65	24.90 लाख रुपये
1965–66	8.22 लाख रुपये
1966–67	20.00 लाख रुपये
(अप्रैल–सितम्बर)	(अवमूल्यन के पश्चात्

पी० एल० 480 के अधीन तम्बाकू के आयात के लिए दिए गए आयात लाइसेंसों के मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

लाइसेंसों की अवधि	मूल्य हज़ार रुपयों में
अप्रैल 1962–मार्च 1963	14,032
अप्रैल 1963–मार्च 1964	9,416

अप्रैल 1964–मार्च 1965	3,828
अप्रैल 1965–मार्च 1966	–
अप्रैल 1966–मार्च 1967	16,749
अप्रैल 1967–मार्च 1968	114
(20 मई 1967 तक)	

(घ) विभिन्न सिगरेटों के कारखानों के कर्मचारियों तथा उनके वार्षिक वेतन का विवरण (परिशिष्ट 2) सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1044/67**]।

(ङ) स्वास्थ्य के लिये खतरे की दृष्टि के सिगरेटों के उत्पादन पर सरकार ने कोई विशिष्टि प्रतिबन्ध अथवा शर्तें नहीं लगाई गई हैं।

(च) और (छ) अपेक्षित जानकारी के विविरण (परिशिष्ट 3–4) सभा पटल पर रख दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1044/67**]

जालना और खामगांव के बीच रेलवे लाइन

5668. **श्री राने :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व जालना और खामगांव के बीच नई रेलवें लाइन बनाने का काम भूतपूर्व जी० आई० पी० रेलवे ने आरम्भ किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्माण कार्य को छोड़ देने के क्या कारण थे;

(ग) क्या महाराष्ट्र से निर्वाचित संसद् सदस्यों ने भूतपूर्व रेलवे मन्त्री से अनुरोध किया था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार कब इस रेलवे लाइन का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कराने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) खामगांव से चिकली तक, जो कि जालना तक प्रस्तावित रेलवे लाइन का भाग है, बड़ी लाइन बिछाने के लिए भूतपूर्व जी० आई० पी० रेलवे द्वारा 1912–13 में इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये गये थे और सर्वेक्षणों से पता चला कि यह योजना अलभाप्रद है। 1926 में नये सिरे से यातायात सर्वेक्षण किया गया और चिकली तक लाइन बनाने के लिए 1931 में मंजूरी दे दी गयी लेकिन धन की कमी के कारण निर्माण–कार्य शुरू न किया जा सका।

चूंकि स्थिति काफी बदल गयी थी, इसलिए 1933–34 में नया यातायात सर्वेक्षण किया गया और उससे पता चला कि यह योजना अलाभप्रद होगी, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। 1964–65 में कई संसद् सदस्यों का एक अभ्यावेदन मिला जिसमें खामगांव और

जालना के बीच रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण करने का सुझाव दिया गया था। अतः स्थिति पर पुनर्विचार किया गया और यह देखा गया कि धन की कमी के कारण इस योजना का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता और सर्वेक्षण कराने से कोई लाभ नहीं होगा। पूर्ववर्ती रेल मन्त्री ने अभ्यावेदकों को स्थिति से अवगत करा दिया था।

National Mineral Development Corporation Ltd.

5669. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Rabi Ray :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Sheopujan Shastri :**
Shri George Fernandes :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state

(a) whether it is a fact that a case of embezzlement is in progress against the Administrative Officer of the National Mineral Development Corporation when he was at Kiriburu Project ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) No, Sir. The facts are that when the present Administrative Officer of the Corporation was posted as Deputy Financial Controller at Kiriburu in 1961-62, certain irregularities in the disposal of M. S. Bars and other construction material came to light. From the result of preliminary enquiries it appeared that this officer together with some other officer was responsible for those irregularities. Accordingly, a charge-sheet was drawn up and the case was referred to the Central Vigilance Commissioner for obtaining his advice prior to the initiating of formal disciplinary proceedings. The Central Vigilance Commission have after detailed examination of the case, come to the conclusion that the allegations against this officer are not a warranted by facts.

(b) Does not arise.

Recruitment in National Mineral Development Corportion

5670. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Rabi Ray :**
Shri Ram Sewak Yadav : **Shri Sheopujan Shastri:**
Shri George Fernandes :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether the rules for the filling up of the vacancies in the National Mineral Development Corporation provide for placing of the demands on the Employment Exchanges and publication of advertisements in the newspapers ;

(b) if so, whether the above rules were strictly followed in regrad to recruitment to the posts of the Secretary of the National Mineral Development Corporation Board, Administrative Officer, Section Officer, Bellari Hospet, Assistant Controller of Stores, Ranna, Junior Technical Assistant (Electrical), Faridabad, Junior Field Officers, Head Office and Bellari Hospet and other appointments ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) Yes, Sir. The rules provide that all posts shall be filled in either by direct appointment or by promotion of persons already in the service of the Corporation or by borrowing from the Central Government, State Government, a Government Industrial Undertaking or the local or other authority. These Rules also require that all vacancies to be filled by direct appointment shall be notified to the Employment Exchange. Simultaneous advertisement is also provided for in case the qualifications are such that candidates are not likely to be available with the Employment Exchange.

(b) and (c) The above recruitment rules could not strictly be followed in the case of certain appointment viz., the Secretary, National Mineral Development Corporation, Administrative Officer, Section Officer, Bellary Hospet, Junior Field Officer, Head Office, Junior Technical Assistant (Electrical) Head Office. The concerned appointments were all, however, made in the interest of the Corporation.

The recruitment rules of the NMDC were framed and put into force only in 1964. The services of the Secretary, NMDC, Administrative Officer, Bellary Hospet, and Junior Field Officer, Head Office, were obtained on deputation from Government Departments before the recruitment rules were framed. Subsequently, in view of the fact that the performance of these officers was found to be highly satisfactory and the Corporation needed their services, it was decided to absorb them in the service of the Corporation. These officers accepted the service of the Corporation after resigning their posts in their respective departments.

The present incumbents of the posts of Junior Technical Assistant (Electrical) Faridabad and Junior Field Officer, Bellary Hospet have been approved by the duly constituted Selection Boards as provided in the rules, though due to exigencies of work initially they were appointed at short notice on an **ad-hoc** basis which was not strictly in conformity with the rules.

The present incumbent of the post of Section Officer, Bellary Hospet was similarly taken over from a Government Department though this was not strictly in accordance with the rules.

The post of Assistant Controller of Stores, Panna, was advertised in 1962. The incumbent now holding the post (who was at that time employed in the Army) applied in response to the advertisement. He was selected by a duly constituted Selection Board and appointed in November 1962. Initially, however, he came on foreign service terms but later on in 1966, he resigned his post and was absorbed in the regular service of the Corporation. This appointment was in accordance with the rules.

With regard to other appointments, the appointments are generally made in accordance with the Rules.

The Corporation's rules as now framed do not provide for the permanent absorption of Government servants on deputation or for **ad-hoc** appointments to meet exigencies of work. These lacunae in the rules are proposed to be removed shortly.

श्रीकाकुलन जिले में कपड़ा बनाने का कारखाना

5671. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम में उमदालावातसा में कपड़ा बनाने के कारखाने का निर्माण करने के लिये कोई लाइसेंस दिया है ;

(ख) क्या सरकार की किसी वित्तीय संस्था ने इस सम्बन्ध में कोई ऋण दिया है;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि का ; और

(घ) इसकी शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1045/67]**

आन्ध्र प्रदेश में पटसन का कारखाना

5672. श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के जिला श्रीकाकुलम में अमदालावालसा नामक स्थान में पटसन का एक कारखाना स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Newsprint Factories

5673. Shri D. S. Patil :
Shri R. D. Bhandare :

Will the Minster of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of States in which newsprint factories are proposed to be established during 1967-68 ; and

(b) the estimated cost of the said factories ?

The Minister of Indusrtial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b) : Possibilities for setting up a bagasse-based newsprint plant in U.P./Bihar in the Public Sector and one Newsprint plant based on soft woods in Himachal Pradesh are at present being explored. Estimated cost has not been worked out as yet.

हावड़ा-रूरकेला एक्सप्रेस गाड़ी

5674. श्री रा० रा० सिंह देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिटिलागढ़ से हावड़ा तक सीधी जाने वाली यात्री गाड़ी बन्द कर दी जाने के पश्चात् सरकार दक्षिण-पूर्व रेलवे में हावड़ा-रूरकेला एक्सप्रेस रेलगाड़ी को टिटिलागढ़ तक चलाने का विचार कर रही है ;

(ख) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में विशाखापत्तम और टिटिलागढ़ के बीच इस समय सप्ताह में दो बार चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी को रोजाना चलाने तथा उसे आगे हावड़ा तक चलाने का भी सरकार का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) 457/458 राउरकेला-टिटलागढ़ सवारी गाड़ियां राउरकेला स्टेशन पर 323/324 हावड़ा-राउरकेला एक्सप्रेस गाड़ियों से सुविधाजनक समय पर मेल लेती हैं । इसलिए 323/324 एक्सप्रेस गाड़ियों को टिटलागढ़ तक चलाने का औचित्य नहीं है । अप्रैल, 1967 में की गई गणना के आधार पर सप्ताह में दो बार चलने वाली 5/6 टाटा-वाल्टेर एक्सप्रेस गाड़ियों के उपयोग का विश्लेषण किया गया था । विश्लेषण से पता चला है कि इन गाड़ियों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं होता । इसलिये इन गाड़ियों को सप्ताह में दो बार की बजाय प्रतिदिन चलाने के लिए यातायात की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है । यातायात सम्बन्धी औचित्य न होने के अलावा, हावड़ा-खड़गपुर खण्ड पर अपेक्षित लाइन क्षमता न होने के कारण भी इन गाड़ियों को हावड़ा तक परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे की पटरियों के दोनों ओर की भूमि

5675. श्री रा० रा० सिंह देव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्व रेलवे की पटरियों के दोनों ओर की ऊसर भूमि में खेती करने के बारे में कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि स्थानीय कृषकों को पट्टे पर दे दी गई है अथवा क्या सरकार का विचार विभागीय रूप से उसमें खेती करने का है ; और

(ग) उड़ीसा में ऐसी कितनी भूमि ऊसर पड़ी है और इसमें से कितनी भूमि में खेती होने लगी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) स्थानीय किसानों को ।

(ग) उड़ीसा में कुल 1481.38 एकड़ कृषि योग्य रेलवे भूमि है। इसमें से 852.86 एकड़ भूमि अधिक अन्न उपजाओ उद्देश्य से किसानों को दी गई है।

ढोलका तथा नाड़ियाद (पश्चिमी रेलवे) के बीच रेलवे लाइन

5676. श्री रा० की० अमीन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा पश्चिम रेलवे के ढोलका तथा नाड़ियाद स्टेशनों को मिला देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) धन की कमी के कारण चौथी योजना में निर्माण के लिये केवल सामरिक महत्व की या विकास की प्रमुख योजनाओं से सम्बन्धित बहुत कम नयी लाइनों के शामिल किये जाने की सम्भावना हैं और इस लाइन को उनमें शामिल करने के लिए यथेष्ठ प्राथमिकता प्राप्त नहीं हैं। इसके अलावा, इन दोनों स्थानों के बीच रेल सम्पर्क मौजूद है, यद्यपि यह मार्ग थोड़ा लम्बा है।

हीरे तराशने के कारखाने

5677. श्री रा० की० अमीन : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सूरत तथा बुलसर जिलों में हीरे तराशने के बहुत से कारखाने हैं ;

(ख) हीरे तराशने के लिये आवश्यक कच्चे माल का कैसे आयात किया जाता है और तैयार माल का कैसे निर्यात किया जाता है ; और

(ग) हीरों के निर्यात तथा आवश्यक कच्चे माल के आयात पर कितना कर लगाया जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) पंजीकृत निर्यातकर्ताओं के प्रति नीति के अन्तर्गत, काटे, परिष्कृत तथा पालिश किए गए हीरों के निर्यात के बदले में अपरिस्कृत हीरों के आयात की अनुमति दी जाती है। इन आयातित अपरिष्कृत हीरों को काटकर और परिष्कृत करने के पश्चात निर्यात किया जाता है।

(ग) काटे हुए तथा पालिश किए हुए हीरों के निर्यात पर कोई निर्यात शुल्क नहीं और अपरिष्कृत हीरों के आयात पर भी कोई आयात शुल्क नहीं ।

रेफ्रीजरेटरों का मूल्य

5678. श्री रा० की० अमीन : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1956 से लेकर अब तक वर्षवार कुल कितने आयातित और स्वदेश में निर्मित रेफ्रीजरेटरों की बिक्री हुई ;

(ख) भारत में उपभोक्ताओं से 1956 से लेकर अब तक प्रत्येक मानक किस्म के रेफ्रीजरेटरों के लिये क्या क्या कीमत ली जाती है और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निर्माताओं तथा अन्तिम विक्रेता एजेन्टों द्वारा क्या मूल्य लिया जाता है और उसमें से कितना अंश केन्द्र में राज्य को या स्थानीय प्रशासन को कर के रूप में चला जाता है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) रेफ्रीजरेटरों की बिक्री के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । 1956-66 में उत्पादन तथा 1955 और जनवरी, 1967 में आयात के आंकड़ों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1046/67]**

(ख) और (ग) : किस्म में अन्तर होने के कारण मूल्य में फर्क और समय समय पर पर कीमतों पर किसी किस्म के कानूनी नियंत्रण न होने से इस बारे में जानकारी इकट्ठी करना कठिन है । दस वर्षों की लम्बी अवधि में इन पर लगे करों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों अथवा किन्हीं अन्य स्थानीय निकायों के हिस्से के बारे में जानकारी इकट्ठी करना भी कठिन है ।

धरंगाधरा से कुंडा तक बड़ी रेल लाइन

5679. श्री श्रीराज मेघराजजी धुरंगधरा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धरंगाधरा से कुडा तक मीटर गेज लाइन के साथ-साथ एक बड़ी रेल लाइन बिछाने अथवा इस लाइन को मीटर गेज और बड़ी गेज दोनों लाइनों के लिए एक त्रि-रेलवे लाइन के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो वैकल्पिक योजनाओं में से प्रत्येक पर कितनी अनुमानित लागत आयेगी ; और

(ग) प्रत्येक वैकल्पिक योजना को क्रियान्वित करने से लगभग कितना समय लगेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) हाल में की गई जांच से पता चला है कि इस समय धरांगधरा और कुडा के बीच आमान परिवर्तन या मिले जुले आमान की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। धरांगधरा और कुडा के बीच बड़ी लाइन बनाने पर लगभग 1.50 करोड़ रुपये और बड़ी। मीटर मिली-जुली लाइन की व्यवस्था करने पर 1.70 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यातायात के बढ़ जाने पर धरांगधरा और कुडा के बीच मिली-जुली लाइन की व्यवस्था करने की जब आवश्यकता होगी तो इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किया जायेगा। इसलिए इस समय इस योजना को कार्यान्वित करने का सवाल नहीं उठता।

गुजरात में कुटीर-उद्योग

5680. श्री दा० रा० परमार : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67 और 1967-68 में गुजरात राज्य में कुटीर-उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पालनपुर स्टेशन (पश्चिम रेलवे) के निकट रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

5681. श्री दा० रा० परमार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में पालनपुर स्टेशन के दक्षिणी सिरे पर स्थित रेलवे फाटक के बार बार और काफी लम्बे समय तक लगातार बन्द रहने के कारण बड़ी सड़क पर मोटर गाड़ियों के आने-जाने में बहुत अधिक बाधा पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनता की कठिनाई और असुविधा को दूर करने के लिए इस रेलवे फाटक के ऊपर सड़क का ऊपरी पुल बनाने का है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) संभवतः माननीय सदस्य का आशय उस समपार से है जो पालनपुर स्टेशन के दक्षिणी सिरे पर पालनपुर-डीसा सड़क पर है। सही है कि यह एक व्यस्त समपार है, लेकिन हिदायत यह है कि यथासंभव फाटक को लगातार 10 मिनट से अधिक समय तक बन्द न रखा जाय।

(ख) जी हां। क्योंकि राज्य सरकार को भी इसकी लागत में अपने हिस्से का खर्च उठाना है, इसलिए रेलवे द्वारा इस योजना को राज्य सरकार की सलाह से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

डांगरवा तथा अम्बलियासन स्टेशनों (पश्चिम रेलवे) के बीच फ्लैग स्टेशन

5682. श्री द० रा० परमार : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम रेलवे में डांगरवा तथा अम्बलियासन स्टेशनों के बीच एक नया फ्लैग स्टेशन बनाने के बारे में जनता की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

खादी बोर्ड

5683. श्री द० रा० परमार : क्या **वाणिज्य** मंत्री 16 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2857 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य खादी बोर्डों में धोखे तथा गबन के अनेक मामलों में कितनी राशि का गबन तथा धोखा हुआ है ;

(ख) क्या दोषियों से वह राशि वसूल कर ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह राशि किन शीर्षों के अन्तर्गत बट्टे खाते में डाली गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 16 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2857 के उत्तर में निर्दिष्ट छः राज्य बोर्डों के सम्बन्ध में 2,87,978 रु० की कुल राशि अन्तर्ग्रस्त है ।

(ख) और (ग) अब तक लगभग 34,365 रु० की वसूली की जा चुकी है । अतिरिक्त वसूली से सम्बन्धित जानकारी जब प्राप्य होगी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में ऊपरी/निचले पुल

5684. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में गुजरात राज्य में कितने ऊपरी पुल और कितने निचले पुल बनाने का विचार है; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है और इस काम के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दस ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1047/67]**

रेयन कारखाने

5685. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेयन कारखानों के नाम क्या हैं और विभिन्न राज्यों में से प्रत्येक कारखाने में कितने मजदूर काम करते हैं ; और

(ख) इनमें से कितने कारखानों में मजदूरों से एक दिन में केवल पांच घंटे काम लिया जाता है और कितने कारखानों में ऐसी प्रथा नहीं है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत रेयन तन्तु धागे के कारखानों की ओर है। एक विवरण संलग्न है।

(ख) समस्त रेयन धागा कारखाने निरन्तर कार्य के आधार पर चल रहे हैं और पालियों के आधार पर कार्य के सामान्य घंटे उनमें लागू हैं।

विवरण

क्रमांक	कारखाने का नाम	राज्य का नाम जहां स्थित है	काम पर लगे हुए कर्मचारियों की संख्या
1.	2.	3.	4.
रेयन तन्तु धागा			
1.	बड़ौदा रेयन निगम लि०, सूरत।	गुजरात	1611
2.	सेंचुरी रेयन बम्बई।	महाराष्ट्र	3976
3.	जे० के० रेयन, कानपुर।	उत्तर प्रदेश	1400
4.	इण्डियन रेयन निगम लि०, वेरावल।	गुजरात	1100
5.	केशोराम रेयन लि०, कलकत्ता।	प० बंगाल	1583
6.	नेशनल रेयन निगम लि०, बम्बई।	महाराष्ट्र	5358
7.	साउथ इण्डिया विस्कोस, कोयम्बटूर।	मद्रास	1200
8.	ट्रावन्कोर रेयन, ट्रावन्कोर।	केरल	1653
एसीटेट रेयन धागा			
1.	सीर सिल्क लि०, सीरपुर।	आन्ध्र प्रदेश	32,00

Bhopal—Bound Allahabad Passenger Train

5686. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Sharda Nand :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Ranjit Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that six persons were run over by Bhopal-bound Allahabad Passenger Train on the 24th April, 1967 at Imaliya village near Jabalpur;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Presumably the reference is to the incident in which six persons were run over and killed by train No. 388 Up Allahabad-Bhusawal Passenger at about 17.00 hours on 23-4-67, while they were trespassing over the Pariat Bridge at kilometres 1001/2-3 between Adhartal and Deori Stations of the Central Railway.

(b) These persons were crossing the railway bridge in fact of the approaching train and were run over and killed due to their own negligence.

(c) Does not arise.

Assam Mail accident near Sitalpur

5687. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 2 on the 27th March, 1967 and state :

(a) whether the inquiry into the accident of Assam Mail on the North-Eastern Railway which took place near Sitalpur Station has been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, further time likely to be taken in it ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) According to the finding of the Enquiry Committee, the accident was caused by tampering with the track by some unknown persons and no railway staff has been held responsible.

(c) Does not arise.

Sericulture Farms

5688. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of Sericulture farms in different States of the country at present;

(b) the number of the private and public sericulture farms separately;

(c) the incentives given by Government to sericulturists; and

(d) the ratio between the producation and expendiure of the public and private sericulture farms ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b) A statement is placed on the Table of the House **[Placed in Library See No L T 1048/67]**

(c) The nature of assistance and incentives given by the various State Governments to the sericulturists are indicated below.--

(1) Supply of mulberry seed cuttings. Saplings and grafts, free of cost to the extent available.

(2) Supply of disease-free silkworm seed at reasonable rates in the existing sericultural areas and free of cost in new areas.

(3) Faciliteis for marketing of cocoons by setting up of Government Cocoon Markets.

(4) In the case of tasar, the Central Silk Board is operating Price Support Scheme to ensure fair price to the tasar cocoon growers.

(5) Grant of subsidy and loans for sinking wells, construction of rearing houses etc.

(6) Supply of improved rearing appliances, reeling and spinning machinery at subsidised rates.

(7) Technical guidance with regard to modern techniques of rearing, reeling and spinning.

(8) Supply of the chawki worms instead of silkworm seed.

(9) Organisation of co-operatives for the benefit of sericulturists; and

(10) Grant of incentive bonus to selected producers of foreign race seed cocoons.

(d) The sericulture farms organised in the public sector are not commercial undertakings. These are service centres engaged in the production of parental seed, improved seedlings, grafts etc., for distribution to sericulturists. Information regarding production-expenditure rotio is not available in respect of private farms.

Export of Timber to Japan

5689. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the quantity of timber exported by India to Japan for manufacturing pulp during the last two years; and

(b) the names and quantity of the commodities imported from Japan in exchange therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Timber is not a sp cified item. The export of various types of wood to Japan during 1 65-66 and 1966-67 (April-Ferbruary) have been under:—

Description	Unit Cu. m.	1965—66 Quantity	1966-67 (Apl-Feb) Quantity
Sawlogs and veneer logs, roughly squared-confir		1902	-
other than deodar, fir and kail.			
Laurel		150	35
Red Sanders		101	97
Rosewood		100697	7492
Sandal wood		11	28
Other hard wood		1	167
Other sawlog, etc.		6	40

The use to which this wood might have been put by the Japanese Importers connot be said definitely.

(b) Wood was not exported to Japan o barter basis. Hence the question of commodities being imported in exchange does not arise.

Indo Belgium Collaboration

5690. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Onkar Singh :
Shri R. Barua :
Shri Kashi Nath Pandey :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the details of the discussion held recently between the representatives of Government of Belgium and the Government of India in regard to the expansion of trade and economic collaboration between the two countries;

(b) whether India expects more foreign exchange as a result of this collaboration; and

(c) if so, the amount thereof ?

The Deputy Minister in the Minisery of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The trade talks held in New Delhi between the representatives of the Government of Belgium and the Government of India from 4th to 7th April,1967 covered a wide range of subjects, including the review of Indo-Belgian trade, steps to be taken to augment trade exchanges between the two countries, removal of tariff and non-tariff barriers to Indian exports, technical assistance by Belgium for promoting the export of Indian products in the Belgian market, Indo-Belgiam industrial collaboration and steps to be taken to further promoting such collaboration, particularly with a view to achieve product specialisation as a basis for increasing trade exchanges between the two countries, and

Belgium's contribution towards seeking an improvement in the efforts made by the EEC in the Kennedy Round negotiations and towards the solution of the trading Problems of the developing countries, remaining after the Kennedy Round.

2. Regarding the removal of tariff and non-tariff barriers, the Belgian delegation stated that after a review of the results of the Kennedy Round negotiations the Belgian Government, in concert with other developed countries, would give thought to the remaining trading problems of the developing countries with a view to finding solutions for them. On technical assistance for the promotion of Indian exports in the Belgian market, it was agreed that the Belgian Government would consider specific proposals for assistance in the field of participation in trade fairs, exhibitions, publicity for Indian products in Belgium, market research, training of personnel in market research etc. Regarding the intensification of industrial collaboration between the two countries, it was agreed that the Belgian Government would get in touch with high financial groups in Belgium and request them to send experts to India for making survey of further possibilities of industrial collaboration between India and Belgium, particularly with a view to securing product specialisation as a basis of increasing the level of trade exchanges between the two countries.

(b) and (c) It is expected that as a result of these and similar discussions held from time to time and of the efforts being made for promoting India's exports, there would be an increase in those exports over a period of time. It is, however, not possible to quantify such increase-

Taxes on Cars manufactured in India

5691. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 268 on the 31st March, 1967 and state:

(a) whether Government propose to reduce the taxes on the cars manufactured in India and thus reduce their prices in order to make them popular; and

(b) if so, the extent of reduction in taxes and the time by which it will materialise ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No.

(b) Does not arise.

Third Unit of the Heavy Machine Tool Plant of H. E. C., Ranchi

5692. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether is a fact that the third unit of the heavy machine tool plant of the Heavy Engineering Corporation in Hatiya was inaugurated by the Deputy Prime Minister of Czechoslovakia;

(b) if so, the amount spent on the project; and

(c) the terms of collaboration ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The Heavy Machine Tool plant which is one of the Projects of Heavy Engineering Corporation Ltd., was inaugurated by the Deputy Prime Minister of Czechoslovakia on the 20th January 1967.

(b) The amount spent on this project upto the 31st March 1967, was Rs. 13.38 crores.

(c) The project has been set up with assistance from the Government of czechoslovakia who have provided credits for import of equipment, tools and components. Specialists are provided by the foreign consultants, Messrs. Skodaexport, for technical assistance whenever required on terms to be mutually negotiated. Payments for supply of technical and design documentation for the various types of machine tools are to be negotiated with Messrs. Skodaexport as and when the particular machine tools are taken up for manufacture,

आसाम मेल दुर्घटनायें

5693, **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में आसाम मेल रेलगाड़ी की कितनी बार दुर्घटना हुई ;

(ख) जान व माल की कुल कितनी हानि हुई ; और

(ग) सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चं० मु० पुनाचा) (क) सम्भवतः आशय पूर्वोत्तर सीमा पर चलने वाली असम डाकगाड़ी से है जो जुलाई 1966 से जुन 1967 तक की अवधि में तीन बार दुर्घटनाग्रस्त हुई ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में कोई व्यक्ति नहीं मरा । रेल सम्पत्ति की लगभग 53,750 रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

(ग) सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए निम्न लिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) खतरानाक क्षेत्रों में यात्री ढोने वाली गाड़ियों का चलाया जाना दिन के समय तक सीमित कर दिया गया है ;

(ii) सेना के नियंत्रण में काम करते हुए इंजीनियरिंग विभाग के पहरेदारों और रेलवे सुरक्षा दल की सशस्त्र टुकड़ियों द्वारा रेल–पथ पर गश्त लगाना ।

(iii) शाम के बाद आवश्यकता पड़ने पर यात्री गाड़ियों के आगे सर्च–लाईट विशेष गाड़ी चलाना ।

(iv) खुफिया विभाग को मजबूत करना ।

(v) प्लेटफार्मों और चलती गाड़ियों में यात्रियों और उनके सामान की व्यापक जांच करना ; और

(vi) असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने के लिए मार्ग में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सरकारी रेलवे पुलिस या रेलवे सुरक्षा दल को तैनात करने के अलावा महत्वपूर्ण गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा दल और विशेष रेलवे सुरक्षा दल का चलना ।

निर्यात

5694. श्री मधु लिमये : **श्री डा० मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेंडीज़ :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के बाद लगभग पिछले 10 महिनों में निर्यात में अधिक वृद्धि नहीं हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत 10 महीनों में किए गए मुख्य वस्तुओं के निर्यात के आंकड़ों का क्या ब्यौरा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : दो विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखे जाते हैं, जिनमें (1) अवमूल्यन के बाद जून 1966 से मार्च, 1967 तक की अवधि में भारत के निर्यात में मासिक प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है तथा (2) दस महीनों में किये गये मुख्य वस्तुओं के निर्यात के आंकड़ों का ब्यौरा दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1049/67]**

बीजापुर में बागलकोट सीमेंट कम्पनी

5695. श्री मधु लिमये : **श्री स० मो० बनर्जी :**
डा० मनोहर लोहिया : **श्री जार्ज फरनेंन्डीज़**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री 29 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2605 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजापुर स्थित बागल कोट सीमेंट कम्पनी के मामलों की जांच करने के लिये कम्पनी अधिनियम की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निरीक्षक का प्रतिवेदन इस बिच मिल चुका हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(ग) क्या निरीक्षक को कम्पनी के दस्तावेजों में कम्पनी द्वारा सरकार के किन्हीं बड़े अधिकारियों को घूस के रूप में दिए गए धन के बारे में कोई प्रमाण मिला है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) (क) संभवत: माननीय सदस्यों द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न अतांराकित प्रश्न संख्या 2805 हैं, जिसका उत्तर 29 नवम्बर, 1966 को दिया गया था। निरीक्षक ने नवम्बर, 1966 में एक अन्त:कालीन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। जांच पड़ताल के पूर्ण होने पर, वह अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने, अप्रेल 1967 में, कम्पनी अधिनियम की धारा 388 ख तथा 388 घ के अन्तर्गत कम्पनी न्यायाधिकरण को एक प्रार्थनापत्र, न्यायाधिकरण को साथ साथ निवेदन करते हुए बागलकोट सीमेंट कम्पनी लिमिटेड के भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्त्ता, टेन्डुलकर इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष के विरुद्ध मामले की जांच करने, जो बागलकोट सीमेंट कम्पनी के एक वर्तमान निदेशक हैं, तथा यह निष्कर्ष अंकित करने कि बागलकोट सीमेंट कंपनी से अथवा अन्य किसी कम्पनी से सम्बन्धित निदेशक का पद अथवा अन्य किसी पद को प्राप्त करने के लिये वह योग्य तथा उचित व्यक्ति हैं या नहीं, प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के अन्तिम निपटान के अनिर्णित होने से, अन्त:कालीन प्रार्थना पत्र, उसे कम्पनी के कार्यों से प्रबन्ध से अवरुद्ध करने के लिए और मिसिल कर दिया गया है।

(ग) निरीक्षक अभी कम्पनी के लेखे की किताबों को देखने में समर्थ नहीं हुआ है, क्योंकि वह अभी तक न्यायालयों में हैं।

बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन, लिमिटेड

5696. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेंन्डीज :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धकों द्वारा सिलेंडरों की अनियमित खरीद की ओर दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त निगम द्वारा ये सिलंडर रुपयों में भुगतान लेने वाले क्षेत्र से बहुत अधिक मूल्य पर खरीदे गये थे ;

(ग) क्या एक अन्य कम्पनी ने उसी विशिष्ट विवरणों वाले सिलंडर रुपयों में भुगतान लेने वाले उसी क्षेत्र से बहुत कम दामों पर खरीदे थे ;

(घ) क्या शिकायतें की जाने पर बम्बई आक्सीजन कारपोरेशन लिमिटेड ने स्वयं वैसे ही और सिलंडर बहुत कम दामों पर खरीदे ;

(ङ) उक्त निगम की पहली खरीद तथा दूसरी बार की खरीद के मूल्य में कितना अन्तर है ;

(च) क्या कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उस निगम के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां। कम्पनी द्वारा खरीदे गये सिलेंडरों के कागजों की जांच करने के लिए कम्पनी के तीन अंशधारियों की एक समिति की नियुक्ति 28-6-65 को कम्पनी की वार्षिक बैठक में की गई थी। समिति द्वारा प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट में सदस्यों को यह सुझाव दिया है कि कम्पनी में जाकर इसकी पूरी छान बीन की जानी चाहिए। फिर भी उपर्युक्त रिपोर्ट पर समिति की सामान्य बैठक द्वारा कोई कार्रवाही नहीं की गई थी और 10-5-67 को अंशधारियों की समिति की हुई प्रथम बैठक में इस मामले में और आगे प्रश्न भी नहीं उठाया गया था।

(ख), (घ) और (ङ) : कम्पनी से पूर्वी जर्मनी के संभरण कर्त्ताओं के साथ आक्सीजन संयंत्र एपीटिलीन संयंत्र तथा 20,000 आक्सीजन सिलेंडरों का संभरण करने के लिए एक संविदा किया था। आक्सीजन सिलेंडरों का संविदा मूल्य 188 रु० प्रति सिलेंडर था जो बाद में कम करके 175 रु० कर दिया गया था और संविदा को संशोधित करके 20,000 से 19,000 सिलेंडर कर दिया गया था। कम्पनी द्वारा 10,000सिलेण्डरों खरीद लेने के बाद कम्पनी ने पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्त्ता के अनुरोध पर शेष 9,000 सिलेण्डरों का आर्डर रद्द कर दिया था ताकि पूर्वी जर्मन के संभरणकर्त्ता दूसरे ग्राहक के 9000 सिलेण्डरों के अत्यावश्यक आर्डर को पूरा कर सकें। इसके तुरन्त बाद ही विदेशी संभरणकर्त्ताओं ने कम्पनी को पुनः आर्डर देने के लिए यह कह कर प्रार्थना की कि स्थिति बदल जाने के कारण आक्सीजन सिलेण्डरों के पूरे आर्डर कर सकते है किन्तु कम्पनी उस आर्डर को रद्द करने पर दृढ़ रही। जब पूर्वी जर्मनी के संभरणकर्त्ता पूरे आर्डर की स्वीकृति का आग्रह करते रहें तो कम्पनी ने शेष 9,000 सिलेण्डरों को उनसे इस शर्त पर खरीदने के लिए राजी हो गई कि उनकी कीमत कम करके 120 रु० प्रति सिलेण्डर कर दी गई थी। संभरणकर्त्ता अन्त में कीमत घटाने के लिए राजी हो गए और उन्होंने शेष 9,000 सिलेण्डरों का 120 रु० प्रति सिलेण्डर के मूल्य पर संभरण कर दिया।

(ग) सरकार को अन्य फर्मों द्वारा इसी आकार प्रकार के सिलेण्डरों की रूपये में अदायगी करने के क्षेत्र से खरीदे गये सिलेण्डरों की वास्तविक कीमत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है।

(च) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कम्पनी के विरुद्ध इस सौदे के बारे में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

Shortage of Raw Materials

5697. Shri S.C. Samanta : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the percentage of the shortfall in the supply of raw material required for the existing small and major industries and the steps being taken by Government to meet the same ;

(b) the quantity of raw materials required, the supply of which is met by import and the percentage thereof for which arrangements have already been made under the present import policy and the decision taken by Government to meet the remaining requirement; and

(c) the number of small and major industries which remain closed for half or more time for want of raw materials with the result that they are running at a loss ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) ; (a) and (b) : The percentage of the short-fall in the supply of raw materials, if there is any, required for the existing small and major industries varies from industry to industry and from factory to factory. In many cases it will not be possible to determine the same accurately. It is considered that the time and labour involved in the collection of this information will not be commensurate with the results obtained.

Under the liberalised import policy, the Priority Industries are allowed the import of raw materials, components and spares at full capacity level of production. others earn import entitlements as per the current Import Trade Control Policy. These entitlements vary from 5% to 59% of the exports depending on the industries.

So far as the indigenous raw materials are concerned, the problem is limited only to those in short-supply. In respect of them, efforts are being made to meet the requirement both of priority and non-priority industries to the extent possible within the limits of availability,

(c) No case of closure for half or more time has come to the notice of the Government except one food processing unit which is lying closed for want of raw meterial i. e. cocoa beans,

रद्दी इस्पात को उपयोग में लाना

5698. **श्री दामानी** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार रद्दी इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या इससे कोई इस्पात तैयार किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो 1966–67 में कुल कितना इस्पात तैयार किया गया ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) सरकार ने इस्पात का उत्पादन करने के लिए विद्युत भट्ठियां स्थापित करने के बारे में ढील दे दी है जिसके लिए अब लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । सरकार ने मैटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन की स्थापना में भी प्रोत्साहन दिया है जिसका मुख्य काम अधिकाधिक स्क्रेप इकट्ठा करना और उसको उचित रूप से हैंडल करना है । कारपोरेशन का काम यह भी सुनिश्चित करना हैं कि देश में भट्ठियों की पूरी मांग की पूर्ति हो सके और कुछ प्रकार के स्क्रेप के निर्यात की तभी अनुमति दी जाए जब देश की मांग की पूर्ति हो जाए । सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों और बड़ी-बड़ी भट्ठियों में जो स्क्रैप निकलता है उसकी खपत वहीं हो जाती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) स्क्रैप से तैयार किये जाने वाले इस्पात की मात्रा के बारे में ठीक ठीक जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले

5699. **श्री दामानी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में कितने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले लगे ; और

(ख) उनमें से कितने मेलों में भारत ने भाग लिया और अन्य मेलों में भारत द्वारा भाग न लेने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) विश्व भर में प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में मेले तथा प्रदर्शनियां लगती हैं। उनकी वास्तविक संख्या की हमें कोई जानकारी नहीं हैं।

(ख) भारत ने 41 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया। अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के निर्णय विभिद्ध आयोजनों के तुलनात्मक लाभों की उपर्युक्त जांच करके तथा विदेशी मुद्रा एवं अन्य साधनों के विषय में अपनी सीमाओं को ध्यान में रख कर किए जाते हैं।

आयात लाइसेंसों का जारी किया जाना

5700. **श्री दामानी :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मई 1967 को अधिकारियों के पास आयात लाइसेंस जारी किये जाने के कितने आवेद-पत्र विचाराधीन थे ; और

(ख) उनमें से कितने आवेदन–पत्रों का निपटारा कर दिया गया है और किस ढंग से ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 8194।

(ख) 2130 आवेदन-पत्र लाइसेंस जारी करके तथा 1882 अस्वीकृति अथवा आवेदनों में त्रुटी बताने वाले पत्र जारी करके निपटा दिए गए है। नये कारखानों से प्राप्त शेष आवेदन-पत्र, जो अलोह धातुओं के आयात से सम्बन्धित हैं, विचाराधीन है क्योंकि इस विषय में आयात नीति पर सम्बद्ध प्रायोजक प्राधिकारियों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर

5701. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :**
श्री य० अ० प्रसाद
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री श० ना० माइती
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री न० कु० सांधी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के प्रबन्ध निदेशक, श्री एस० एम० पाटिल द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की वित्तीय तथा कारोबारी सम्बन्धी स्थिति इस समय बहुत गम्भीर है ।

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति किन कारणों से उत्पन्न हुई है ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फकरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जी हां, मशीनी औजारों की मांग गिर जाने के कारण कम्पनी के पास कुछ स्टाक इकठ्ठा हो गया है और इससे कंम्पनी की पूर्ण क्षमता के प्रयोग और इसकी आर्थिक स्थिति को धक्का पहुँचा हैं ।

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए कम्पनी ने अपने उत्पादन में विविधता लाने और नई और बढ़िया किस्म की मशीनों के निर्माण तथा निर्यात वृद्धि के अपने प्रयासों में सघनता लाने का प्रस्ताव किया है ।

Industries set up in the Country

5702. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of industries set up in the various States of the country during 1966-67 with the financial assistance of the Central Goverment;

(b) the total financial assistance provided to them during 1966-67;and

(c) the number of such units run by State Governments?

The Minister of Inustrial Development and Company Affair (Shri Fakhruddin Ali Ahmed): (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the Tabe of the House in due course.

Seizure of Wagons Loaded with peas at Mathura Station

5703. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether it is a fact 19 wagon loaded with peas were seized at Mathura Railway station intended to be smuggled outside as reported in the "Nav Bharat Times" dated the 18th May, 1967 ;

(b) if so, the action taken in the matter ;

(c) the place to which these peas were being taken; and

(d) the total quantity of peas and its value ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Only one wagon loaded with peas was detained at Mathura and returned to Belanganj where the contents of the wagon were seized.

(b) At Police Station Chhata, Agra City, a case under section 3/7 Essential Commodity Act has been registered, which is under investigation. Two Railways employees of the Belanganj Goods Shed, who were connected with the booking of the wagon, have been placed under suspension and the case against them is pending enquiry.

(c) The bags containing peas were booked ex- Belanganj to Carnac Bunder, Bombay

(d) 185 bags valued at Rs. 7,500/- approximately.

पंजाब में औद्योगिक परियोजना

5704. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य की सरकार ने पंजाब राज्य में पांच औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने हेतु लाइसेंस देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) राज्य में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के बारे में लाइसेंस के लिए फरवरी, 1964 के के पश्चात् पंजाब सरकार का कोई आवेदन पत्र नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय रेलवे अधिकारियों के गोपनीय शीघ्रलिपिक

5705. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय रेलवे अधिकारियों के साथ सम्बद्ध गोपनीय शीघ्रलिपिकों को अन्य वर्गों के शीघ्रलिपिकों की तुलना में आरम्भिक वेतन अधिक मिलता हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री श्री (चे०मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बुधनी रेलवे स्टेशन के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना

5706 **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 मई, 1967 को मध्य रेलवे के इटारसी-झांसी सेक्शन पर बुधनी रेलवे स्टेशन के निकट माल एाड़ी का इंजन और उसके चार डिब्बे पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना होने के क्या कारण थे; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति की कुल कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) :(क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय उस दुर्घटना से है जिसमें 27-5.1967 को बुदनी स्टेशन पर नं० ई 10 अप मालगाड़ी का इंजन और पाच मालडिब्बे पटरी से खतर गये थे।

(ख) ड्राइवर गाड़ी को रेतहम्प में ले गया जब कि प्रस्थान सिगनल 'आन' था।

(ग) रेल सम्पत्ति को अनुमानत: लगभग 42,000 रुपये की क्षति हुई।

पेरिस में 'इंडिया फोर्टनाइट' प्रदर्शनी

5707. **श्री नम्बियार :**
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि:
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री नायनार :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस में स्थित भारतीय दूतावास ने हाल में पेरिस में 'इण्डिया फोर्ट-नाइट' नामक प्रदर्शनी आयोजित की थी ;

(ख) भारतीय दूतावास ने इस प्रदर्शनी पर कितना धन व्यय किया था ; और

(ग) इस प्रदर्शनी के माध्यम से कितने मूल्य की वस्तुएं बिकी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी क़ुरेशी) : (क) जी, हां। आहार प्रदायकों एवं ठेकेदारों की एक फर्म मैसर्स वैगन लिट्स तथा भारतीय हथकरघा तथा हस्तशिल्प के आयतक मैसर्स जनरल एक्सपोर्ट से सम्बन्ध एक फर्म मैससं बोन्टीक्यूज डेस नेशैस के सहयोग से।

(ख) भारतीय कपड़े से बनी पौशाकों का फैशन-शो, भारतीय नृत्यों गीतों के आयोजन तथा भारतीय पाक-विधि का प्रदर्शन।

(ग) आयोजकों द्वारा समस्त खर्चा वहन किया गया। दूतावास ने केवल 951 रु० खर्च किये।

(घ) लगभए 90,909 रुपये।

कालापासेरी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना

5708. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री अदिचन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में कालापासेरी में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी पुंजी लगाई जायेगी और उससे कितने नये व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

औद्योगिक विकास थात समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) मूल प्रस्ताव यह था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमीटेड के कालापासेरी स्थित कारखाने का विस्तार करके इसकी वार्षिक क्षमता 5 करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनों से बढ़ाकर 10 करोड़ रु० के मूल्य की मशीनें कर दिया जाय। मशीनी औजारों की मांग के गिर जाने के कारण इस योजना को अभी स्थगित कर दिया गया है। इस योजना पर कुछ और समय तक मांग के रुख को देखकर पुनर्विचार किया जायगा।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा देय रायल्टी की रकम

5709. **श्री गं०च० दीक्षित :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रसादतः रायल्टी की रकम कितनी है ; और

(ख) इसमें से कितनी रकम मध्य प्रदेश सरकार को दी जा चुकी है।

इस्पात खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क)राष्ट्रीय कोयला निगम द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को सालवार अनुग्रहात दी जाने वाली रकम जो कि निगम द्वारा देय स्वामिस्व के बराबर है, निम्न प्रकार है :–

1963-64	125,566 रुपये
1964-65	1,80,760 रुपये
1965-66	1,44,925 रुपये

(ख) अभी तक अदा की गयी राशी निम्न प्रकार है :–

1963-64	410.00 रुपये
1964-64	49,678.00 रुपये
1965-66	49,724.00 रुपये

रेलगाड़ियों के आने जाने का समय

5710. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) अप्रैल, 1957 से लागू हुई रेलवे की नई समय सारिणी में कितनी रेल गाड़ियों का समय बदला गया है ; और

(ख) प्रत्येक जोन में, विशेषकर पूर्वोत्तर रेलवे में, गाड़ियों के समय में क्या-क्या परिवर्तन किये गये ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) लगभग 2044 गाड़ियों का ।

(ख) मध्य रेलवे – 85 गाड़ियां
पूर्व रेलवे – 421 ,,
उत्तर रेलवे – 312 ,,
पूर्वोत्तर रेलवे – 119 ,,
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे – 136 ,,
दक्षिण मध्य रेलवे – 177 ,,
दक्षिण पूर्व रेलवे – 38 ,,
दक्षिण रेलवे – 322 ,,
पश्चिम रेलवे – 434 ,,

छात्रों द्वारा जमालपुर स्टेशन पर रेल गाडी का रोका जाना

5711. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि 2 जून, 1967 को कई सो छात्रों ने पूर्वी रेलवे के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर गया-हावड़ा यात्री गाड़ी को तीन घंटों तक रोक लिया था और उन्होंने गार्ड के पार्सल डिब्बे मे से समाचार पत्रों के बण्डल लूट लिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) 2-6-67 को इस तरह की कोई घटना नहीं हुई । लेकिन 1-6-67 को 338 डाउन गया-सियालदह सवारी गाड़ी 13 38 बजे जमालपुर पहुंची और 15.20 बजे वहाँ से छूटी । इस गाड़ी के वहां रुकने का निर्धारित समय 15 मिनट है, लेकिन इसे 87 मिनट तक और भी रुके रहना

पड़ा क्योंकि प्लेटाफर्म पर अत्यधिक संख्या में एकत्रित छात्र उन समाचार–पत्रों की प्रतियां लेने के लिये ब्रेक-यान की और दौड़ पड़े जिनमें भागलपुर विश्वविद्यालय की स्कूल की अन्तिम परीक्षा का परिणाम प्रकाशित हुआ था। सरकारी रेलवे पुलिस ने समय पर कार्यवाही करके उन्हें ब्रेकयान से घुसने से रोका। लेकिन बाद में भीड़ ने पुलिस का घेरा तोड़ दिया पर गाड़ी के गार्ड ने समाचार–पत्रों के अलावा ब्रेक–यान में में पड़े अन्य कीमती सामान को बचाने के उद्देश्य से समाचार पत्रों के कुछ बडल छात्रों की और फेंक दिये। इससे स्थिति सम्भल गयी और छात्र समाचार-पत्र लेकर स्टेशन से चले गये। न तो पार्सल यान लूटा गया और न रेल सम्पति को ही कोई क्षति हुई।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस, जमालपुर ने स्टेशन डायरी में इस घटना को दर्ज कर लिया और जमालपुर से भागलपुर तक गाड़ी में सरकारी पुलिस तैनात कर दी गयी ताकि इस तरह की घटना फ़िर न हो।

राजस्थान में सर्वेक्षण कार्य में लगा हुआ अमीरीकी दल

5712. **श्री प० राम मूर्ति :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री नायनार :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री चक्रपाणि :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 23 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3493 के उत्तर के संबंध से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की खनिज सम्पत्ति का विमान द्वारा सर्वेक्षण करने का टेका किस अमरीकी फर्म को दिया गया है ; और

(ख) ठेके का ब्यौरा क्या है?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (ख) लास एंजेलस की पारसंस कारपोरेशन तथा उनके सहयोगी एरो सर्विस को कारपोरेशन को यह ठेका दिया गया है।

(ख) ठेके की मुख्य बातें ये हैं :–

1. ठेकेदार संघटित रूप से भारत सरकार के समस्त आदेशानुसार हवाई सर्वेक्षण, भौमिक अनुवर्ती अनुसंधान हीरक व्यधन, और धातुकार्मिक, रासायनिक तथा अयस्क अभिशोधन जांचे सम्पन्न करेगा

2. वह निम्न लिखत विशेषज्ञ तथा सेवाएं प्रदान करेगा :

(क) ऐरो–मेगनेटकि तथा सिंटीलोमीटरिक सर्वेक्षणों के लिये खास उपकरणों से सज्जित वायुयान।

(ख) भूविज्ञान, भूविज्ञान मानचित्रण, भूभौतिकी, भूरसायन, धातुकार्मिक अयस्क अभिशोधन और व्यधन के क्षेत्रों में विशेषज्ञ ।

हर एक अमरीकी विशेषज्ञ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा भारतीय खान ब्यूरो से लिये गये उचित भारतीयों अधिकारियों के सहयोग कार्य करेगा ।

सब हवाई उड़ानों पर उपयुक्त भारतीय अधिकारियों का कड़ा नियंत्रण रहेगा ।

3. हवाई सर्वेक्षण, भौमिक अनुवर्ती कार्य तथा व्ययधन एक इंजीनियरी फरमों के समूह द्वारा किया जायगा जो कि भारतीय सरकार की आव्यकताओं तथा समयावलि के अनुसार आवश्यक उपकरण तथा सेवाओं का आयोजन करेगा ।

Central Sericulture Research Institute, Mysore

5713. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Arjun Singh Bhaduria :
Shri Ram Avtar Sharma:
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Commerce be pleased to State ;

(a) Whether Governments attention has been invited to the news item published in the "Blitz,, dated the 27th May, 1967 giving datails of the illtreatment meted out to one, Dr. Gurdayal Parshad, who was working as a Assistant Director in the Central Sericulture Research Institute, Mysore;

(b) whether Government have looked into the matter; and

(c) if so, the decision taken thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd Shafi qureshi) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) As Dr. Gurdayal Pershad's services were terminated during the period of his probation and there was no ill-treatment meted out to him, no further action on the news item in Blitz is called for.

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार कार्यक्रम

5714, श्री श्रद्धाकर सुपकार : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता को बढ़ा कर 25 लाख टन करने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है;

(ख) क्या तार-छड़ बनाने का कारखाना भी तैयार हो चुका है; और

(ग) यदि हां, तो इस विस्तार कार्य पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) : जी हां। अन्तिम बड़ी इकाई अर्थात् तार-छड़ बनाने का कारखाना चालू होने वाला है।

(ग) अवमूल्यन से पहले विस्तार कार्य पर 13801 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इस अनुमान में अवमूल्यन के प्रभाव, सीमा-शुल्क, समुद्री और देश के आन्तरिक भाग में भाड़े में परिवर्तनों और अन्य कारणों से संशोधन किया जा रहा है।

इलाहाबाद-भुसावल तथा इलाहाबाद-इटारसी रेलगाड़ियों में लगाई जाने वाली बोगियां

5715. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री 26 मई 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 482 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 387 डाउन /388 अप इलाहाबाद-भुसावल तथा 389 डाउन /390 अप इलाहाबाद-इटारसी एक्सप्रेस गाड़ियों में इस समय जोड़ी जाने वाली बोगियों की संख्या सात है और कई बार उससे भी कम होती है, और नौ नहीं होती; और

(ख) यदि हां, तो फिर से उनकी संख्या नौ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : इन गाड़ियों में लगाई जाने वाली बोगियों की निर्धारित संख्या 9 है। लेकिन पिछले लगभग 2 महिनों से इनमें कम बोगियां लगाई जा रही हैं जो आमतौर पर 7 से 8 होती हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं कि 387 डाउन /388 अप भुसावल-इलाहाबाद और 389 डाउन /390 अप इटारसी-इलाहाबाद सवारी गाड़ियों में सामान्यतः 9 बोगियां लगायी जायें।

मद्रास में औद्योगिक मेला

5716. **श्री उमानाथ** :
श्री सत्य नारायण सिंह
श्री नम्बियार :
श्री नायनार :
श्री चक्रपाणि :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देशों ने भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा औद्योगिक मेले में भाग लेने से पहले कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों ने स्पष्टीकरण मांगे हैं तथा क्या क्या स्पष्टीकरण मांगे थे; और

(ग) उन देशों को क्या स्पष्टीकरण दिये गये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रायः अनेक विदेशी मिशनों एवं सरकारों द्वारा प्रदर्शनीय वस्तुओं के आयात एवं बिक्री के लिये अपनाई जा रही क्रियाविधि के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गये हैं।

(ग) प्रदर्शनीय वस्तुओं के आयात एवं बिक्री की सुविधाओं से सम्बन्धित जानकारी उन सब को, जिन की इस में दिलचस्पी है, अब प्रदान की जा चुकी है। मोटे तौर पर स्थिति यह है कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मेला, मद्रास, 1968 में प्रदर्शित किये जाने वाले माल का बिना शुल्क आयात करने की अनुमति दी जायेगी। प्रदर्शनी के अन्त में वैध आयात लाइसेंसों के आधार पर शुल्क देकर भारतीय पार्टियों को प्रदर्शित वस्तुओं की बिक्री पर कोई आपत्ति नहीं होगी। अनुमति योग्य मदों की बिक्री के लिये पूरक लाइसेंस भी प्राप्य होंगे जो विदेशी प्रदर्शकों द्वारा सुरक्षित किये गये स्थल के प्रति वर्ग फुट स्थान के लिये अधिक से अधिक 50 रुपये के मूल्य के होंगे।

रेलवे लोको शैडों के फोरमैनों को भत्ता

5717. **श्री मधु लिमये :**
श्री रवि राय :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री आ० ना० मुल्ला :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चितरंजन रेल इन्जन वर्क्स तथा इंटिगरल कोच फैक्टरी में फोरमैनों तथा सहायक फोरमैनों को क्रमशः 150 रुपये मासिक तथा 75 रुपये मासिक अधीक्षण भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलवे लोको शैडों, वर्कशापों आदि में फोरमैनों को यह भत्ता नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनके काम और जिम्मेदारियों में क्या अन्तर है जिसके कारण यह भेद भाव करना पड़ा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) रेलों पर फोरमैन के लिये अधिकतम वेतन मान 450–25–575 रुपये है। जगन्नाथ दास वेतन आयोग ने विशेष रूप से यह सिफारिश की थी कि उत्पादन कारखानों में फोरमैनों के वेतन मान की अधिकतम सीमा 575 रुपये से बढ़ा कर 650 रुपये कर दी जाये और कुशलता रोध 575 रुपये रखा जाये। वेतन मान की अधिकतम सीमा बढ़ाने की बजाय यह निश्चित किया गया कि चितरंजन रेल इंजन कारखाने और सवारी डिब्बा कारखाने में 450–575 रुपये के वेतन मान वाले फोरमैनों को प्रति मास 150 रुपये विशेष वेतन दिया जाये। इन संगठनों के दूसरे फोरमैन या सहायक फोरमैन किसी किस्म का विशेष वेतन पाने के पात्र नहीं हैं। दूसरे रेल कारखानों में, जो उत्पादन कारखाने न होकर मुख्यतः मरम्मत कारखाने हैं, काम करने वाले फोरमैन भी इस तरह के विशेष वेतन पाने के पात्र नहीं हैं।

स्टेनलैंस स्टील

5718. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टेनलस स्टील का कितना उत्पादन होता है और क्या इससे देश की आवश्यकता पूरी हो सकती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिये देश में निकट भविष्य में इसका उत्पादन आरम्भ करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) : आजकल दुर्गापुर के मिश्र-इस्पात कारखाने में थोड़ी मात्रा में स्टेनलैंस स्टील का उत्पादन किया जा रहा है। यह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। वित्त वर्ष के अन्त में जब कारखाना पूरा उत्पादन करने लगेगा, स्टेनलैंस स्टील के उत्पादन की क्षमता 18,000 टन प्रति वर्ष की हो जाएगी। चौथी योजना में कारखाने के विस्तार के पश्चात् यह और भी अधिक हो जाएगी। गैर सरकारी क्षेत्र में भी कुछ पार्टियों को लाइसैंस दिये गये हैं और ऐसी आशा है कि अगले कुछ वर्षों में बहुत हद तक देश की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी।

मध्य रेलवे के कर्मचारी संघ

5719. श्री नीतिराज सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के प्रत्येक डिविजन में कौन कौन से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ हैं और मान्यता विहीन कर्मचारी संघ कौन कौन से हैं; और

(ख) उनके मुख्यालय कहां कहां पर हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) : रेलों पर संघों को मण्डलीय आधार पर नहीं बल्कि पूरी रेलवे के लिए मान्यता दी जाती हैं।

मध्य रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त संघ और उनके मुख्यालय इस प्रकार है :—

(i) सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ-बम्बई।

(ii) नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन-बम्बई।

सरकार के पास ऐसे संघों के बारे में विस्तृत सूचना नहीं है जिन्हें मान्यता नहीं मिली है और जो मध्य रेलवे पर काम कर रहे हैं फिर भी, जिन संघों को मान्यता नहीं मिली है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं और उनके मुख्यालय उनके सामने दिये गये हैं :-

(i) मध्य रेलवे कर्मचारी संघ-बम्बई।

(ii) सेन्ट्रल रेलवे मजदूर यूनियन-बम्बई।

(iii) सेन्ट्रल रेलवे सवतंत्र कामगर संघ-भुसावल।

सूरी ट्रांसमिशन वाले इंजन

5720. **श्री पहाड़िया :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मनी से अब तक ऐसे कितने रेल इंजन आये हैं जिनमें सूरी ट्रांस मिशन लगा हुआ है;

(ख) भारत में चितरंजन, वाराणसी अथवा अन्यत्र ऐसे कितने इंजन बनाये गये हैं जिनमें सूरी ट्रांस मिशन लगा हो;

(ग) उन इंजनों को वास्तव में चलाने से उनकी कार्यकुशलता, रखरखाव तथा मरम्मत आदि के बारे में, उन इंजनों की तुलना में जिनमें सूरी ट्रांस मिशन न लगा हो क्या अनुभव रहा है; और

(घ) विदेशों में इंजनों में प्रयोग लाये जाने वाले सूरी ट्रांस मिशनों पर कितनी रायल्टी मिली है तथा कौन कौन से देश इन ट्रांसमिशनों का उपयोग कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जर्मनी से अब तक सूरी ट्रांसमिशन युक्त बड़ी लाइन के 7 और छोटी लाइन के 25 डीजल शैंटिंग इंजन मिले हैं।

(ख) 1967-68 और 1968-69 में आयात "पावर पैक" का प्रयोग करके चितरंजन रेल इंजन कारखाने में 27 रेल इंजन बनाने का कार्यक्रम है।

(ग) सूरी ट्रांस मिशन युक्त इंजनों के काम का अनुभव प्रायः सन्तोषजनक पाया गया है। यद्यपि डीजल इंजनों से कुछ दिक्कतें पेश आयी हैं किन्तु सूरी ट्रांस मिशन ठीक काम रहा है। संभावना यह है कि इनसे ईंधन की खपत में कुछ किफायत होगी किन्तु उसकी ठीक ठीक मात्रा का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि, कुल मिला कर किफायत गाड़ी की किस्म, परिचालन रफ्तार, अनुरक्षण सम्बन्धी समस्याओं आदि पर निर्भर है। समान परिस्थितियों में उनके कार्य के तुलनात्मक आंकड़े केवल उसी समय उपलब्ध हो सकेंगे, जब निर्माणाधीन इंजन, परीक्षण के बाद कुछ समय तक प्रयोग में आयेंगे।

(घ) सूरी ट्रांस मिशन युक्त एक भी रेल इंजन विदेशों में नहीं चल रहा है। अतः रायल्टी का कोई सवाल नहीं उठता।

कोयले का आयात

5721. **श्री समर गुह :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पूर्वी पाकिस्तान के अनेक नेताओं ने एक संयुक्त सार्वजनिक वक्तव्य में पाकिस्तान सरकार से अनुरोध किया है कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिये इंधन की अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये फिर से भारत से कोयले का आयात किया जाये;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार ने कोई पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। भारत से कोयले का फिर से आयात आरंभ करने के लिये पाकिस्तान सरकार की किसी कार्यवाही के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चाय–बागानों के क्षेत्र का विस्तार

5722. श्री हेम राज : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1965–66 और 1966–67 में चाय बागानों के क्षेत्रों के विस्तार के लिये भिन्न भिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार कितने कितने क्षेत्रों के लिये परमिट दिये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

राज्य	क्षेत्र (हेक्टार में) जिसके लिये चाय बोर्ड द्वारा चाय क्षेत्र के विस्तार के लिये परमिट दिये गये हैं।	
	1965–66	1966–67
असम	4361.99	3840.57
प० बंगाल	1981.09	628.00
त्रिपुरा	80.35	—
मद्रास	432.08	307.98
केरल	657.70	183.68
मैसूर	85.79	116.33

चाय का उत्पादन

5723. श्री हेम राज : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिन्न भिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में नई भूमि में चाय उगाने में राज्य–वार तथा संघ क्षेत्र वार कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे चाय की खेती के विस्तार के लिये उपयुक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण करें। कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है जैसा कि नीचे दिया जाता है :—

(1) **उपूसी :** इस क्षेत्र में चाय बागान लगाने के इच्छुक कई उद्यमियों के प्रार्थना पत्र, जिन पर चाय बोर्ड की सिफारिशें हैं, उपूसी (नेफा) प्रशासन के विचाराधीनहैं।

(2) **अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह :** एक अध्ययन दल ने, जिसने, 1966 में इस द्वीप समूह में चाय की खेती की सम्भावनाओं की जांच की थी, सिफारिश

की कि वाणिज्यक आधार पर चाय बागानों को प्रारम्भ करने के पूर्व दीर्घावधि परीक्षण आवश्यक हैं। तदनुसार इस मामले पर अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त के साथ बातचीत की जा रही है।

(जम्मू) : एक अध्ययन दल द्वारा प्रारम्भिक जांच की गई है जिसने लघु अवधि तथा दीर्घावधि दोनों ही प्रकार के परीक्षणों की सिफारिश की है। चाय बोर्ड के परामर्श से जम्मू एवं काश्मीर सरकार मामले पर विचार कर रही है।

Sale of Handloom Cloth in Andhra Pradesh

5724. **Shri M. S. Murti :**
Shri Umanath :
Shri Jyotirmoy Basu :
Shri E. K. Nayanar :
Shri Nambiar :
Shri Ganesh Ghosh :

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whethes Government are aware that Andhra Pradesh State Government owes not less than Rs. 75 lakhs towards rebate to the weavers co-operatives in the State and they have also stopped giving rebate to consumers on the sale of handloom cloth by Weavers Cooperatives in the State from the 1st June, 1967 on the plea that there were no funds available with them; and

(b) if so, the steps taken to reimburse immediately the rebate amount due to the weavers cooperatives and to continue the rebate scheme in the State as is being done in other States to encourage the sale of handloom cloth in the cooperative sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshri) :

(a) Yes, Sir

(b) The reimbursement is to be made by the Government of Andhra Pradesh. As financial assistance by the Centre follows a uniform pattern in respect of all States concerned the matter is being taken up with the Government of Andhra Pradesh.

प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आरक्षित स्थान

5725. **श्री शम्भूनाथ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित स्थान इस सम्बन्ध में संविधान में की गयी व्यवस्था की अवहेलना करके भरे जा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो गत पांच वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी पदों के कितने अधिकारियों का चयन किया गया;

(ग) क्या आरक्षित स्थानों को गृह कार्य मन्त्रालय की पूर्व अनुमति से समाप्त किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं।

(ख) चौरासी।

(ग) और (घ) रेल सेवा की प्रथम और द्वितीय श्रेणियों में सीधी भर्ती संघीय लोक सेवा आयोग की सिफारिश से की जाती है। जब आयोग अपेक्षित संख्या में अनुसूचित जातियों अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के नामन की स्थिति में नहीं होता, तब गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यविधि के अनुसार समय-समय पर रिक्त स्थानों का आरक्षित समाप्त कर दिया जाता है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में अप्रयुक्त क्षमता

5727. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची में लगातार क्षमता बेकार पड़ी रहने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) कम्पनी की तीन परियोजनाओं में से ढलाई गढ़ाई संयंत्र तथा भारी मशीनी औजार संयंत्र अभी पूरी किये जाने को है और इनमें केवल आंशिक उत्पादन प्रारम्भ हुआ है। जहां तक तीसरी परियोजना अर्थात भारी मशीनी औजार संयंत्र का सम्बन्ध है उसमें कोई अप्रयुक्त क्षमता नहीं है। फालतू क्षमता की समस्या 1970-71 में उत्पन्न होगी। क्योंकि यहां मशीनें आर्डरों के अनुरूप बनाई जाती हैं, इसलिये उनकी डिजाइनों औद्योगिकीय प्रलेख आदि तैयार करने में लगभग 18 महीने लग जाते हैं और उनके निर्माण में 12 महीने लग जाते हैं। निर्माण की इस लम्बी प्रक्रिया होने के कारण क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त अग्रिम आर्डर प्राप्त होने चाहिये। संयंत्र को पर्याप्त अग्रिम आर्डर दिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके उत्पादन में विविधता लाने के भी यथासम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

बियर का उत्पादन

5728. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री देश में शराब बनाने के कारखानों की संख्या तथा बियर का वार्षिक उत्पादन तथा उसका मूल्य बताने की कृपा करेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : देश में सुनियोजित क्षेत्र में शराब बनाने के चार कारखाने हैं जो कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मैसूर और पश्चिमी बंगाल राज्यों में प्रत्येक में एक एक है। इनका वार्षिक उत्पादन 17,463 किलो लिटर है जिसका मूल्य 3.80 करोड़ रुपये है।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात और निर्यात

5729. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वस्तुओं के आयात और निर्यात में विलम्ब होने के बारे में शिकायतें बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है ;

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिलामाइट के निक्षेप

5730. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सिलामाइट के निक्षेपों को निकालने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन स्थानों पर कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ग) क्या सिलामाइट के निक्षेपों को निकालने के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नहीं महोदय।

(क) और (ग प्रश्न ही नहीं उठते।

वातानुकूलकों और रेफ्रीजरेटरों का आयात

5731. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वातानुकूलकों, रेफ्रीजरेटरों तथा कारों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में इन मदों पर पृथक-पृथक कितना धन व्यय किया गया था; और

(ग) गत तीन वर्षों में इन पृथक पृथक रूप में कितने प्रतिशत आयात शुल्क तथा अन्य शुल्क लगाये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) आयात नियंत्रण होते हैं अन्तर्गत वातानुकूलकों, रेफ्रीजरेटरों तथा कारों के आयात पर पाबन्दी है । जो आयात नीति के वे, व्यक्तिगत सामान के रूप में या निवास स्थानन्तरण नियमों के अन्तर्गत, और राजनितिक विशेषाधिकार प्राप्त विदेशी व्यक्तियों द्वारा किये जाते हैं ।

(ख) वास्तविक आयात निम्नलिखित थे :

मूल्य लाख रुपये में

क्रमश:	विवरण	1964-65	1965-66	1966-67 (फरवरी, 67 तक)
1.	वातानुकूलक मशीनें	8	10	6
2.	रेफ्रीजरेटर (जल-प्रशीतकों सहित)	33	41	24
3.	कारें	31	44	16

(ग) दो विवरण समा पटल पर रख दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1050/67]**

First Class and Air Conditioned Coaches

5732. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply givien to Unstarred Question No. 2751 on the 16th June, 1967 and state:

(a) the expenditure incurred by Government during 1963-64, 1964 65 and 1965-66 on the maintenance of Air-conditioned and first class compartments;

(b) the total number of Air-conditioned, 1st Class and 3rd Class compartments in working order in the year 1965-66; and

(c) the daily average number of passengers per coach in the aforesaid three classes during 1965-66 ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Details are not available, as expenditure incurred on the maintenance of coaches is not maintained separate'y, typewise or classwise.

(b) The number of coaches on line as on 31.3.1966 was as follows:

Air-conditioned Class	117	Coaches.
Partial Air-conditioned coaches,	111	

I Class	1751	,,
III Class	12560	,,
Composite coaches with I & III Class accommodation	7517	,,

(c) Details are not available, as statistics in respect of passenger carried per coach are not maintained separately typewise or classwise.

प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालय

5733. **श्री वाल्मीकी चौधरी :**
श्री शिव चण्डिका प्रसाद :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न स्टेशनों पर प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रतीक्षालयों की व्यवस्था किस आधार पर की जाती है;

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के ऐसे कितने स्टेशन हैं जहां पर प्रथम श्रेणी के प्रतिक्षालय नहीं है और ऐसे कितने स्टेशन हैं जहां पर प्रतिक्षालय बिल्कुल भी नहीं हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यदि स्टेशन पर आने जाने वाले ऊंचे दर्जे के यात्रियों की दैनिक संख्या 25 या उससे अधिक होती है तो उनके लिए अलग प्रतीक्षालयों की व्यवस्था की जाती है। मुसाफिरखाने या विचरण क्षेत्र सभी स्टेशनों पर होते हैं और सभी दर्जों के यात्री उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

(ख) 528 स्टेशनों पर पहले दर्जे के यात्रियों के लिए कोई प्रतिक्षालय नहीं है लेकिन इनमें से 176 स्टेशनों पर ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिए प्रतिक्षालय हैं।

पन्द्रह स्टेशनों पर अब मुसाफिरखाने बनाये जा रहे हैं। इनके सिवाय बाकी सभी स्टेशनों पर प्रतीक्षा की सुविधा उपलब्ध है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलोर

5735. **श्री कृष्णन :**
श्री तुलसीदास दासप्पा :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, लिमिटेड बंगलोर में स्थानीय लोगों की बजाय बाहर के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है; और

(ख) उक्त सरकारी उपक्रम में कितने प्रतिशत स्थानीय कर्मचारी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी अथवा उसके समकक्ष ग्रेडों वाले स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर अखिल भारत के आधार पर विज्ञापन करके भर्ती की जाती है और इसके राज्यनुसार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। जहां तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी या उसके समकक्ष स्थानों का संबंध है, जानकारी का पता लगाया जा रहा है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी। यह मान लिया गया है कि निम्न वेतन वाले स्थानों पर परियोजना के आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करना अधिक लाभदायक रहेगा।

Looting of Train at Ranaghat Station

5736. **Shri Nihal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some goondas stopped a train at Ranaghat near Veenapur when it was about to start and looted rice and vegetables as reported in the "Hindustan',, dated the 17th June, 1967;

(b) if so, the number of persons arrested in this connection and the action taken against them; and

(c) the total loss accrued thereby ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes. The correct position is that on 15.6.1967, Train No. P-400 Down Banpur-Sealdah local was stopped at 18.36 hrs. by the local public near North Cabin of Banpur station by squatting on the track and looted Jack fruit baskets of the vendors compartment.

(b) Government Railway Police, Ranaghat, have registered a case u/s 147/148/323/379 IPC and 108/121 of the Indian Railways Act which is under their investigation. No arrest has so far been made.

(c) Rs. 1,860/-, the value of the alleged looted Jack fruits and the personal cash of local vendors amounting to Rs. 326/-.

दिल्ली में गाड़ियों का देर से आना

5737. **श्री राम चरण :**
श्री बेघर बेहरा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सवेरे वाली सभी गाड़ियां 83 अप, 39 अप और 13 अप सवेरे काफी अर्से से दिल्ली प्रतिदिन देर से पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

(ग) रेलवे प्रशासन ने गाड़ियों के देर से आने को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये दिल्ली और खुर्जा के बीच में कोई स्थानीय शटल गाड़ी चलती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो दिल्ली और खुर्जा के बीच इस शटल गाड़ी को चलाने में विलम्ब होने के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) जी नहीं, लेकिन इन गाड़ियों का आना-जाना संतोषजनक नहीं रहा है । ये गाड़ियां मुख्यरूप से मुख्यतः तांबे के तार की चोरी के कारण कंट्रोल की खराबी की अधिक घटनाओं, खतरे की जंजीर का अविवेकपूर्ण प्रयोग, पार्सल चढ़ाने-उतारने आदि के कारण देर से आयी हैं । इन तथा अन्य गाड़ियों के चालन में सुधार करने के उद्देश्य से एक समय-पालन अभियान चलाया गया है ।

(घ) और (ङ) 39 अप जनता एक्सप्रेस और 2 एजेडी गाड़ियां दिल्ली और खुर्जा के बीच चलने वाले उपनगरीय यात्रियों की आवश्यकताएं पूरी कर रही है । मार्ग की अड़चनों तथा खुर्जा स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण इस समय एक अतिरिक्त शटल गाड़ी का चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है ।

Accident near Nonera Station (Gwalior-Bhind Section)

5738. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2090 on the 9th June, 1967 regarding the train accident between Gohad Road and Nonera Station on the 23rd May, 1967 and state :

(a) whether the cause of the accident has been ascertained;

(b) if so, the result thereof;

(c) the name of the driver of the train involved and since when he had been working on the narrow-gauge line of this section; and

(d) the nature of compensation paid to the families of the persons killed and to the injured ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) According to the provisional finding of the Additional Commissioner of Railway Safety, the accident was due to the train being driven at excessive speed.

(b) The name of the driver of the train involved is Shri S. K. Sharma. He was officiating as Loco Foreman Narrow Gauge Shed at Gwalior for 4½ years upto October. 1966, when he was posted as 'B' Grade Driver on the Nerrow Gauge Section.

(d) Ex-gratia payment of Rs. 500/- to next of kin of each person killed and Rs. 200/- to each person seriously injured has been made. On receipt of applications for compensa tion, the compensation to be paid will be determined and awarded by the District & Sessions Judge, Bhind, who is the Claims Commissioner of the area.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की टोलगारिया परियोजना

5739. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की टोलगारिया परियोजना को कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा तालगेरिया परियोजना शुरू करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Stations on N. G. Lines in Madhya Pradesh

5740. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of stations on the narrow-gauge lines in Madhya Pradesh from Gwalior to Bhind, Gwalior to Shivpuri and Gwalior to Shivpur Kalan;

(b) the number and names of those stations in these routes having waiting rooms for the 1st, 2nd, and 3rd Class passengers;

(c) the names of those out of them having retiring rooms for passengers: and

(d) the names of those stations where satisfactory arrangement for residential accommodation have been made for Railway staff other than the Station Master ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) 39.

(b) and (d) The information is given in the statement laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT-1051/67]**

(c) Nil.

Gwalior Bhind Train Services

5741 **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for the deterioration in the running time of trains from Gwalior to Bhind since the Independence and the steps being taken to improve it;

(b) the nature of additional facilities provided to passengers on this route after Independence; and

(c) the total income to Railways from this route since the Independence ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Increase in running time of trains of Gwalior-Bhind section has been due to reduction in the maximum permissible speed thereon from 25 miles per hour to 18 miles per hour from the year 1953, which was necessitated by considerations of safety. The question of increasing the speed is under examination of the Railway.

(b) A covered shed over platform is being provided at Bhind. Basic amenities, such as waiting hall, benches, latrines, lighting arrangements etc. are, however, already available at stations on Gwalior-Bhind sections.

(c) Earnings are not maintained section-wise and are available for the narrow gauge lines of the Central Railway as a whole. As such, it is not possible to indicate the earnings of the Gwalior-Bhind section separately.

Bogies Attached to Passenger and Goods Trains on Central Railway

5742. **Shri Y. S. Kushwah:** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of bogies on passenger trains and the total number of wagons on goods train running on the Gwalior-Bhind, Gwalior-Shivpur-Kalan and Gwalior-Shivpuri sections on the Central Railway and the year of manufacture of these bogies and wagons;

(b) the total number of steam and diesel locomotives running on these lines and the year of their manufacture;

(c) the number of new locomotives, passenger bogies and wagons provided on these sections so far after they were transferred to the Central Railway Administration; and

(d) the names of the places where the locomotives. passenger bogies and goods wagons running on these routes are being manufactured ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library, See No. LT-1052/67]**

(c) Total number of new locomotives, passenger coaches and wagons provided :

Locomotives	-	4
Coaches	-	17
Wagons	-	Nil.

(d) The original stock of Narrow-Gauge locomotives and wagons on these routes are still in service except for 5 locos imported from Japan in 1959-60, and there has been no need to manufacture new ones in the country. Coaches have been manufactured in Lallaguda Railway Workshops, Secunderabad.

Copper Mining Work in Khetri (Rajasthan)

5743. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri N. S. Sharma :**
Shri Beni Shanker Sharma : **Shri Onkar Singh :**

Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that copper mining work is being done at Khetri (Rajasthan);

(b) if so, the extent of the assistance obtained from different foreign countries; and

(c) the progress made during the period from 1962 to 1967 ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy): (a) Yes, Sir. A copper mine is being developed at Khetri.

(b) The National Mineral Development Corporation has entered into an agreement with a Group of French Companies, consisting of M/s Venot Pic, Ensa and others for financial and technical assistance for developing Khetri Copper Project. According to the terms of the agreement, the French Companies will design the plant and equipment and act as Engineering Experts and Advisers in respect of the Project and would also supply such equipment which is required to be imported. The foreign exchange requirement of the Project including design charges, cost of equipment and deputation of experts to India to supervise construction, installation and commissioning of the plant would be made available by the French Group out of the Consortium Credit of U. S. 18 million.

(c) (i) Exploration by means of drilling, aditing etc. has been completed and ore reserves have been established. Further exploration is being done to delineate the orebody. Adequate samples have been taken and analysed to determine the characteristics of the ore. Pilot plant tests have also been conducted to determine the behaviour of the ore and the process to be adopted for the production of copper.

(ii) The mine development work at Khetri has been started accordiug to the programme drawn up involving a total cost of Rs. 617.62 lakhs. Work has also been started on the main adits for the Kolihan mine.

(iii) Two shafts are being sunk for carrying the men and equipment into the mine and taking out the daily production of ore from the mine. So far, the production shafts has been sunk up to a depth of 500' and the service shaft to a depth of 260'. A service station has been opened in the service shaft at 300 metre level (above zero level) involving a drivage of 101 ft. Mechanized equipment has been installed and commissioned at the service shaft to achieve faster tempo of shaft sinking.

(iv) An agreement has been reached with a French Group of Companies for the design of the whole plant.

(v) An agreement has also been signed with M/s Outokumpu Oy of Finland for the use of Flash Smelting proces for which they hold world's patent rights.

(vi) The French Group, in accordance with the terms of the agreement executed with them, submitted the bids for the plant and equipment of various areas such as exploration equipment, winding equipment and concentrator etc. These bids as well as the technical aspects relating to the equipment were examined and discussed with the French Group in a series of meetings held with their representatives in Delhi. As a result of these discussions, contracts have been signed with the French Group for the supply of equipment of the value of about 7 million French Francs; other bids are under examination and order for such equipment which is necessary to be imported will be placed soon. An agreement regarding General Engineering and General Enteprise and has also been signed with the French Group which has come into force from 30-6-1967.

(vii) Action for procurement of indigenous equipment has been initiated.

(viii) To meet the immediate requirements of the Corporation and Consultant's staff construction of 561 residential units has been completed. Action has also been initiated for construction of additional 958 quarters.

(ix) A water supply scheme for supply of about 9 million gallons of water per day from Chounra and Jodhpura at a cost of Rs. 769 lakhs has been drawn up and work is progressing.

सिगनल वर्कशाप के कर्मचारी

5744. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या रेलवे मंत्री 9 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2075 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वी, दक्षिण-पूर्व और मध्य रेलवे के सिगनल वर्कशापों में पर्यवेक्षक पदों पर कितने ब्लाक तथा सिगनल इस्पेक्टरों का तबादला किया गया है ;

(ख) प्रत्येक सिगनल वर्कशाप में कितने कितने पर्यवेक्षक पद हैं; और

(ग) नियमित संवर्ग पर पर्यवेक्षक कर्मचारियों की पदोन्नति के अवसरों पर ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति से किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क)

	उत्तर रेलवे	– 3	पूर्वोत्तर रेलवे	–	5
	पूर्व रेलवे	– कोई नहीं ।	दक्षिण पूर्व रेलवे	–	5
	मध्य रेलवे	– कोई नहीं ।			
(ख)	उत्तर रेलवे	– 24	पूर्वोत्तर रेलवे	–	23
	पूर्व रेलवे	– 61	दक्षिण पर्व रेलवे	–	13
	मध्य रेलवे	– 38			

(ग) आमतौर पर ये नियुक्तियां सिगनल कारखाने में उपयुक्त पर्यवेक्षक कर्मचारियों के अभाव में की जाती हैं। इसलिए यह कहा जा सकता कि इनसे कर्मचारियों की पदोन्नति सरणि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

Employment of Station Masters' Trainee

5745. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of persons who had received Station Master's training are idle;

(b) if so, what are the prospects of their absorption;

(c) whether Government had offered them employment elsewhere: and

(d) the number of persons sitting idle after completing training at Kota on the Western Railway ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) No. In two instances, however, trained condidates have not got immediate appointments owing to non-materialisation of the anticipated vacancies. Such candidates would be absorbed against future vacancies. In order, however, to minimise the period of waiting, efforts are being made to employ them in alternative categories/Divisions to the extent feasible, subject to the willingness and suitablity of the candidates concerned.

(d) 12. Out of these 4 persons have recently expressed their willingness to take up alternative appointments and orders are being issued accordingly.

राजमहल स्टेशन

5746. श्री मरंडी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के संथाल परगना जिले में राजमहल स्टेशन पर, जो उस राज्य का सबसे बड़ा फल वितरण केन्द्र है, व्यापारियों के लिए कुछ समय तक माल जमा करने की पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं तथा उन्हें वर्षा आदि के कारण बहुत नुक्सान उठाना पड़ता है;

(ख) इस व्यापार के कारण रेलवे को प्रति वर्ष कुल कितनी आय होती है; और

(ग) क्या सरकार व्यापारियों की सुविधा में कुछ और सुधार करने के लिये विचार कर रही है, ताकि इससे और आय बढ़ सके ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में रेलवे को इस व्यापार के कारण निम्नलिखित वार्षिक आय हुई है :

		रुपये
1964	–	9,96,826
1965	–	2,62,749
1966	–	2,66,334

(ग) जी नहीं ।

मैसूर राज्य में रेल लाइनें

5747. श्री लकप्पा :
श्री हुचे गौडा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे मंत्रालय ने मैसूर राज्य में 1962 से कितनी नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण किया तथा उन्हें प्रायोजित किया;

(ख) क्या कुछ नई लाइनों का अब भी निर्माण हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो उनका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(घ) क्या उनका निर्माण-कार्य पूरा करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) । (क) से (घ) मैसूर राज्य में पूर्ण या आंशिक रूप से पड़ने वाली निम्नलिखित नयी रेलवे लाइनों का निर्माण तीसरी योजना की अवधि में करने की मंजूरी दी गयी थी और इनका सर्वेक्षण किया गया था :

(i) मंगलूर-हसन

(ii) बैंगलूरु-सेलम

इन दोनों नयी लाइनों का निर्माण-कार्य अभी चल रहा है । मंगलूर बन्दरगाह परियोजना के पूरा होने के साथ-साथ मगलूर-हसन लाइन का निर्माण-कार्य पूरा होगा । बैंगलूरु सेलम लाइन के मार्च, 1968 तक पूरा होने की आशा है ।

काडूर-सकलेशपुरा रेलवे लाइन

5748. श्री क० लकप्पा :
श्री हुने गोडा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में काडूर-सकलेशपुरा रेलवे का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है:

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण पर कितना खर्च हुआ है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) इस लाइन के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण 1955-57 में क्रमश: 2,75,327 और 47,592 रुपये कीं अनुमानित लागत से किये गये थे ।

(ग) इस प्रस्ताव को वित्तीय दृष्टिकोण से उचित नहीं समझा गया इसलिए छोड़ दिया गया ।

भुसावल-चालीसगांव और भुसावल खण्डवा स्टेशनों के बीच शटल गाडियां

5749. श्री राने : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ी की निम्नलिखित सेवायें जो युद्ध (द्वितीय विश्व युद्ध) से पहले उपलब्ध थी, अब उपलब्ध नहीं है (एक) भुसावल-चालीसगांव, (दो) भुसावल-खण्डवा और (तीन) भुसावल-बम्बई वी० टी०;

(ख) युद्ध से पूर्व इन स्टेशनों के बीच ऐसी कितनी गाड़ियां चल रही थीं जो छोटे स्टेशनों के यात्रियों को लाभ पहुंचाती थीं और इस समय वहां गाड़ियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार भुसावल-चालीसगांव तथा भुसावल-खण्डवा सैक्शन पर छोटे स्टेशनों के यात्रियों के लाभ के लिये शटल गाड़ियां चलाने पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या भुसावल और बम्बई वी० टी० के बीच प्रतिदिन एक गाड़ी चलाने पर भी विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) युद्ध-पूर्व समय की तुलना में, भुसावल-चालीसगांव, भुसावल-खण्डवा और भुसावल-बम्बई वी० टी० खण्डों पर गाड़ियों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई है, जैसाकि नीचे दिखाया गया है :—

खण्ड	छोटे स्टेशनों पर रुकने वाली गाड़ियों की सं०	
	युद्ध-पूर्व	वर्तमान
भुसावल–चालीसगांव	2	2
भुसावल–खण्डवा	3	3
भुसावल–बम्बई	2	2

(ग) और (घ) अभी नहीं ।

नई दिल्ली तथा बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनों के बीच मेल/एक्सप्रेस जनता रेल गाड़ी का चलाया जाना

5750. श्री राने : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि जनता द्वारा लगातार मांग किये जाने के बावजूद भी सेन्ट्रल रेलवे में झांसी भुसावल होती हुई नई दिल्ली और बम्बई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशनों के बीच कोई अतिरिक्त मेल/एक्सप्रेस जनता रेलगाड़ी नहीं चलाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) रास्ते में पड़ने वाले खण्डों पर अपेक्षित लाइन क्षमता की कमी तथा बम्बई वी० टी० और नयी दिल्ली में टर्मिनल सम्बन्धी सुविधाएं न होने के कारण झांसी-भुसवाल के रास्ते नयी दिल्ली और बम्बई वी०टी० के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से अभी व्यावहारिक नहीं है ।

अन्दमान द्वीप समूह के रबड़ उत्पादकों के लिये रबड़ बोर्ड

5751. **श्री नायनार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्दमान के रबड़ उत्पादकों के लिये एक पृथक रबड़ बोर्ड की स्थापना कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मंदना रेलवे स्टेशन के निकट फाटक

5752. **श्रीमती सुशिला रोहतगी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मन्दना रेलवे स्टेशन कानपुर (उत्तर प्रदेश) उत्तर-पूर्वी रेलवे, के निकट एक रेलवे फाटक बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । प्रिंसिपल, बी० पी० एम० जी० इंटर कालेज, मन्घाना, कानपुर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें छात्रों की सुविधा के लिए मन्घाना में समपार की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रपाड़ा में पटसन के कारखाने

5753. **श्री स० कुण्डू :** **श्री श्रीनिवास मिश्र :**
श्री क० प्र० सिंह देव : **श्री बेघर बेहरा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में केन्द्रपाड़ा और जालेसवर नगरों में पटसन के कारखानों की स्थापना के बारे में कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रपाड़ा और जालेसवर में पटसन के कारखानों की स्थापना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) भारत सरकार का उड़िसा में या अन्य कहीं पटसन के कारखाने स्थापित करने का कोई विचार नहीं है । इसलिये कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया है ।

दिल्ली की रेलवे बस्तियां में नागरिक सुविधायें

5754. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़गंज (स्टेडियम के सामने) और सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन दिल्ली के निकट स्थित रेलवे बस्तियों में पर्याप्त नागरिक सुविधायें नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और यदि हां तो उन में क्या लिखा हुआ है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर पुल मिठाई तक रेलवे लाइन के निकट अनेक झुग्गियां है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन झुग्गियों को वहां से हटाने और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक स्थान देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां । पहाड़गंज और सब्जीमंडी रेलवे स्टेशन के पास स्थित बस्तियों के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं । ये अभ्यावेदन प्रायः 'पैन' टाइप टट्टियों की जगह फ्लश टट्टियां बनाने. पानी के अतिरिक्त नल लगाने, अनधिकृत झुग्गियों को हटाने, सफाई की बेहतर व्यवस्था करने, बरसात में पानी इकट्ठा न हो इसके लिए जल निकासी का अच्छा प्रबन्ध करने और पुराने क्वार्टरों की मरम्मत के सम्बन्ध में थे ।

इन बस्तियों में विशेष कर रोशन आरा बाग की रेलवे बस्ती में, जहां प्राइवेट लोगों द्वारा डेरियां चलाने के कारण गंदगी रहती है, जल निकासी और सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए रेल प्रशासन ने नगर निगम से लिखा-पढ़ी की है । रोशन आरा बाग की स्थित बस्ती में फ्लश की छः टट्टियां अभी हाल में बनायी गयी हैं । क्वार्टरों की वार्षिक मरम्मत की जा चुकी है । पानी सप्लाई की स्थिति पर्याप्त समझी जाती है । पुराने अवमानक क्वार्टरों को कार्यक्रम के अनुसार बदलने के प्रस्तावों पर रेल प्रशासन कार्रवाई कर रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां, झुग्गी वालों को हटाने का कार्यक्रम बनाया गया है । लेकिन उन झुग्गी वालों को वैकल्पिक स्थान देने की जिम्मेदारी, नगर निगम की है, जिनके पास जन-गणना पर्चियां है । वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था करना नगर निगम की क्षमता पर भी निर्भर है ।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

जापान को नमक का निर्यात

5756. **श्री आत्म दास :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत जापान को नमक का निर्यात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सप्लाई वस्तु विनिमय के आधार पर है;

(ग) यदि नहीं, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी; और

(घ) क्या यह सप्लाई देश की नमक सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के बाद की जाती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरशी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) 1966 (जुलाई) – 1967 (जून) – संविदा के अन्तर्गत भेजे गये माल के लिये लगभग 8.9 लाख डालर ।

(घ) जी हां

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन. दुर्गापुर

5757. **श्री उमानाथ :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री चक्रपाणि :
श्री अनिरुद्धन :
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966:67 में माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर को कुल कितने क्रयादेश मिले थे;

(ख) 1966-67 में इस कारपोरेशन का कुल उत्पादन कितना था;

(ग) क्या उत्पादन योजना के अनुसार उत्पादन पूरा नहीं हुआ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(घ) उत्पादन की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) माइनिंग तथा एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० को 1966-67 में 18 करोड़ रुपये के मूल्य के 33,000 मी० टन के उपकरणों के आर्डर प्राप्त हुए ।

(ख) 6225 मी० टन ।

(ग) उत्पादन कार्यक्रम में विविधता लाने के कारण जिसके लिए तैयारी तथा औजारों आदि के लिए और अधिक समय दरकार था और ऐसे उत्पादों के जिनके कि सामूहिक उत्पादन के लिए सब तैयारी पूर्ण थी, पर्याप्त आर्डर न मिलने के कारण उत्पादन कार्यक्रम को पूरा न किया जा सका ।

(घ) उत्पादन कार्यक्रम के पुनर्गठन तथा इसमें विविधता लाने, तकनीकी विभागों के पुनर्गठन प्रक्रिया में संशोधन, उत्पादिता योजनाओं के ज़ारी किये जाने, उपकरणों के मानकीकरण, स्टाक आर्डरों की अपेक्षा, स्टैंडर्ड पुर्जों का नियमीत दलीय उत्पादन और कारीगरों तथा निरीक्षकों का प्रशिक्षण आदि यह इस स्थिति का सामना करने के लिए उठाए गए पंगों में से कुछ एक हैं ।

खनन तथा मशीनरी निगम लिमिटेड

5758. **श्री रमानी :**
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री अब्राहम :
श्री उमानाथ :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 के लिए खनन तथा मशीनरी निगम लिमिटेड के उत्पादन कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है, यदि हां, तो कब;

(ख) उन उत्पादों के नाम क्या है जिनके डिजाइन अभी तैयार नहीं हुए हैं, और उन उत्पादों के उत्पादन की तैयारी सम्बन्धी योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है; और

(ग) जिन वस्तुओं के लिए पहले ही आर्डर मिल चुके हैं उनके उत्पादन कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) माइनिंग तथा एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि० के 1967-68 के उत्पादन कार्यक्रम का अन्तिमरुप अप्रेल 1967 में दिया गया ।

(ख) 3500 मी० टन के उपकरणों वाले बोकारो इस्पात संयन्त्र के इमारती ढांचों के नमूने ग्राहक की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त अन्य 500 मी० टन के उपकरणों के नमूने अभी पूर्ण किये जाने है । बेल्ट तथा स्क्रेपर कन्वेयर सेन्ड हालेज, सीखों सहित फ्रिकशन प्राप कोमात्यु ट्रेक्टर मेन ऐकशियल फेन फ्रिकशधोंघे तथा इमारती ढांचे ऐसे उत्पाद है जिनके उत्पादन की तैयारी की योजना अभी पूर्ण नहीं हुई ।

(ग) उत्पादिता योजनाओं जारी के किये जाने, हथियारों को कम करने के लिए वस्तुओं का मानकीकरण और दूसरे तैयारी के काम और अन्य स्टेन्डर्ड वस्तुओं का स्टाक आर्डरों के आधार पर निर्माण ऐसे कदमों में से कुछ है जो कि स्थिति का सामना करने के लिए उठाए गए हैं ।

ट्रेक्टरों का निर्माण

5759. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि के उपयोग में लाये जाने वाले ट्रेक्टरों का निर्माण करने वाले फर्मों की लाइसेंस शुद्वा क्षमता कितनी थी;

(ख) इन फर्मों में 1965-66 और 1966-67 में वास्तव में कितना निर्माण हुआ;

(ग) 1965-66 और 1966-67 में कितने ट्रेक्टर आयात किये गये;

(घ) आयातिती ट्रेक्टरों का मूल्य क्या था तथा वे किसानों को किस भाव बेचे गये; और

(ङ) देश में बने ट्रेक्टर किसानों को किस भाव पर बेचे गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) गैर सरकारी क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त 5 फर्में ट्रेक्टरों का उत्पादन कर रही है और उनकी कुल क्षमता 30 000 प्रतिवर्ष है ;

(ख) 1965-66 तथा 1966-67 में लाइसेंस प्राप्त एककों का ट्रेक्टरों का उत्पादन निम्न प्रकार था :

1965-66	5714 संख्या
1966-67	8818 संख्या

(ग) और (घ) 1965-66 तथा 1966-67 में राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात किए गए ट्रेक्टरों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1053/67]**

(ङ) देश में निर्मित ट्रेक्टरों का लक्ष्य स्थान पर रेल भाड़ा सहित बिक्री मूल्य निम्न प्रकार निश्चित किया गया है :

(1) ईचर ट्रेक्टर्स (26:5 एच. पी.)-17,836 रुपये

(2) इंटरनेशनल बी-275 एम. पी. कारमिक ट्रेक्टर्स (35 एच. फी.).....20,900 रु.

(3) मेसी फर्म्मसन ट्रेक्टर्स (35 एच. पी.).....20,838 रु.

(4)		34.5 अ० श०	19,500 रुपये
		28.0 अ० श०	15.032 रुपये
(5)	हिन्दुस्तान	35.0 अ० श०	16.110 रुपये
		50.0 अ० श०	21,880

ऊपर दिये गए मूल्य निम्न सम्बद्ध तथा सहायक पुर्जे भी सम्मिलित हैं :

(क) हाईड्रालिक लिफ्ट

(ख) थ्री प्वाइन्ट लिकेड़ा

(ग) पावर टेक आफ

(घ) प्रकाश के उपकरण जिनमें आगे की बतियां पीछे तथा दल के साथ लगी बतियां सम्मिलित हैं ।

(ङ) हथियारों का एक सेट

(च) बिजली का हार्न ।

पश्चिम रेलवे के सहायक निर्माण कार्य निरीक्षक

***5760. श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधुलिमये -
श्री जे० ए० पटेल :

क्या रेलदे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में कार्य कर रहे ऐसे उन सहायक निर्माण कार्य निरीक्षकों की जिन्हें छंटनी के नोटिस दे दिये गये हैं, संख्या कितनी है;

(ख) नोटिस दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि मंत्रालय सदा यह कहता रहा है कि वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी;

(ग) क्या सरकार का उन कर्मचारियों को जिन्हें छंटनी के नोटिस दिये गये हैं वैकल्पिक नौकरियां देने का विचार है; और

(घ) 18 जून, 1967 के बम्बई के 'भारत-ज्योति' में प्रकाशित नौकरी की सूचना संख्या 2/67-68 के अनुसार प्रस्तावित नई भर्ती का औचित्य क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 54

(ख) और (ग) ये कर्मचारी अस्थायी परियोजना निर्माण-कार्यों के सम्बन्ध में भर्ती किये गये थे और अब काम पूरा हो जाने से तथा निर्माण प्रभारित पदों के अभ्यार्पण के फलस्वरूप सर्वेक्षण और निर्माण विभाग के संवर्ग में संकुचन के कारण ये कर्मचारी फालतू हो गये हैं । इन्हें अन्य रेलों पर इसी कोटि में खपाना संभव नहीं हो सका है । फालतू कर्मचारियों को वैकल्पिक नियुक्तियां देने के लिए उनको छांटने की कार्यवाही की गयी थीं और 16 को क्लर्क के रूप में तैनात करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं । बाकी कर्मचारियों को जुलाई के तीसरे सप्ताह में छाँटा जायेगा । सम्बन्धित कार्मिकों को इसकी सूचना दे दी गई है ।

(घ) सहायक निर्माण-निरीक्षक नहीं, बल्कि यातायात प्रशिक्षु वर्ग के कर्मचारियों जैसे यातायात सिगनलरों, गार्डों, वाणिज्य क्लर्कों, टिकट कलेक्टरों और गाड़ी क्लर्कों की भर्ती के लिए नियोजन सूचना जारी की गई है । इन वर्गों में, कुछ फालतू सहायक निर्माण निरीक्षकों को ले लेने के बाद भी खाली जगहें रह जाने की सम्भवना है ।

आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम 1947 का उल्लंघन

5761. **जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** 23 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 719 के उत्तर के सम्बन्ध में यह ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात तमा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अधीन मुकदमा चलाने की अनुमति कब दी गई थी;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जायेगा; और

(ग) मुकदमा कब तक चलाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : पूना म्यूनिसपल ट्रांसपोर्ट अन्डरटेकिन्स, पूना के सम्बन्ध में अपराधों के कथित दोषी अधिकारियों और फर्मों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रण द्वारा 27 अप्रैल, 1967 को दी गई थी।

(ख) उन व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम (और उनके साझीदारों तथा संचालकों के नाम) जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना है, निम्नलिखित हैं :—

(क) श्री वी० डी० देसाई, पूना म्यूनिसपल ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिन्स. पूना के परिवहन प्रबन्धक।

(ख) मैसर्स वेस्टर्न आटोमोबाइल्स, पूना।

(ग) मैसर्स डीजल इण्डिया, बम्बई।

(घ) मैसर्स आटोमोटिव मैन्यूफैक्चर्स (प्रा०) लि०, बम्बई।

(ङ) मैसर्स एशियन ट्रेडर्स, पूना।

(च) मैसर्स हिन्द सेल्स कार्पोरेशन, पूना।

(ग) शिकायतें अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट बम्बई के न्यायालय में दायर की गई है।

केरल खादी बोर्ड

5762. **श्री नायनार** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 तथा 1966 में केरल खादी बोर्ड को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) क्या सरकार को कोई शिकायत मिली है कि खादी बोर्ड ने इस राशि का उपयोग पक्षपाती अराजनैतिक उद्देश्यों से लिए किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने केरल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को 1965 में 46.24 लाख रु० तथा 1966 में 46.64 लाख रु० की राशि का ऋण तथा अनुदान दिया ।

(ख) सरकार को कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रूसी ट्रैक्टरों का आयात

5763. **श्री गा० श० मिश्र :**
श्री गं० चं० दीक्षित :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूस में बने ट्रैक्टरों का आयात तथा वितरण करने के वाले अभिकरणों के नाम क्या हैं तथा उनके आयात और वितरण की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि यदि वितरण छोटे व्यापारियों अथवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाये तो किसान को मूल्य में काफी बचत होगी ।

(ग) क्या यह सच हैं कि बम्बई के एक वितरक ने वर्ष 1965 और 1966 में भोपाल मध्य प्रदेश में बेचे ट्रैक्टरों के बहुत ऊंचे दाम वसूल किये थे; और

(घ) यदि हां, तो उस फर्म की काली सूची में रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) (क) और (ख) : राज्य व्यापार निगम द्वारा ट्रैक्टरों का आयात तथा वितरण भारत में रूसी मन्त्रालयों के निम्नलिखित चार अफिकारिवों की मारफत किया जाता है जो कि राज्य व्यापार निगम के भी वितरक हैं :—

(1) मैसर्स इन्डियन इंजीनिवरिंग एण्ड कमर्शियल कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई (पश्चिमी भारत) ।

(2) मेसर्स गाजियाबाद इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (उत्तरी भारत) ।

(3) मैसर्स भारत इंडस्ट्रीज एण्ड कमर्शियल कार्पोरेशन कलकता (पूर्वी भारत) ।

(4) मैसर्स नेशनल इन्जीनियरिंग कम्पनी (मद्रास) प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास (दक्षिणी भारत) । तथा

राज्य व्यापार निगम द्वारा वितरकों के साथ हुए करारों के अनुसार वितरक ट्रैक्टरों की बिक्री की व्यवस्था या तो सीधे ही अथवा उनके अपने चुने हुए स्थानों पर अपने उप-विक्रेताओं द्वारा करते हैं, परन्तु वे ट्रैक्टर राज्य व्यापार निगम द्वारा अनुमोदित मूल्यों से अधिक मूल्य पर नहीं बेचे जा सकते और किसानों को बिक्री के बाद भी सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं। विदेशी संभरकों के प्राधिकृति अभिकर्त्ताओं को वितरक के रूप में नियुक्ति करने से यह लाभ है कि उन्हें विक्री के पश्चात सेवा, मरम्मत के लिये सुविधाएं, प्रत्याभूतियों के अन्तर्गत दावों का समजन और ट्रैक्टरों के समुचित प्रयोग के लिये कृषकों को प्रशिक्षण देने की सुविधाएं भी उपलब्ध होतो हैं। साधारणतया अभिकर्त्ताओं ने उप-विक्रेता नियुक्त किये हुए है जो वितरकों के प्रधान कार्यालयों से अधिक दूरी के किसानों को तात्कालित तथा सस्ती सेवा प्रदान करते हैं। ट्रैक्टर 'पहले आये पहले पाये' के सिद्धान्त के अनुसार बेचे जाते हैं। वितरकों को राज्य व्यापार निगम को नियमित रूप से बिक्री का ब्यौरा भेजना पड़ता है।

(ग) और (घ) राज्य व्यापार निगम को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें मध्य प्रदेश को भेजे गये कुछ ट्रैक्टरों का अधिक मूल्य लेने का उल्लेख था। राज्य व्यापार निगम मामले की जांच कर रहा है।

कागज से ढकी हुई तांबे की पत्तियां बनाने का कारखाना

*5764. **श्री गा० शे० मिश्र :**
श्री गं० चं० दीक्षित :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1962-63 में किसी समय मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम को भोपाल में 2500 टन प्रति वर्ष की क्षमना वाला कागज से ढकी हुई तांबे की पत्तियाँ बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के लिये आवेदन पव दिया था;

(ख) क्या वह लाइसेंस दिया जा चुका है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त आवेदन-पत्र पर सरकार द्वारा क्या कार्ययाही की गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) (क)से (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स भोपाल के सहायक के रूप में 1200 थन टन वार्षिक क्षमता के लिए कागज चढ़ी पट्टियों (कागज चढ़े कन्डक्टरों) के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लि० को एक आक्षय पत्र जारी किया गया था। लाइसेंस निगम द्वारा विदेशी सहयोग के सन्तोष के अनुसार पूंजी जारी किये जाने के पश्चात दिया जाता था। फर्म ने एक पाली में 1200 टन के उत्पादन आधार पर मशीनों के आयात के प्रस्ताव भेजे थे। उनसे दो पाली के आधार पर इसी क्षमताके लिए अपने प्रस्तावों में संशोधन करने के लिए कहा गया था। उनके पुनरीक्षित प्रस्तावों की प्रतीक्षा है। संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के पश्चात ही औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने पर विचार किया जाएगा। फर्म को विशेष रूप से बता दिया गया

है कि जब तक पूंजीगत माल के आयात की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक आशय पत्र लाइसेंस नहीं बदला जा सकता है ।

तांबे की कमी

5765 **श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री गं० चं० दीक्षित :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में तांबे और उसके मिश्र धातुओं का आयात बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तांबे की कमी दूर हो चुकी हैं;

(ग) यदि हां, तो देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये औसत रूप में प्रति वर्ष कितने तांबे का आयात किया जाता है;

(घ) तांबे के स्थान पर प्रयोग की जा सकने वाली किसी और धातु की खोज का क्या परिणाम निकला है; और

(ङ) देश में तांबे की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये क्या मिश्र धातु के रूप में एलमोनियम तैयार किया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) (क) तांबे का आयात बन्द नहीं किया गया है परन्तु तांबा सम्मिश्रित कुप्य धातुओं के आयात की स्वीकृति नहीं है ।

(ख) नहीं, महोदय ।

(ग) तांबा तथा सम्मिश्रित धातुओं के आयात मिला कर निम्नलिखित हैं---

वर्ष	मूल्य
1964-65	24 करोड़ रुपये
1965-66	33 करोड़ रुपये
1966-67 (फरवरी 1967 तक)	33 करोड़ रुपये

(घ) बिजली के सामान तथा तारें बनाने के उद्योगों में तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम अच्छी धातु सिद्ध हुई है ।

(ङ) सिक्के ढालने में तांबा तथा उसके सम्मिश्रित धातुओं के स्थान पर एल्यूमिनियम और सम्मिश्रित धातुओं का विकास किया गया है । सिक्कों की धातुओं भारू मिश्रित धातु स्थानापन्न पीतल तथा एल्यूमिनियम संवाहकों आदि में काम आने वाले तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम तथा सम्मिश्रित धातुएं प्रयोग करने हेतु विस्तृत तथा विकास अनुसंधान कार्य किया जा रहा है ।

उद्योगों का क्षेत्रीय असन्तुलन

5766. गा० शं० मिश्र :
श्री ग० चं० दीक्षित :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगीकरण की वर्तमान नीति देश के औद्योगीकरण में क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा करने के लिये जिम्मेदार है;

(ख) क्या आवश्यकता से अधिक औद्योगीकृत एवं कम औद्योगीकृत क्षेत्रों तथा औद्योगिक क्षमता का तुलनात्मक उपयोग का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने का सरकार का विचार है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के इस क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) (क) से (ग) : एक विवरण साथ में नत्थी है ।

देश में सन्तुलित औद्योगिक विकास योजना के उद्देश्यों में से एक है और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस देते समय आर्थिक तथा तकनीकी धारणाओं को दृष्टि में रखते हुए सन्तुलित क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखा जाता है । जहां आवश्यक आर्थिक तथा तकनीकी कसौटी को छोड़े बिना संभव होता हैं वहां सरकारी परियोजनाओं की स्थापना में पिछड़े क्षेत्रों के दावों को ध्यान में रखा जाता है । राज्यों के कार्यक्रमों में वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को ज़ारी रखने तथा विस्तार को अधिक महत्व दिया गया है । इस प्रकार की कार्रवाई से तथा औद्योगिक विकास निगम द्वारा सहायता प्रदान करने से आशा है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना से औद्योगीकरण के फैलाव को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा । कई उद्योगों जैसे सूती वस्त्र उद्योग तथा बिजली से चलने वाले करघों की स्थापना जिनका क्षेत्रीय विकास किया जा सकता है, चौथी पंचवर्सीय योजना के अतिरिक्त क्षमता राज्य वार की जा रही है और अन्य बातों के साथ साथ सम्बद्ध क्षेत्रों के पिछड़े पन को भी ध्यान में रखा जाता है ।

मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी

5767. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री गं० चं० दीक्षित :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी के कारण क्या हैं ।

(ख) मैंगनीज अयस्क के निर्यात में वृद्धि के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष भारत से कुल कितने मूल्य की मैंगनीज किस किस देश को निर्यात की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) निर्यात में गिरावट के कारण मुख्यत: निम्नलिखित हैं :—

(1) उपभोक्ता देशों के समीप पूर्ति के नये स्रोतों की उत्पत्ति ।

(2) उपभोक्ताओं की गृहीत खानों के उत्पादन में बढ़ौतरी ।

(3) तकनीकी उन्नति के फलस्वरूप इस्पात उत्पादन में मैंगनीज अयस्क पर अपेक्षाकृत कम निर्भर होना ।

(4) लोह मैंगनीज और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के कारण मैंगनीज अयस्क की अतिरिक्त मांग में बढ़ोतरी । तथा

(5) मैंगनीज अयस्क की बिक्री के ढंग का वस्तु विनिमय के बजाय नकद बिक्री में बदला जाना ।

(ख) नये बाजार ढूंढ़ने/पुन: प्राप्त करने अथवा पुराने बाजारों को बनाये रखने के लिये विभिन्न महत्वपूर्ण मैंगनीज अयस्क उपभोक्ता देशों में अभिकरणों की व्यवस्था की गई है । अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध बनाये रखने तथा बिक्री सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये समय समय पर भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधि मन्डल मैंगनीज अयस्क के प्रमुख उपभोक्ता देशों का दौरा करते हैं । निर्यात के लिये मैंगनीज अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिये ऋण सुविधाएं तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1054/67]**

निर्यात

5768. श्री गा० चं० दीक्षित :
श्री गं० श० मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय निम्नलिखित भारतीय वस्तुओं का व्यापारिक स्थिति क्या है ;—

चाय, चीनी, पैट्रोलियम-रसायन पटसन, लोहा और इस्पात, मसाले, इन्जीनियरी सामान कपड़ा, कॉपी, मेवा, सन्तरे, केले इत्यादि, लकड़ी की वस्तुएं, हस्तशिल्प की वस्तुएं, औषध तथा दवाइयां, चल चित्र और चमड़े का सामान;

(ख) उक्त उत्पादों में से किन किन को बाजार में मन्दी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 1966-67 में लोहे तथा इस्पात, ताजे फलों और हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि का रुख रहा। पटसन, चाय, सूती वस्त्रों, मसालों, कापी, मेवा, औषधियों, चलचित्रों तथा चमड़े के सामान के निर्यात में गिरावट आई। 1966-67 में इन्जीनियरी सामान का निर्यात लगभग गत वर्ष जैसा ही रहा। चीनी तथा पेट्रोलियम के निर्यात पर आन्तरिक कमी का प्रभाव पड़ा है।

(ख) चीनी को बाजार में मन्दी का सामना करना पड़ रहा है। काफी के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में गिर गये है;

(च) निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:—

(1) पंजीबद्ध निर्यातकों के लिये एक आयात नीति शुरू की गई।

(2) चुने हुए उत्पादों के निर्यात पर नगद सहायता।

(3) निर्यात उत्पादों के लिये रियायती दरों पर लोहा तथा इस्पात देने के लिये एक अन्तरउद्योग व्यवस्था।

(4) निर्यात उत्पादन के लिये देशी कच्चे माल के लिये ग्रीन फार्म का आवटन।

(5) ताजे फलों के निर्यात सम्बर्धन के लिये एक केला तथा फल विकास निगम लि०, की स्थापना।

(6) पटसन के सामान के निर्यात शुल्क में कमी।

(7) चाय बागान उद्योग को नये पोधे लगाने तथा पुनर्रोपण के लिये विकास भत्ते जैसी रियायतें।

(8) निर्यात पर शुल्क की वापसी।

(9) रेल भाड़े में रियायत।

(10) अन्य सामान्य उपाय जैसे विदेशी प्रदर्शिनियों में भाग लेना तथा विदेशों में प्रचार करना।

मध्य प्रदेश से निर्यात

5769. **श्री ग० चं० दीक्षित :**
श्री ग० शं* मिश्र :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात में मध्य प्रदेश का योगदान अन्य राज्यों की तुलना में कम है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या राज्य की निर्यात क्षमता का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) मध्य प्रदेश में उपलब्ध कच्चे माल के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के खनज क्षेत्र

5770. श्री गं० च० दीक्षित :
श्री गा० शं० मिश्र ।

क्या **इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भारत सरकार द्वारा अपने उपयोग के लिये मैंगनीज, कोयला, मिट्टी और डोलामाइट निकालने के लिये सुरक्षित रखे गये खनन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के दक्षिण-पश्चिमी भाग में मेंगनीज और कोयले की बहुत सी खानें ऐसी हैं जो आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हो गई हैं और बन्द होने वाली है जिससे हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार खनन के लिये नये क्षेत्रों को पट्टे पर क्यों नहीं दे रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में मेंगनीज और डोलामाइट को सरकारी क्षेत्र में विदोहन करने के लिये आरक्षित क्षेत्रों की जानकारी एक विवरण में दी गई है जिसे सदन के पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1055/67]** मिट्टी और कोयले के कोई क्षेत्र मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में विदोहन के लिये आरक्षित नहीं है। तथापि केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के शाहदोल, सुरगुजा और सिद्धी जिलों तथा महाराष्ट्र के नागपुर जिले की उमरेर और सिलवाड़ा कोयला खानों वाले कोयला उत्पादित करने के क्षेत्रों को निगम द्वारा विदोहन के लिये अवाप्त कर लिया है ।

(ख) मध्य प्रदेश की मेंगनीज तथा कोयला खानों के बन्द होने की राज्य सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । तथापि 1962-66 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में मेंगनीज की 102 खानें अयस्क संचयों की समाप्ति या मांग की कमी और खानों के अमितव्ययी खनन के

कारण बन्द कर दी गई थीं। राज्य की एक कोयला खान भी खनन प्रबन्ध की कुछ कठिनाइयों के कारण बन्द कर दी गई थी ।

(ग) मेंगनीज उत्पादन करने वाले उन क्षेत्रों की जानकारी का एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है जिन्हें सरकारी क्षेत्र में विदोहन करना अमितव्ययी समझा गया और जो इस कारण निजी पक्षों को विदोहन के लिये खुले रूप से छोड़ दिये गये हैं । मध्य प्रदेश में इस प्रकार के मेंगनीज उत्पादन करने वाले क्षेत्र निजी पक्षों द्वारा खनन के लिये आरक्षित नहीं किये गये हैं । ऐसा महसूस किया गया कि इन क्षेत्रों का खनन कार्य सरकारी क्षेत्र में करना राष्ट्रीय हित में होगा ।

Fluorite Mineral in Dungarpur

5772. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of Steel Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no satisfactory progress has been made so far in regard to the scheme formulated many years ago for mining fluorite mineral in Mandav Pal area of Dungarpur;

(b) if so, whether it is due to lack of finances; and

(c) whether it is also a fact that the implementation of this scheme would provide employment opportunities to Adivasis ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Dungarpur-Galiakot-Banswara-Ratlam Railway Line

5773. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the preliminary survey of Dungarpur-Galikot-Banswara-Ratlam railway line has been completed;

(b) if so, when the detailed survey thereof would be undertaken; and

(c) whether any report of its survey has been received and if so, whether a copy thereof would be laid on the Table ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Engineering and Traffic Surveys for a M. G. line between Ratlam and Galiakot via Banswara were carried out in 1926. Also Reconnaissance engineering and traffic surveys for a railway line, for both M. G. and B. G. alternatives, connecting Dungarpur with Ratlam via Banswara were carried out in 1956-57.

(b) As this line is not likely to be considered for inclusion in the Fourth Five Year Plan on account of its unremunerativeness as revealed by the Preliminary Survey, there is no proposal to undertake a detailed survey for it in the near future.

(c) The Survey Reports for this line were received by the Railway Board in 1957. Copies of Survey reports of Railway projects are generally not laid on the Table of the House as they are highly technical in nature, are very voluminous and meant for departmental use only and not for publication. These are also treated as confidential documents and very limited number of copies, as necessary, are made out.

Production in Zinc Separater Factory (Udaipur)

5774. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether production has not been started in the Zinc Separater factory at Debari near Udaipur in spite of its having been taken over by the Central Government more than two years ago, whereas production of Zinc separater has started in Kerala even though the work was started at a later date; and

(b) the terms settled for payment of compensation to Metal Corporation and the time by which its capital would be evaluated ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) The undertaking of the Metal Corporation of India Limited, which included the Zinc Smelter under construction at Debari near Udaipur, was acquired by the Central Government on 22-10-1965. Since then, effective steps have been taken to complete the construction of the Zinc Smelter and development of the mines. The important measures taken in this connection are (i) the conclusion of new agreements for resumption of shaft-sinking work at the mines and technical consultancy services by the French firms for construction of Zinc Smelter, (ii) bringing to the site mining equipment worth about Rs, 80 lakhs which were lying at the Bombay Port for about two years, erecting and installing the same. (iii) discharge of liabilities to the extent of about Rs, 6.93 crores contracted by the previous management and (iv) undertaking of extensive construction and development work. As a result of these measures, the construction of the Zinc Smelter is nearing completion and it is expected that it will go into production by the end of this year. The Zinc Smelter which has been set up in Kerala is based on imported zinc concentrates. That project does not involve development of a captive mine for production of ore or the installation of concentration equipment for producing zinc concentrates to feed the smelter. The two cases are, therefore, hardly comparable.

(b) The compensation to the Metal Corporation of India Limited for the acquisition of its undertaking is to be determined in accordance with the provisions of the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966 (No, 36 of 1966). Action has already been initiated to determine the quantum of compensation payable to the Corporation but it is not possible to state at this stage when the compensation will be finally settled.

मेरठ और नई दिल्ली के बीच तेज रेलगाड़ियों का चलाया जाना

5775. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और आगरा के बीच 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित करने की सम्भावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार लाखों दैनिक यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिये प्रातः मेरठ से नई दिल्ली तक और सायं नई दिल्ली से मेरठ तक तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां चलाने का भी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मेरठ और गाजियाबाद से नई दिल्ली को चलने वाली शटल गाड़ियां

5776. **श्री हरदयाल देवगुण :**
बश्री लराज मधोक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ और गाजियाबाद से नई दिल्ली को आने वाली शटल गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ रहती है;

(ख) क्या सरकार का गाजियाबाद से एक और शटल गाड़ी चलाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । मेरठ नगर/गाजियाबाद से नयी दिल्ली जाने वाली गाड़ियों में कुछ भीड़-भाड़ रहती है ।

(ख) फिलहाल नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गाजियाबाद और तुगलकाबाद के बीच रेलवे लाइन

5777. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गाजियाबाद से तुगलकाबाद तक नई रेलवे लाइन यात्री यातायात के लिये कब तक खोलने का विचार है; और

(ख) माल यातायात के लिये यह लाइन कब खोली गई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) गाजियाबाद और तुगलकाबाद के बीच माल परिहार लाइन माल यातायात के लिए 15-11-1966 को खोली गयी । दूसरे यमुना पुल के ऊपर से होकर नयी दिल्ली और गाजियाबाद के बीच वाला इस लाइन का भाग यात्रियों के सार्वजनिक परिवर्तन के लिए 13-3-1967 को खोला गया । चूंकि माल परिहार लाइन का मुख्य उद्देश्य माल गाड़ियों के लिए एक उपमार्ग की व्यवस्था करना है और इस लाइन के लिए निजामाबाद, ओखला और तुगलकाबाद पर यात्रियों के लिए प्लेटफार्म सम्बन्धी सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस समय दूसरे यमुना पुल और तुगलकाबाद के बीच वाले भाग को यात्री यातायात के लिए खोलने का कोई विचार नहीं है ।

भीलाखेड़ी यार्ड तथा इटारसी रेलवे स्टेशन

5778. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या रेलवे मत्री 26 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 624 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीलाखेड़ी और इटारसी के बीच तथाकथित पक्की सड़क बनाने पर कितना धन व्यय किया गया तथा यह सड़क कब बनाई गई थी;

(ख) इस सड़क की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सड़क इटारसी नागपुर लाइन पर पुलिया संख्या 647/1 के नीचे से गुजरती है;

(घ) क्या उन्हें मालूम है कि इस पुलिया के नीचे की सड़क वर्षा के दिनों जलमग्न रहती है;

(ङ) क्या एक दूसरी सड़क बनाई जा रही है जो इसके उत्तर की ओर रेलवे लाइन के साथ-साथ जायेगी; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1,27,829 रुपये। यह सड़क 1961–62 में बनायी गयी थी।

(ख) इस सड़क की मौजूदा हालत अच्छी है।

(ग) यह सड़क कि० मी० 746/1–2 पर पुलिया नं० 746/1 से होकर गुजरती है।

(घ) इस पुलिया के नीचे सड़क बरसात के पूरे मौसम में नहीं, बल्कि भारी वर्षा होने पर कुछ समय के लिए पानी में डूबी रहती है।

(ङ) जी हां।

(च) पुरानी सड़क इटारसी स्टेशन के दक्षिण में स्थित रेलवे बस्ती को भीलाखेड़ी यार्ड से मिलाती है। यह यार्ड भी मुख्य लाइन के दक्षिण में है। नयी सड़क इसलिए बनायी जा रही है ताकि इटारसी शहर से लगी रेलवे बस्ती का उत्तरी भाग भीलाखेड़ी यार्ड से जुड़ जाये और रेल कर्मचारियों को सुविधा हो।

खनिजों के लिये वैमानिक सर्वेक्षण

5779. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज संसाधनों का पता लगाने के लिये वैमानिक सर्वेक्षण करने के लिये एक अमरीकी फर्म को दिये गये ठेके का कोई लाभ हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस फर्म को अब तक कितना धन दिया गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो कार्य करने का विचार था वह अभी शुरू नहीं हुआ है। कार्यक्रम की पहली अवस्था, अर्थात् हवाई सर्वेक्षण, 19 जौलाई, 1967 से आरम्भ होने हैं। अत: अभी इसके परिणामों पर सोचने का उपयुक्त समय नहीं हुआ है।

(ख) ठेके की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को 12,89,000 रुपये की राशि धरोहर पेशगी के रूप में भारत में स्थानीय व्यय करने के लिये दे दी गई है।

इस्पात का आयात

5780. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या वर्ष 1965--66 में 98 करोड़ रुपये के इस्पात का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका कैसे उपयोग किया गया; और

(ग) क्या ऐसे आयातों को कम करने के उपाय किये गये हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) 1965–66 में लगभग 89.60 करोड़ रुपये के इस्पात का आयात किया गया था।

(ख) आयात सरकार के विभिन्न विभागों, सरकारी संस्थानों और उद्योग के वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए किया गया था।

(ग) आजकल इस्पात की जिन वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, उनका देश में उत्पादन करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

House Rent Allowance to Railway Employees

5781. Shri Ramavatar Shastri :
Shri Yogendra Sharma :
Snri K. M. Madhukar :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway employees working in the classified cities, eight kilometors within the boundaries of the Corporation or Municipalities or whose office is situated within this area, are not paid house rent allowance, whereas other Government employees putting up in classified cities are paid house rent allowance;

(b) whether 272 Railway workers employed at Danapur on the Eastern Railway have submitted a memorandum to him and appealed to him to sanction house rent allowance to the Railway workers putting up in Khagaul (Danapur), Arrah, Danapur, Phulwari Shariff and Parsa Bazar on the above lines; and

(c) if so- decision taken thereon ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The principles governing the grant of House Rent Allowance to Railway servants are the same as are applicable to

other Central Government employees, viz., house rent allowance is granted to railway servants working in the classified cities. House Rent Allowance to Railway servants working within a distance of 8 kilometers from the periphery of the municipal limits of a qualified city is admissible only if the staff :

(i) have to reside within the qualified city out of necessity, i. e., for want of accommodation nearer their place of duty; and

(ii) reside outside the municipal limits of the qualified city but it is certified by the Collector/Deputy Commissioner that the place is generally dependent for essential supplies, e. g. e foodgrains, milk, vegetables, etc., on the qualified city.

Sanction in respect of Railway servants working out side the municiple limits of classified cities, has already been issued in as many as 115 places, However, in respect of a few other cases the matter is under consideration of the Railway Administrations in consultation with the Civil Authorities whether the conditions for the grant of House Rent Allowance are fulfilled.

(b) and (c) The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha in due course. However, Danapur has recently been classified as a 'C' class city with effect from 1-4-1967

स्कूटरों और मोटर साइकिलों का निर्माण

5782. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में किन-किन फर्मों को स्कूटर मोटर-साइकिल तथा आटो-साइकिल बनाने के लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) किन-किन फर्मों ने अभी तक निर्माण आरम्भ नहीं किया है; और

(ग) वे फर्म अनुमानतः कब निर्माण आरम्भ करेंगी तथा उनके स्कूटर मोटर-साइकिल किस किस्म (मेक) के होंगे तथा उनके मूल्य क्या होंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पिछले पांच वर्षों की अवधि में स्कूटर/मोटर-साइकिल तथा आटो-साइकिलों के निर्माण के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेलवे द्वारा भूमि का अर्जन

5783. श्री दे० अमात : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई लाइनें बिछाने के लिये अर्जित एक ही प्रकार की भूमि की प्रतिकर की दरें बोंडामूंडा (दक्षिण पूर्व रेलवे) और डुमराव (पूर्व रेलवे) स्टेशनों पर भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो एक ही प्रकार की भूमि के लिये बिहार और उड़ीसा में पृथक-पृथक कितनी-कितनी राशि दी गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन, राज्य सरकार के जरिये रेलवे जमीन खरीदती है और उसका मुआवजा कलक्टर द्वारा दिया जाता है। पिछले 10 वर्षों में डुमराव (पूर्व रेलवे) में कोई जमीन नहीं खरीदी गयी है, इसलिए बोंडामुंडा (दक्षिण पूर्व रेलवे) में जिन दरों पर जमीन खरीदी गयी उनसे तुलना नहीं की जा सकती।

घरेलू काम में आने वाले कोयले के मूल्य

5784. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता, कानपुर, दिल्ली तथा बम्बई में बिक रहे विभिन्न प्रकार के घरेलू काम में आने वाले कोयले के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं;

(ख) इन विभिन्न प्रकार के कोयलों के ताप का तुलनात्मक विश्लेषण क्या है तथा प्रत्येक प्रकार के कोयले की औसत लागत क्या है; और

(ग) इनकी सप्लाई में कितना रेल भाड़ा लगता है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) घरेलू कोक अब दो वाणिज्य रूपों में उपलब्ध है, अर्थात्—

1. पश्चिमी बंगाल/बिहार कोयला खानों के कोयले को खुले रूप से चट्टा बांध कर जलाने की पद्धति से बनाया गया साफ्ट कोक।

2. नेवेली, मद्रास राज्य के लिग्नाइट (लेको) से अभिशोधित ब्रिकिट्स।

विभिन्न केन्द्रों पर साफ्ट कोक का मूल्य निम्न प्रकार है :—

मद्रास	99.91	रुपये प्रति टन
हैदराबाद	105	रुपये प्रति टन
कलकत्ता	67	रुपये प्रति टन
कानपुर	88.60	रुपये प्रति टन
दिल्ली	101.02	रुपये प्रति टन
बम्बई	99.95	रुपये प्रति टन

नेवेली से लिग्नाइट ब्रिक्ट्स का मूल्य लगभग 160 रुपये प्रति टन है। मद्रास में बाजार भाव 9.40 रुपये प्रति बोरी है (40 किलो भार)

(ख) पश्चिमी बंगाल/बिहार खानों से उत्पादित साफ्ट कोक की ऊष्म अर्हा 3500 से 5500 के० काल/केजी० के बीच में है। 'लीको' की ऊष्म अर्हा की दर 6250 से 7020 के० काल/केजी० है।

साफ्ट कोक के उत्पादन की लागत कोयला खानों में अलग-अलग है। कोई यथार्थिक अनुमान प्राप्त नहीं है। तथापि कोयले मुहानों पर साफ्ट कोक का मूल्य 36.29 रुपये प्रति टन है। नेवेली का 'लीको' प्लांट अपनी पूर्ण क्षमता पर काम नहीं करता रहा है। अतः अभी उत्पादन की लागत के यथार्थिक आंकड़े नहीं दिये जा सकते।

(ग) रेल भाड़े का भाग निम्न प्रकार है जिसमें भाड़े पर 6 प्रतिशत अनुपूरक प्रभार भी शामिल है :—

से	तक	रेल भाड़ा	अनुपूरक प्रभार	समस्त
धनबाद	मद्रास	42.10 रु०	2.53 रु०	44.63 रु०
,,	हावड़ा	12.14 रु०	0.73 रु०	12.87 रु०
,,	हैदराबाद	39.80 रु०	2.39 रु०	42.19 रु०
,,	कानपुर	24.00 रु०	1.44 रु०	25.44 रु०
,,	दिल्ली	32.90 रु०	1.97 रु०	34.87 रु०
,,	बम्बई	43.65 रु०	2.62 रु०	46.27 रु०

आन्ध्र प्रदेश में ऊपरी तथा निचले पुल

5875. श्री द० ब० राजू : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा 1967–68 में कितने ऊपरी और निचले पुलों का निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) नो।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1056/67]**

भीमवरम टाउन रेलवे स्टेशन

5786. श्री द० ब० राजू : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे के भीमवरम टाउन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से प्रति दिन औसतन कितनी आय होती है;

(ख) प्लेटफार्म पर यात्रियों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध है;

(ग) क्या प्लेटफार्म पर सीमेन्ट की पटरी बनाई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) भीमवरम टाउन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से प्रति दिन औसतन 1,815 रुपये की आय होती है ।

(ख) प्लेटफार्म पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :

वहां एक ऊंचा प्लेटफार्म बना हुआ है जिसकी लम्बाई 630 फुट है और उस पर मोरम बिछा हुआ है । वहां सीमेंट कंक्रीट की छः बेंचें और एक सिरे पर चार शौचालय हैं । प्लेटफार्म पर बिजली लगी है ।

(ग) जी नहीं, सीमेन्ट की पटरी नहीं बनायी गयी है ।

(घ) प्लेटफार्म पर सीमेन्ट की पटरी लगाने का अभी कोई विचार नहीं है ।

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

5787. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :
श्री अ० दीपा :
श्री म० माझी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्ट्रमेंट्स लिमिटेड, जादबपुरा के जो एक सरकारी उपक्रम है, कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार से इस उपक्रम को परिसमापन के लिये अपील की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ख) आजकल इंजीनियरी उद्योग में आये सामान्य मंदी के कारण और रेलवे और सरकार के दूसरे विभागों के कार्यक्रमों में सुस्ती आने के कारण नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड को अपनी कई वस्तुओं जैसे लेवेल डम्पी, लेवेल इन्जीनियरी ओर प्रेजमेटिक कम्पास के उत्पादन में कटौती करनी पड़ी । डाक्टरी थर्मामीटरों का उत्पादन घाटे की वस्तु था और इसलिए कम्पनी के प्रबन्धक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस वस्तु को कम्पनी के उत्पादन कार्यक्रम में सम्मिलित न किया जाए और यह निश्चय किया गया कि इसके उत्पादन पर लगे व्यक्तियों को कारखाने के दूसरे विभागों में लगा दिया जाये । इसी संदर्भ में ही कम्पनी के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन

भेजा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर बल दिया गया है कि डाक्टरी थर्मामीटर बनाने वाले विभाग को बन्द न किया जाय और लेवेल डम्पी के उत्पादन को पुन: चालू किया जाय। उत्पादन कार्यक्रम तथा इससे सम्बद्ध मामले जैसे उत्पादन में विविधता लाना निदेशक मण्डल के विचार, पुनरीक्षण तथा निश्चय के लिए होते हैं जिन पर समय-समय पर स्थिति के अनुसार विचार किया जाता है। प्रबन्धक इस समस्या के बारे में पूर्ण रूप से अवगत है और वे उत्पादन में वृद्धि करने के उचित पग उठा रहे हैं। इसलिए कम्पनी के दिवालियेपन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

Murder of an Indian Air Force Sergeant

5788. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shar Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Mahant Digvijai Nath :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have traced the culprits who murdered an Indian Air Force Sergeant, who was travelling from Delhi to Ludhiana by Kashmir Mail on Sunday, the 25th June, 1967;

(b) whether Government have found out the motive of the murder; and

(c) the details of the incident and the action taken in this connection ?

The Minister of Railways (Shri C M. Poonacha) : (a) Yes, but the incident took place in Kashmir Mail on the night of 23rd June, 1967.

(b) The death is reported to have occurred on way to Ludhiana subsequent to the quarrel which took place at Delhi Main Station between fellow travellers over a seat.

(c) According to the report recorded in the Delhi Diary of the G. R. P., Delhi. dated 23-6-1967, a quarrel took place between Sergeant Sita Ram Anand (deceased) stationed at Halwara and 2 other persons, namely, Prem Nath and Kidar Nath. Since both parties had come to a compromise, on further action was taken by the G. R. P, Delhi. Shrimati Shakti Rani, wife of Sergeant Sita Ram Anand, made a complaint to the G. R. P., Ludhiana, that her husband died on the way while travelling by Kashmir Mail as he had been beaten up by two boys over occupation of seats in a compartment at Delhi Main Railway station. On receipt of the post-martem report, a case has been registered u/s 304 I. P. C. (culpable homicide not amounting to murder) by the G. R. P., Delhi. Both the accused, namely, Prem Nath and Kidar Nath, sons of Mohan Lal, r/o Bhola Nath Nagar, Shahdra, have been arrested and the case is under investigation by the Police.

मौंट्रियल में लगी ऐक्सपो 67 प्रदर्शनी

5791. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कनाडा मौंट्रियल नामक स्थान पर लगी एक्सपो 67 अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई भारतीय वस्तुओं की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) किन-किन वस्तुओं में विदेशी उद्योगपतियों ने पर्याप्त रुचि दिखाई है और जिनके लिये विदेशी फर्मों से क्रयादेश मिले हैं; और

(ग) प्रदर्शनी के दौरान तथा उससे बाद विदेशी फर्मों से उन वस्तुओं में से प्रत्येक के लिये कितने-कितने क्रयादेश मिले हैं और मांगे गये माल को सप्लाई करने के लिये क्या कार्य-वाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) मुख्य प्रदर्शनीय वस्तुएं निम्नलिखित हैं :—

हल्के तथा भारी इन्जीनियरी माल :

1. खरादें, घिसाई मशीनें, रन्दा मशीनें, बरमा मशीनें, औद्योगिक तथा डीजल इंजन, एयर कम्प्रेसर, पम्प सामग्री, कठोरता परीक्षण मशीनें, चूड़ियां निकालने तथा पेच की मशीनें, रेपरीजेरेटर, आइल सरकट ब्रेकर, टाइप राइटर, टेलीप्रिण्टर, वायु शीतक, मोटर्स कास्टिंग्स, मोटर-साइकिलें तथा साइकिलें, मोटर गाड़ियों आदि का साज-सामान, शुद्ध भाप के औजार तथा यन्त्र, इलक्ट्रानिक्स, औजारों की धार बनाने की सान, अल्यूनियम के वर्क, रेगमाल, बाल बियरिंग, विद्युतीय तथा घरेलू उपकरण, ट्रांजिस्टर रेडियो, इन्टर कम्यूनिकेशन सिस्टम, टेलीविजन सैट, प्रवर्धक तथा ध्वनि उपकरण, एच. एम. टी. की घड़ियां, रेजर तथा अन्य ब्लेड, प्रेसर वाल्व, निटिंग की मशीनें आदि ।

रसायन, भेषज तथा औषधें :

2. सौन्दर्य प्रसाधन, रसायन, रंजक, औषधें, रंग-रोगन, दवाइयां आदि ।

खनिज तथा धातु :

3. केलशियम क्लोराइड, बाइक्रोमेट्स, जिंक आक्साइड टिटोनियम, गंधक, लौह अयस्क, बाक्साइट, लौह मैंगनीज, कायनाइट स्टीटाइट, अभ्रक आदि ।

वस्त्र :

4. सूती, ऊनी, रेशमी तथा रेयन के वस्त्र, सिले-सिलाये वस्त्र तथा हथकरघे का माल आदि ।

खाद्यान्न तथा समुद्री उत्पाद सहित कृषि उत्पाद :

5 चाय, काफी, काजू, मसाले, इलायची, सिगरेट. डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ तथा फल, मद्य, चीनी, मिठाई, तम्बाकू तथा सिगरेट/बीड़ी आदि ।

विविध मदें :

6. खेल का सामान, नारियल जटा, पटसन, प्लास्टिक, लकड़ी की सजावट की वस्तुएं, चमड़ी, चमड़ा तथा रबड़ का सामान, किताबें तथा प्रकाशन, चमड़ा, हस्तशिल्प तथा अन्य विविध वस्तुएं ।

वैज्ञानिक गवेषण :

7. वैज्ञानिक तथा शल्य चिकित्सा के औजार तथा उपकरण, आणविक गवेषण उपकरण, स्टेसे सिगनल जेनेरेटर आदि ।

(अ) और (ग) जुलाई, 1967 तक हुए कुल व्यापार की राशि 25,52,000 रु० है जिसमें एच. एम. टी. की घड़ियों (परिवहन तथा खोल) के लिये 10 लाख रु०, मनुष्य के बालों के लिये 15 लाख रु०, पटसन के छपे हुए कपड़ों के लिये 50,000 रु० तथा कठोरता परीक्षण मशीनों तथा बेंच वाली सान के लिये 2,000 रु० शामिल हैं ।

इंजीनियरी माल के लिये व्यापारिक पूछताछ के 81 पत्र आये हैं जो इनके बारे में हैं : आटो तथा ट्रकों के टायर, स्टोरेज बैटरियां, निटिंग की मशीनें, प्रेसर वाल्व, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, ताले, बड़ी घड़ियां, बालों तथा जूतों के ब्रुश, कोकोफ्लेक्स, एच. एम. टी. की घड़ियां, घिसाई की मशीनें, खरादें तथा बरमे, एम्पलीफायर, ध्वनि उपकरण, इन्टर कम्यूनिकेशन सिस्टम, ट्रांजिस्टर रेडियो, रन्दा मशीनें आदि । अन्य वस्तुओं के लिये व्यापारिक पूछताछ के 50 पत्र प्राप्त हुए हैं जो इनके बारे में हैं : डिब्बा बन्द खाद्य, समुद्री उत्पाद, काजू तथा अन्य मेवे, मसाले, सिगार, हस्तशिल्प की वस्तुएं, लकड़ी की वस्तुएं, चर्म उत्पाद, खुले हीरे, रत्न तथा आभूषण, सूती तथा ऊनी परिधान, तेल तथा जल चित्र तथा रसायन । इनके सम्बन्ध में भारतीय निर्यातकों द्वारा कनाडा के आयातकों से सीधी बातचीत की जा रही है । राज्य व्यापार निगम द्वारा आयोजित मदों के सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम द्वारा सहायता दी जा रही है ।

कैमिकल प्लांट एन्ड मशीनरी एसोसिएशन आफ इण्डिया

5792. श्री रा० बरुआ : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैमिकल प्लांट एन्ड मशीनरी एशोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा टर्न की आधार पर पूरे संयन्त्रों का डिजाइन तैयार करने तथा उनकी सप्लाई करने के लिये एक सार्थ-संघ बनाने के सम्बन्ध में रखे गये प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या इस सार्थ-संघ को सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्रों का डिजाइन तैयार करने तथा उनका निर्माण करने का काम सौंपा जायेगा; और

(ग) क्या देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी तथा क्षमता का पूर्ण तथा सर्वोत्तम उपयोग करने के मार्गोपाय सरकार द्वारा बताये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) कैमिकल प्लांट एण्ड मशीनरी एसोसिएशन आफ इण्डिया ने इस सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ग) सरकार की नीति यह है कि जहां तक सम्भव हो सके देशी तकनीकी विक्षेषज्ञों तथा परामर्शदात्री सेवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देकर उनका पूरा-पूरा उपयोग किया जाय ।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास

5793. श्री मणी भाई जे० पटेल : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितना ऋण दिया;

(ख) जिन उद्योगों के लिये यह ऋण दिया गया था उनके नाम क्या हैं;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजेना में इस काम के लिये मध्य प्रदेश को कितनी राशि देने का विचार है; और

(घ) 1966-67 में दिये गये धन का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) जानकारी इकठ्ठी की जा रही है और वह यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण

5794. श्री मणिभाई जे० पटेल : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा किन-किन क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) आरम्भ से ही भारतीय भूवैज्ञानिक भूसर्वेक्षण संस्था लगभग हर साल ही राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक मानचित्रण और प्रारम्भिक खनिज सर्वेक्षण का कार्य करती रही है । राज्य के भूमीक्षण सर्वेक्षण अब प्रायः समाप्त हो गये हैं तथा आधुनिक मानचित्रों पर 1,63,360 तथा उससे छोटे पैमानों पर कार्य प्रगति कर रहा है । कच्चा लोहा, कोयला, कुप्य धातुओं और स्फोदिज जैसी धातुओं के लिये बड़े पैमाने पर मानचित्रण, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और व्यधन द्वारा विस्तृत

अनुसंधान किये गये हैं। दूसरी, तीसरी तथा वर्तमान योजना अवधि में राज्य के विभिन्न भागों में 1,63,360 तथा उससे छोटे पैमानों पर कुल 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का मानचित्रण किया गया। कोयला, कुप्य धातुओं आदि के लिये लगभग 12,700 वर्ग किलोमीटर का भी बड़े पैमाने पर मानचित्रण किया गया।

(ग) कोयला, मैंगनीज अयस्क, कच्चा लोहा, स्फोदिज, कोरंडम, सिलीमेनाइट, सीमेंट, द्रवण श्रेणी चूना पत्थर, डोलोमाइट, हीरा, ताल्का, फ्लोराइट और ओंकार के खनन योग्य निक्षेप पाये गये हैं। राज्य के विभिन्न भागों में खनिजों के संचयों के विस्तार विवरण में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1057/67]

Conversion of Miraj-Kolhapur M. G. Into B. G.

5795. Shrimati Vijayamala Chhatrapati :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether his Ministry have reconsidered the question of converting Miraj-Kolhapur metre gauge line (Southern Railway) into broad gauge and including this scheme in the Fourth Five Year Plan;

(b) whether the attention of Government has been drawn to the fact that in case this line is not converted into broad gauge, it will create the problem of transhipment and large amount of money will have to be spent on the expansion of the yard; and

(c) if so, the decision taken in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (c) Conversion of the Miraj-Kolhapur section from M.G. to B.G. vis-a-vis provision of transhipment facilities at Miraj is under consideration. A decision regarding inclusion of the project in the Fourth Plan will be taken shortly, based on the traffic needs and the availability of funds.

Industries to be set up in U. P.

5796. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of industries proposed to be set up in Uttar Pradrsh during 1967-68 and the nature thereof; and

(b) the financial aid proposed to be given to Uttar Pradesh for this purpose during the said period ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shai Fakhruddin Ali Ahmed): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Small Scale Industries in U. P.

5797. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether some loan or grant has been given to Uttar Pradesh for the development of small scale industries in 1967-68; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) No, Sir. According to the existing procedure the Central Assistance in the form of loans and grants is sanctioned to the State Governments for meeting the expenditure on their State's 'Plan Schemes' for the development of Small Scale Industries at the end of the financial year on the basis of the annual statement of expenditure furnished by them. The State Governments meet the expenditure on these schemes out of the Ways and Means Advances placed at their disposal by the Ministry of Finance and the Central assistance when sanctioned is adjusted against the Ways and Means advances.

आजमगढ़ जिले में मऊ में काटन मिल की स्थापना

5798. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आजमगढ़ में मऊ में काटन मिल स्थापित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कारों की बुकिंग

5799. **श्री गिरिराज शरण सिंह :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मीठा लाल :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई कारों की बुकिंग को रद्द करने की संख्या लगभग उतनी ही अधिक हो गई है जितनी कि जून, 1967 में नई कारें बुक करने की संख्या थी;

(ख) क्या कारों को बुकिंग रद्द करने की संख्या अप्रैल, 1967 से बढ़ रही हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत वर्ष के इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में ये आंकड़े कितने अधिक हैं या कम ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

कपड़ा मिलों का प्रबन्ध सरकार द्वारा लिया जाना

5800. श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री मीठा लाल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कपड़ा मिलों को सरकार ने अपने अधिकार में लिया है उनमें सब को मिला कर कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई;

(ख) इन मिलों में कपड़े का उत्पादन कितना बढ़ा है; और

(ग) इन मिलों के लिये नई मशीनों पर सरकार ने कितना धन व्यय किया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1058/67]**

भाड़े में वृद्धि

5801. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज, लोह अयस्क तथा कोयले जैसे खनिजों को 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तथा 1000 किलोमीटर तक की दूरी पर पहुंचाने के मूल्यों में हाल ही में भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार को खनिजों की देशान्तर्गत खपत तथा निर्यात पर इस वृद्धि का बुरा प्रभाव पड़ने के बारे में खनन उद्योगों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) माननीय सदस्य इस बात से तो सहमत होंगे ही मेंगनीज धातुक और लौह धातुक जैसे खनिजों की सुपुर्दगी के समय कीमत धातुक की किस्म पर निर्भर है और किस्मों की संख्या बहुत होती है। इसके अलावा, इन खनिजों का कोई खुला प्रतियोगी बाजार नहीं हैं और कोई सार्वजनिक मोल भाव नहीं होता। थोड़े से ग्राहक होते हैं, अतः खरीददार और विक्रेता के बीच कीमत तय हो जाती है। ऐसी स्थिति में, भाड़ा-दरों के हाल के संशोधन के फलस्वरूप सुपुर्दगी के समय कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

300 कि० मी०, 500 कि० मी० और 1000 कि० मी० पर स्वयं भाड़ा-दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, यह अनुबन्ध 'क' के विवरण में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1059/67]**

कोयले के सम्बन्ध में, विभिन्न ग्रेडों के कोयले का रखदान मूल्य इस्पात, खान और धातु मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाता है। उसके आधार पर, भाड़ा प्रभार और खदान–मूल्य के अनुपात में प्रतिशत वृद्धि का हिसाब लगा लिया गया है, जो अनुबन्ध 'ख' के विवरण में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1060/67.]**

(ख) फेडरेशन आफ इण्डियन मिनरल इण्डस्ट्रीज से एक अभ्यावेदन मिला है, जिसमें निर्यात किये जाने बाले लौह धातुक और मेंगनीज धातुक के भाड़े में वृद्धि का विरोध किया गया है।

(ग) इस अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

कपड़ा मिलों की मशीनें

5802. **श्री सु०कु० तापड़िया :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा मिलों में पुरानी मशीनों के स्थान पर धीरे धीरे नई मशीनें लगाने के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम बनाया है ताकि कपड़े के आयात में कमी की जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) चौथी योजना में देश में वस्त्र मशीनों को बनाने तथा कपड़े के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करते समय तथा अन्य संदर्भों में कपड़ा मिलों की मशीनों के बदलाव तथा विस्तार की आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया था। बदलाव से माल की बरबादी कम होगी तथा उस हद तक रुई की खपत भी कम हो जायेगी।

यात्री किराया

5803. **श्री अगाड़ी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1925–26, 1935–36, 1945–46, 1955–56 और 1965–66 के दौरान 100 मील या इसके बराबर किलोमीटर की दूरी की यात्रा के लिये पहले दर्जे, दूसरे दर्जे और तीसरे दर्जे का यात्री किराया कितना कितना था और अब किराया कितना कितना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : 1-1-1948 से पहले अलग–अलग रेलों पर अलग–अलग यात्री किराया था। उपलब्ध समय के अन्दर सभी रेलों के सम्बन्ध में 1925–26 1935–36 और 1945–46 के वर्षों की सूचना इकठ्ठी करना सम्भव नहीं हो सका है। फिर भी, 9 रेलों के बारे में सूचना इकट्ठी की गई है और अनुबन्ध 'क' के विवरण में उसे तालिकाबद्ध किया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1061/67]**

1955–56 और 1965–66 में जो किराया था और 15-6-67 से जो किराया लागू किया गया है, उसका विवरण अनुबन्ध 'ख' में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1062/67]**

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के लिये पूर्जों का आयात

5804. **श्री अगाड़ी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-61 से लेकर अब तक प्रति वर्ष हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के लिये कुल कितने मूल्य के पुर्जे आयात किये गये :

(ख) प्रत्येक घड़ी के लिये कितने मूल्य के पुर्जे आयात किये गये । और

(ग) प्रत्येक घड़ी के लिये भारत में कितने मूल्य के पुर्जे बनाये गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में सीमेंट का कारखाना

5805. **श्री रा० की अमीन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य के भावनगर में सीमेंट का कारखाना खोलने के प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो भावनगर में सीमेंट का कारखाना खोलने की सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) सीमेंट उद्योग को 13 मई, 1966 से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस दिये जाने वाले उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है और भारत में कहीं भी सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के बारे में किसी को लाइसेंस प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Railway Bridge over Jamuna in Delhi

5806. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the railway bridge over the Jamuna in Delhi has completed its life-span of 100 years ;

(b) if so, whether Government propose to dismantle this bridge and construct a new one ; and

(c) if so, the time by which this work would be completed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Though the bridge was constructed about 100 years ago in 1867, only the Down Line was opened at that time and its girders have already been replaced in 1933. The Up Line was opened only in 1913.

(b) No, the condition of the bridge is quite sound.

(c) Does not arise.

लोहे की खान से लोहा निकालना

5807. **श्री रा० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे की एक खान से लोहा निकालने के लिये भारत सरकार, एक अमरीकी खनन फर्म तथा तीन जापानी फर्मों के एक सार्थ-समूह द्वारा करोड़ों डालर की लागत की एक परियोजना तैयार की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खोज कार्य करने के बारे में सार्थ-समूह के सदस्यों के बीच मूल बातों के बारे में सहमति हो गई है; और

(ग) क्या यह खोज कार्य मैसूर राज्य में किया जायेगा ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा पूर्वेक्षण किये गये मैसूर राज्य के चिकमगलोर जिले के कुदरमुख क्षेत्र में मैगनाटाइट के कच्चे लोहे के निक्षेपों के विस्तृत अनुसंधान तथा विदोहन के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं । इन निक्षेपों के वाणिज्य विदोहन से पूर्व किये जाने वाले धातुकार्मिक परीक्षणों तथा पाइलट प्लांट अनुसंधानों के लिये तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग का प्रस्ताव अमरीका की एक फर्म तथा उसके तीन जापानी सहयोगियों से प्राप्त हुआ है । मामले पर विचार हो रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) हां, महोदय ।

छोटी कार का निर्माण

5808. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री न० कु० सांधी :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास ब्यूरो ने छोटी कार के निर्माण के बारे में हाल में दो प्रस्ताव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है तथा उसका कुल मूल्य कितना होगा ; और

(ग) इन कारों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स इन्टरनेशनल इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट व्यूरो नई दिल्ली ने थोड़े मूल्य की कार के निर्माण के लिए एक आवेदन अक्टूबर, 1966 में और दूसरा आवेदन मार्च, 1967 में दिया। वह अब अपने दूसरे आवेदन पर बल दे रहे हैं।

(ख) और (ग) इन आवेदनों की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं।

	विदेशी सहयोगी का नाम	कार का बिक्री मूल्य	प्रस्तावित संयंत्र की वार्षिक क्षमता
1.	मैसर्स लेपेज कन्सल्टिंग इन्जीनियर्स, अन्डवार्प, बेलजियम	5000 से 6000 रुपये तक	25,000 संख्या
2.	मैसर्स आट्योव, पेरिस, फ्रांस	12,000 रुपये	75,000 संख्या

3. कार के निर्माण की अनुमानित लागत नहीं दिखाई गई है।

उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों पर छापे

5809. श्री हेम बरुआ : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1967 के अन्तिम सप्ताह में उत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों पर अकस्मात छापे मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इनके परिणामस्वरूप क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) क्या बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों में रेलवे के कर्मचारी भी थे ; और

(घ) क्या अन्य रेलों में भी अकस्मात छापे मारने का सरकार का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर रेलवे और केन्द्रीय टिकट जांच दस्ते द्वारा 1984 व्यक्ति बिना टिकट या दूसरे अनियमित तरीके से यात्रा करते हुए पकड़े गये।

(ग) जी हां। पकड़े गये व्यक्तियों में कुछ रेल कर्मचारी भी थे।

(घ) रेलवे दस्तों द्वारा इस तरह के अकस्मात छापे पहले से मारे जा रहे हैं। दूसरी रेलों पर भी इस तरह के छापे मारने का विचार केन्द्रीय टिकट जांच दस्ते का है।

कताई मिलें

5810. श्री पार्थसारथी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस देने वाले प्राधिकरण को अनुदेश दिये हैं कि रुई की कमी, सूती

माल के ऊंचे दामों तथा उपभोक्ता की कम क्रय-शक्ति को ध्यान में रखते हुए देश में कताई मिल स्थापित करने के लिये और लाईसेंस न दिये जायें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : रुई की वर्तमान कमी को देखते हुये देश में कताई मिलों को और लाईसेंस देना आस्थगित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता

5811. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** 30 मई, 1967 के अतरांकित प्रश्न संख्या 4123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध ऐसे शेयरों में जोकि असली नहीं हैं, लेन देन करने के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान मोटर्स के विरुद्ध दर्ज किये गये मामलों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) कथित फर्म के विरुद्ध सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जांच, जो प्रगति पर है, के पूर्ण होने के पश्चात् ही कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

आसाम में नये उद्योग

5812. श्री धीरेश्वर कलिता : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने आसाम राज्य में चौथी पंचवर्षीय योजना में नये उद्योग स्थापित करने के लिये कितनी धनराशि नियत की है ;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं ; जहां उन उद्योगों को स्थापित करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) (ख), से (ग) आसाम के बोकाजन में सीमेंट का एक संयंत्र तथा कचेर जिले में कागज

का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में संभावना की जांच की जा रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा में आसाम की इन दोनों परियोजनाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है किन्तु योजना में सीमेंट तथा कागज के संयंत्र स्थापित करने के लिए की गई सम्पूर्ण व्यवस्था में से इन आवश्यकताओं को पूरा किया जायेगा।

दिल्ली तथा हावड़ा के बीच लम्बी यात्रा की सबसे तेज चलने वाली गाडी

5813. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली तथा हावड़ा के बीच लम्बे सफर के लिए एक अत्यधिक तेज चलने वाली रेल गाड़ी चलाने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब चलाई जायेगी ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रेलगाड़ी से यात्रा करने वालों से अधिक किराया लेने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) इस विषय पर कुछ प्रारम्भिक चिंतन के सिवाय इस सम्बन्ध में अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

छतों के नालीदार ढाचों का निर्माण

5814. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में छतों के नालीदार ढांचों का, जो कोणीय ढांचों की तुलना में सस्ते और टिकाऊ होने से अधिक लोकप्रिय हो गये हैं, निर्माण करने के प्रयोजन के लिये कुछ नये कारखाने खुल गये हैं ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि ट्यूब और पाइप इस उद्योग के मुख्य उपादान हैं और ये सभी देश में ही तैयार किये जाते हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि पहली अप्रैल, 1967 से इन सभी ट्यूब-निर्माताओं ने एक संघ बना लिया है और उन्होंने सभी श्रेणी की ट्यूबों के मूल्यों में औसतन 22½ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि कर दी है; जब कि किस्म में सुधार नहीं हुआ है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन ट्यूबों का निर्माण करने के लिये विदेशी मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके बावजूद भी निर्माताओं ने मूल्य बढ़ा दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि संघ ट्यूबों के मूल्यों को पुराने स्तर पर ले आये और इस प्रकार विकाशशील उद्योग को नष्ट होने से तथा 20,000 मजदूरों को बेरोजगार हो जाने से बचाया जाये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) लघु क्षेत्र के एककों को छोड़कर संगठित क्षेत्र में केवल दो एकक नलकियों के ढांचों का निर्माण कर रहे हैं और उनके निर्माण में वे काली (बिना गेलवेनाइज्ड) नलकियों का प्रयोग करते हैं।

(ग) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार 1.4.1967 से इस्पात के पाइपों और ट्यूबों की कुछ किस्मों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(घ) काली टयूबों के उत्पादन में कुछ भी विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होती किन्तु गेलवेनाइज्ड टयूबों के उत्पादन के लिए जस्ते का आयात करना पड़ता है।

(ङ) 2.6.67 को इस्पात की पाइपों तथा टयूबों के उत्पादकों के साथ हुई बैठक में उनसे मूल्यों में वृद्धि करने का औचित्य विस्तार में बताने के लिये कहा गया था। उनके द्वारा दिये गये आंकड़े सरकार के विचाराधीन हैं।

दादर रेलवे स्टेशन पर पीने का जल

5816. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे के दादर स्टेशन पर पीने के जल का कोई प्रबंध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं। दादर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध मौजूद है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जिला दार्जिलिंग के सिलिगुड़ी सब-डिवीजन में बिना लाइसेंस कमान, तीर आदि उठाने पर रोक

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :

"Union Government's notification under Arms Act prohibiting carrying of laws, arrows and spears without licences in siliguri sub-division of Darjeeling District, West Bengal."

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : 13 जून, 1967 को इस सभा में नक्सलबाड़ी क्षेत्र में स्थिति पर चर्चा के दौरान सभा ने बहुत चिन्ता व्यक्त की थी, यह आशा की गई थी कि वहां पर शीघ्र ही स्थिति सामान्य हो जायेगी परन्तु इसके बाद डकैती, हत्या, अपहरण और लूट आदि उपद्रव बहुत बढ़ गये। स्पष्ट ही एक लम्बे हिंसात्मक संघर्ष के लिये बहुतसी लाइसेंस प्राप्त बन्दूकें छीन ली गईं और बहुत सा धान और चावल लूट लिया गया। राज्य सरकार ने समर्पण करने वाले लोगों को जमानत पर रिहा करने की उदार नीति की घोषणा करके अन्तिम प्रयास किया। परन्तु किसी भी फरार व्यक्ति ने आत्म-समर्पण नहीं किया और कमान, तीर और भालों से लैस मामलों में बन्दूक आदि से भी लैस उपद्रवी लोगों द्वारा सिलगुडी सब-डिवीजन के अनेक क्षेत्रों में बलात्कार, दंगा-फसाद और लूटमार के समाचार बराबर मिलते रहे। यह विश्वास करने का भी कारण था कि अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार से सिलिगुडी सब-डिवीजन में कमान और तीर बड़ी मात्रा में लाने के प्रयास किये जा रहे थे।

2. इन परिस्थितियों में हमने सिलगुड़ी सब-डिवीजन के क्षेत्र में कमान, तीर और भाले लेकर चलने लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक समझा। हमने 3 जुलाई, 1967 को पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श किया 15 जुलाई को उन्होंने उत्तर दिया कि सिलिगुड़ी के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया सहिंसा की धारा 144 के अन्तर्गत कमान, तीर, भाले आदि लेकर चलने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं और इससे प्रस्तावित अधिसूचना का उद्देश्य पूरा हो जायेगा और यदि आवश्यक हुआ, तो राज्य सरकार आवश्यक अधिसूचना जारी कर देगी।

3. हमने यह नहीं माना कि धारा 144 के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किये जाने पर शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित आदेश अनावश्यक हो गये। इस-लिये 8 जुलाई को हमने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को अपने विचार बताये और वे सहमत हो गये कि भारतीय शस्त्रास्त्र अधिनियम की धारा 4, 11 और 12 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार प्रस्तावित अधिसूचनाएं जारी कर सकती है। तदनुसार 10 जुलाई, 1967 को दो अधिसूचनाएं जारी की गईं।

4. एक पत्र द्वारा भी राज्य सरकार को इस कार्यवाही के कारण बता दिये गये। प्रथम यह अधिसूचना धारा 144 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेश के निवारक प्रभाव को बढ़ायेगी क्योंकि शस्त्रास्त्र अधिनियम के अन्तर्गत धारा 144 की तुलनायें अधिक दण्ड दिया जा सकता है। दूसरे, धारा 144 के आदेश के अन्तर्गत हथियारों का लाना-ले जाना नहीं आता था। राज्य सरकार को इन हथियारों के लाने-ले जाने और बाहर से लाने पर रोक लगाने के अधिकार नहीं थे, अन्त में यह बताया गया कि इससे राज्य सरकार के हाथ मजबूत होंगे। तथा इससे स्थानीय मजिस्ट्रेट व पुलिस के अधिक शक्तियां प्राप्त होंगी।

5. शस्त्रास्त्र अधिनियम एक केन्द्रीय कानून है और भारत सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार है । यह हमारी प्रथा रही है कि संवैधानिक रूप से केन्द्रीय क्षेत्र के मामलों में राज्य-सरकारों से परामर्श करें और उनकेविचारों को महत्व दें। इस मामले में भी ऐसा ही किया गया।

Shri A. B. Vajpayee : Under section 11 of Arms Act it is the responsibility of the Union Government to ensure the implementation of the notification issued under the Act. But the Chief Minister of West Bengal has interpreted it like this :

"Though this Central Act, the power to implement the provisions of the notification solely rests with the State Government."

Does the hon. Home Minister agree with this interpretation and what will be the position of the Central Government if the West Bengal Government does not consider its implementation necessary as the report from Calcutta indicate ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : राज्य सरकार का अवश्य कुछ उत्तरदायित्व है परन्तु अधिनियय के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का भी कुछ कानूनी और संवैधानिक उत्तरदायित्य है, जिसका पालन करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई हैं। हमारा प्रयास स्थिति को सामान्य बनाने के लिये राज्य सरकार के हाथ मजबूत करने का है। मैं पहले से यह नहीं कह सकता कि इससे प्रत्याशित परिणाम नहीं निकलने पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

Shri A. B. Bajpayee : The notification has been issued under section 11 of the Arms Act, which says that the Union Government will appoint its own officers. It does not empower the Government to delegate its powers. What is the use of issuing the notification if the Central Government do not want to depute their own officers there ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा हूं। केन्द्रीय सरकार आशा करती है कि राज्य सरकार के अधिकारी अधिनियम के अनुसार, काम करेंगे। यदि वे नहीं करते हैं जो क्या परिणाम होंगे, इस बारे में कुछ कहने से पहले मुझे स्थिति को देखना होगा।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : यह एक मानी हुई बात है कि जोतेदारों द्वारा आदिवासियों को बेदखल किये जाने पर आदिवासियों द्वारा अपनी भूमि वापस लेने पर कुछ मुठभेड़ें हुई। क्या गृह मंत्रालय तीर-कमान को अपनी पुलिस की बन्दूकों से अधिक खतरनाक समझती हैं, दूसरे क्या पीकिंग रेडियो सुनने के बाद इन तीर-कमानों को खतरनाक हथियारों का दर्जा दे दिया गया है और तीसरे क्या पीकिंग रेडियो के मूढ़तापूर्ण प्रसारणों से लाभ उठाकर गृह मंत्रालय जोतदारों को उदारता से बन्दूक आदि के लाइसेंस दे रहा है ताकि इस क्षेत्र में भू-स्वामियों की तानाशाही कायम हो सके ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य यदि इस प्रश्न के राजनैतिक पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिये तैयार हूं। यदि पीकिंग रेडियो के प्रसारणों से वे चिन्तित हैं, तो मैं भी उतना ही चिन्तित हूं। जब हिंसक कार्यवाहियों में बड़े पैमाने पर तीर-

कमानों का प्रयोग किये जाने लगा, तो हमें स्वाभाविक ही ध्यान देना पड़ा। दूसरे हमें यह पता चला कि ये अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से लाये गये थे। ये देशी हथियार हैं और बहुत से लोगों द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किये जा सकते हैं। क्या वे भूमि की समस्या को हल करने के लिये इनका प्रयोग करना चाहते हैं ?

श्री श्री० अ० डांगे : जब जोतदार बन्दूक प्रयोग करता हैं, तो आदिवासी तीर-कमान प्रयोग करेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारा विचार स्थायी रूप से इनपर प्रतिबन्ध लगाने का नहीं है। भूमि समस्या को हल करने में इनके सामूहिक रूप से प्रयोग किये जाने के कारण हमें ऐसा करना पड़ा।

Shri Yashpal Singh (Dehradun) : Sir, in the context of the pledge taken by Congress in 1931 under the blessings of Mahatma Gandhi that any form of restrictions on weapon is a sign of slavery, may I know from the hon. Minister why some such arrangement is not made that no body dares to create trouble ? If the people of the area are not loyal, how long the present state of affairs will be allowed to continue ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हथियारों पर सामान्य प्रतिबन्ध के बारे में मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूँ। लेकिन यह एक अस्थायी बात है। जैसे ही स्थिति सामान्य हो जायेगी हम इसे वापस ले लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : सभी अन्य 500 सदस्य केवल एक-एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं किस प्रकार भेदभाव कर सकता हूँ। हाल में नियम बदल दिया गया है और ध्यान दिलाने वाली सूचना पर केवल 5 नाम हो कार्य-सूची में रखे जा सकते हैं भले ही 50 सदस्य सूचना दें। मैं नियम को भंग नहीं कर सकता हूँ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आदिम जातीय लोगों में तीर-कमान रखने की प्रथा है और वे इसके लिये लाइसेंस नहीं लेते। सरकार ने धारा 144 के अन्तर्गत इन पर पाबन्दी लगा दी है। विदेशों से लाये गये हथियारों के लिये तो लोग लाइसेंस लेंगे नहीं जैसाकि विद्रोही मिजो और नागा लोगों द्वारा चीन और पाकिस्तान से प्राप्त हथियारों के मामले में स्पष्ट है। इस पृष्ठ भूमि में मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री ने ऐसा पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में वर्तमान ऊथपुथल को रोकने के लिये किया था अथवा इसका राजनैतिक प्रयोजन था, अर्थात् संयुक्त मोर्चा सरकार में फूट डालना ताकि वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू किया जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे पास ऐसी फूट डालने के लिये कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। इन चीजों को रखने के लिये कोई लाइसेंस लेने का प्रश्न नहीं है। हम तो इन्हें लेकर चलने, लाने-ले जाने, अन्य देशों से लाने, खरीदने पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : धारा 144 के अन्तर्गत जोतदारों द्वारा बन्दूक लेकर चलने पर रोक नहीं लगाई गई है । यह एक भेदभावपूर्ण आदेश है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर नहीं दिया जायेगा । यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री वासुदेवन नायर (परिमाडे) **:** 30 जून के बाद स्थिति के बारे में अपने निष्कर्ष में गृहमंत्री ने कहा कि स्थिति सुधरने की अपेक्षा खराब हुई है । पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य सूत्रों से प्राप्त समाचारों से इसके विपरीत पता चलता है कि स्थिति में सुधार हुआ है । वे बतायें कि कितनी घटनायें हुई हैं । क्या उनके निष्कर्ष का आधार पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त रिपोर्ट है अथवा कोई अल्प सूत्र हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही हमें पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मिलती हैं । पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वयं कार्यवाही की योजना बनाई और उन्होंने स्थिति नियन्त्रण में न रहने के कारण ऐसा किया । मेरा मूल्यांकन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है । अवश्य ही जानकारी प्राप्त करने के हमारे अपने भी साधन है ।

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं और स्थगन प्रस्तावों के बारे में (प्रश्न)

RE : CALL ATTENTION NOTICES AND ADJOURNMENT MOTIONS (Query)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज एक अत्यन्त गम्भीर विषय के बारे में बहुत सी ध्यान दिलाने वाली सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मनीपुर में 23 पुलिस कर्मचारी मारे गये हैं ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) **:** मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सम्बन्ध में बहुत सी ध्यान दिलाने और स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं । मैं मंत्री महोदय को कल शाम तक का समय दे रहा हूँ कि जानकारी इकट्ठी करें । मैंने किसी को अस्वीकार नहीं किया है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : My submission is that obviously the Nagas who made this attack must have been more than a battallion in strength. Mr. Speaker, Sir, it is a very serious matter, it should better be taken up in form of an adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : इस समय इस पर चर्चा करने से क्या लाभ है ? यह उचित नहीं है । हम कल विचार करेंगे । यदि कोई आवश्यक बात हुई, तो अवश्य ही मैं उन्हें भी अवसर दूंगा ।

अनुदानों की मागें–जारी

DEMANDS FOR GRANTS-Contd.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—जारी

अध्येक्ष महोदय : खाद्य, कृषि मंत्रालय की मांगों के लिये लगभग 3 घण्टे बाकी रह गये हैं। प्राय; सभी दलों का थोड़ा-थोड़ा समय बाकी है परन्तु प्रजा समाजवादी दल का अभी तक कोई भी सदस्य नहीं बोला है।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : The time for discussion on the Demands for Grants of this ministry may kindly be extended by about 2½ hours so that one representatives from each State may get an opportunity.

अध्यक्ष महोदय् : समय बढ़ाने से वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर तथा अन्य मांगों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। इससे सदस्यों को नुकसान रहेगा।

Shri Lakhan Lal Kapur (Kishanganj) : Mr. Speaker, Sir. it is very unfortunate that India with 76 per cent of its population engaged in agricultural occupation is seen a begging for food at the doors of the white House, where only 6 per cent people are engaged in the pursuit of agriculture. A long period of 20 years has elapsed since the country attained freedom but not a single problem has been solved. Out of a total outlay of Rs. 18,000 crores on the three Plans, Rs. 1250 crores only, have been spent on irrigation and the total expenditure on agriculture and irrigation comes to 12 per cent only.

No concrete steps have been taken in the direction of land reforms. 50 per cent small farmers own only 3 per cent of land and the 20 per cent rich farmers own 75 per cent of land. The food problem cannot be solved till there is extreme poverty in the country. When there will be social justice in the country ? How long 80 per cent people will continue to lead a miserable life. The food scarcity, the spiralling prices etc. are brewing a revolution in the country. 16 percent land less labourers remain out of employment. Their income has gone down by 11 per cent during 1951–1957 and the number of members in each family has gone up from 4.3 to 5 4. The amount of Rs. 18.5 crores spent on their rehabilitation during the three Plans is negligible compared to the magnitude of the problem. Government must take effective steps immediately for fair distribution of landless farmers. For instance in Bihar 10 million acres of cultivable land is lying waste. Why can't it be distributed among the 30-32 lakhs landless labourers ?

The food problem should be solved on the basis of an industrial policy on agriculture. A food army should be organised to step up food production and the unused land belonging to the Railway Ministry, Defence Ministry and the Forest Department should be utilised for cooperative farming.

As regards the credit facilities, a farmer has to approach a dozen offices for months together for a loan of even Rs. 500-1000. The system should be simplified. Arrangements should be made for easy and expeditious loans and advances to farmers by the banks.

There should be a uniform food policy for the entire country. A food budget should be prepared. The zonal system must go and the trade in foodgrains should be

entrusted to the Food Corporation. There should be control on cloth, and crop and cattle insurance should be introduced so that people may get some relief.

As regards sugar, 12 factories are closed now in Bihar. The cone gre wer is not getting fair price for his produce resulting in shifting of cultivation to other crops. The crisis can be overcome by fixing the cane price at Rs. 4 per maund. Similarly floor prices should be fixed for jute at Rs. 60. Then, the development blocks have become centres of politics. Far from improving the village life, they are polluting it. The earliar they are scrapped the better.

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Loke Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 म० प० बजे पुनः समवेत हुई :

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Dy. Speaker *in the Chair* }

Shrimati Jayaben Shah (Amreli) : Unless the farmer is made to feel that he will be a co-sharer in the fruits of his labour, we cannot expect encouraging results in agriculture. In order to enthuse the farmers land reforms will have to be carried out.

Only the big farmers reap the benefit of the various facilities extended by the Government, such as credit, improved seeds, fertilisers, etc. The condition of the small farmers who are in real need of such help remains as bad as before.

The zonal system has proved very harmful. It has deprived the farmers of a remunerative price for their produce. It should be scrapped without any delay.

Government should not undertake the responsibility of distributing foodgrains to the entire community. Those who have lands and those who pay income-tax should not be covered by the Government food distribution machinery. It is most deplorable that Government acquire fertile lands for setting up industrial projects. So long as there is shortage of food in the country, Government must make it their policy that no agricultural land will be acquired for such projects. Fallow land can be utilised for setting up these projects.

Too much emphasis has been laid on fertilizers. It would be dangerous to minimise the importance of organic meanure in the country's agriculture. If sugar is decontrolled, its availability position will improve.

Crop insurance is necessary for importing confidence in the production.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : हमें स्वतंत्रता मिले 20 वर्ष पूरे हो गये हैं और तीन पंचवर्षीय योजनाएं भी कार्यान्वित की जा चुकी हैं परन्तु फिर भी देशवासियों को

खाना उपलब्ध करने के लिये हमें विदेशों से भारी मात्रा में अनाज का आयात करना पड़ रहा है। हम बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाने के आदी हो गये हैं परन्तु हमें इस तथ्य का आभास नहीं हुआ है कि जिन्दा रहने के लिये अन्न हमारी सबसे पहली तथा मूल आवश्यकता है। अनाज के भाव इतने अधिक बढ़ गये हैं कि आम आदमी अपना थोड़ा सा राशन खरीदने में भी कठिनाई अनुभव करता है।

पिछले तीन मास में केरल को चावल के नियत कोटे का 60 प्रतिशत चावल भी उपलब्ध नहीं किया गया। उस राज्य में राशन व्यवस्था फेल हो गई है। केरल की गरीब जनता को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति केवल तीन औंस चावल पर ही जिन्दा रहने के लिये मजबूर किया जा रहा है। उन्हें गेहूँ दिया गया जिसे खाने के वे आदी नहीं हैं। केरल राज्य ने नकद फसलों जैसे मिर्च, इलायची, चाय तथा कॉफी से जो विदेशी मुद्रा प्राप्त की उसको केन्द्रीय सरकार ने ले लिया है। फिर भी वह अधिक अन्न पैदा करने वाले राज्यों को केरल को अपना फालतू अन्न बेचने का आदेश देने के बारे में अपनी असमर्थता प्रकट कर रही है।

सरकार एक राष्ट्रीय खाद्य नीति नहीं बना पाई है। वह किसानों को भूमि दिलाने में असमर्थ रही है। उसने छोटी सिंचाई योजनाओं तथा उर्वरकों के उत्पादन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और वह केवल बड़ी-बड़ी योजनाएं ही बनाती रही है।

अन्न तथा उर्वरक सम्बन्धी राज सहायता में की गई कटौती समाप्त कर दी जानी चाहिये। खाद्य निगम को खाद्य विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को अन्तिम रूप देने के लिये कहा जाना चाहिये। इस निगम को यह भी सुनिश्चित करने के लिये कहा जाये कि प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों तथा नए भर्ती किये गये व्यक्तियों को उनकी तुलना में अधिमान न दिया जाये। फालतू अन्न पैदा करने वाले राज्यों के फालतू अनाज की वसूली तथा वितरण के काम को केन्द्रीय सरकार को सीधे अपने नियन्त्रण में ले लेना चाहिये। केरल को जो एक कमी वाला राज्य है अनाज के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पर्याप्त ऋण दिये जाने चाहिये। रूसी सहायता से जो पांच सरकारी फार्म स्थापित किये जाने हैं उनमें से एक केरल में स्थापित किया जाना चाहिये। राशन व्यवस्था को बनाए रखने के लिये केरल को तुरन्त चावल भेजा जाना चाहिये।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : As a matter of fact the farmers should be one of the most privileged classes in our country, but on the contrary they are treated as an under-dog. They are not heard anywhere. If we want the prestige of our country to go up in the world, we shall have to give a position of prestige to our farmers because they alone can save us from the humiliation of going about a begging for food.

The statistics with regard to expansion of irrigated area are fictitious. It is not the irrigated area but the amount of irrigation cess that has been increasing. Where irrigated area has increased, the availability of water has not increased at all. Cess is charged even for the fields which do not get any water through out the period of a crop.

The Uttar Pradesh Government should be provided with funds for their project which will benefit Haryana and Himachal Pradesh also. In the areas irrigated by canal the farmers are not allowed to bore tube well. This is wrong and they should be allowed

to bore their own tube wells as the supply of water from canal is not assured. Once the tube-wells are bored, there is no arrangements for their proper maintenance. If they go out of order, they are not repaired for months.

Governments' policy about dairy development is basically wrong. It is to benefit the bigger cities at the cost of the smaller cities and villages. Delhi is being supplied with milk by depriving the neighbouring areas. Sugarcane prices are on the low side and should be increased keeping in view the rising cost of living index.

The use of fertilisers involves the examination of soil with a view to determining its suitability in regard to a particular soil. The farmer does not know what type of fertiliser is suitable for him. More importance should therefore be given to organic manure in comparison to chemical manure. Villagers should be provided with coal as an alternative fuel and to save cowdung for being used as manure.

श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल) : किसानों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी गई हैं और योजनाओं को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया गया है । वर्तमान खाद्य संकट के लिये यही दो बातें जिम्मेदार हैं । मानव की यही इच्छा होती है कि वह अधिक कमाये और अधिक उत्पादन करे । तभी वह खुशी रह सकता है । सरकार ने किसानों को फायदा पहुँचाने के लिये जो नीतियां बनाई हैं उनसे किसानों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है । इसका परिणाम यह हुआ है कि अपना उत्पादन बढ़ाने के लिये उनमें कोई उत्साह उत्पन्न नहीं हो पाया है ।

देश की बड़ी सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं पर सैंकड़ों करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं परन्तु 10–10 अथवा 13–13 वर्ष बीत जाने पर भी उनके द्वारा जितनी भूमि विकसित की जानी थी वह अभी तक विकसित नहीं की जा सकी है । 13 वर्ष बाद भी तुंगभद्रा परियोजना से 50% से भी कम भूमि विकसित की गयी है । यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी राशि खर्च करने के पश्चात् भी इन सिंचाई परियोजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठाया गया है । इसका कारण यह है कि सरकार ने किसानों को भूमि को कृषि-योग्य बनाने के लिये ऋण नहीं दिये हैं । राजस्व विभाग ऋण मंजूर करने में वर्षों लगा देता है । कभी कभी तो बेकार के कारण बता कर आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाता है । पंचायत समिति से 500 रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिये किसान को ग्राम अधिकारी, ग्राम सेवक आदि को घूस के रूप में 150 रुपये खर्च करने पड़ते हैं । मैं यह सब बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा हूँ । मैं स्वयं काफी समय तक एक पंचायती समिति का सदस्य रहा हूँ और अपने अनुभव के आधार पर ही मैं यह कह रहा हूँ । मेरा उद्देश्य केवल यही है कि किसान को उसके कृषि कार्यों के लिये सहायता दी जानी चाहिये ।

सरकार कुओं के लिये 750 रुपये की सहायता देती है परन्तु किसान को वास्तव में 500 रुपये ही मिलते हैं और शेष 250 रुपये उसे घूस के रूप में देने पड़ते हैं । ये अधिकारी अब बहुत दुस्साहसी हो गये हैं और खुले आम घूस मांगते हैं । सहकारी समितियां भी ऋण देती हैं परन्तु नियमों के अनुसार वे 350 रुपये से अधिक ऋण नहीं दे सकती जो कि बहुत ही थोड़ा है ।

जहां तक पम्पिग सेटों का सम्बन्ध है, सरकार को किसानों में विश्वास ही नहीं है। उन्हें यह डर रहता है कि किसान सरकार द्वारा दिये गये पैसे से पम्पिग सेट नहीं खरीदेंगे। इसलिये उनसे कहा जाता है कि वे उन्हें किसी कम्पनी से खरीदें और वे कम्पनियां ऐसी होती हैं जिनके अधिकारियों के साथ लेनदेन होते हैं। यदि बाजार में उनकी कीमत 1200 रुपये होगी तो किसानों को वे पम्प कम्पनी से 1700 रुपये में मिलेंगे।

सहकारी संयुक्त खेती समितियां ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही हैं। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं अडोनी कॉआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का प्रधान हूँ जिसे सरकार ने कपास से बिनौलने निकालने तथा तेल निकालने का कारखाना लगाने के लिये 4 लाख रुपये दिये हैं। परन्तु कार्यकारी पूंजी न दिये जाने के कारण उसे प्रतिवर्ष 30,000 रुपये की हानि हो रही है।

मुझे दो-तीन बातें और कहनी थीं परन्तु मेरा समय समाप्त हो गया है।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) ; We have not been able to do any long range planning with the result that howsoever good the plans were, they failed to achieve the desired objectives; the plans were not balanced. The need of the hour is that a long range plan is prepared which should cover not only the problem of food but also of fodder, fertilisers, fuel aud other things.

The villages should be advised as to what type of trees they should grow on the boundaries of their fields. Trees which can grow quickly and which can give us fuel along with fine fruits should be popularised amongst the villagers. The finacial position of the farmer has always been weak. This should be improved. If this is not done, our schmes are not going to bear any fruit.

Facilities like supply of bullocks, seeds, fertilisers, etc. should be made available to the farmers. As regards fertilisers, preference should be given to the use of organic manure.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब बैठ जायें। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा करेंगे। वे अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
The Committee on Private Members Bills and Resolutions

आठवां प्रतिवेदन

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Sir, I beg to move :

"That this Honse agrees withthe Eighth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 12th July, 1967."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के आठवें प्रतिवेदन से जो सभा में 12 जुलाई, 1967 को उपस्थापित किया गया था, सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

तिब्बत के बारे में संकल्प–जारी

Resolution re : Tibet—Contd.

श्री नायनार (पालघाट) : भारत ने तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व 1954 में स्वीकार किया था। मेरे माननीय मित्र श्री गोयल ने कहा कि 1913 तक तिब्बत स्वतंत्र देश था। मैं इसके पूर्व इतिहास में नहीं जाना चाहता कि परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह ठीक नहीं है। सन् 710 से तिब्बत ने चीन ने सम्बन्ध स्वीकार किया और धीरे धीरे वह उसका अंग बन गया। अंग्रेजी शासकों ने भी तिब्बत चीन का एक भाग माना है। वे इसे चीन का अधिराज्य समझते थे।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि चीन ने 1950 में तिब्बत पर हमला किया और वहां के लोगों तथा उनके धर्म को नष्ट करना आरम्भ किया। पुर्तगालियों ने भी यही तर्क दिया था कि भारतीय सेना ने गोआ पर हमला किया। ऐसी बातें कह कर तो हम उनके तर्क का ही समर्थन कर रहे हैं। बर्मा और लंका 1935 में भारत से अलग कर दिये गये थे। क्या हम कह सकते है कि बर्मा और लंका भारत के अंग हैं? हम ऐसा नहीं कह सकते। हमें कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को मानना पड़ता है।

तिब्बत में दलाई लामा के शासन काल में 80 प्रतिशत जनसंख्या किसानों तथा चरवाहों की थी और 200,300 कुलीन परिवार ही तिब्बत का शासन चलाते थे। तिब्बत के भूमिहीन कृषकों को सामन्त लोगों के लिये काम करने के लिये बाध्य किया जाता था जो भारतीय सेना भेज कर तिब्बत को आजाद कराना चाहते हैं वे पुरानी सामन्तशाही तथा दास प्रथा फिर से स्थापित करना चाहते हैं।

जो व्यक्ति मानवीय कारणों के बारे में इतनी बातें करते हैं वे एक तरफा दृष्टिकोण अपना रहे हैं। अमरीका में हबशियों के साथ अत्याचार किया जाता है और अमरीका वियतनाम में लोगों को बेदर्दी से मार रहा है। इन सब अत्याचारों के विरुद्ध उनकी आवाज नहीं उठती है और वे चुप्पी साधे बैठे हैं।

सरकार द्वारा हाल ही में कहा गया है कि वह तिब्बत के बारे में अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी। इसका अर्थ उस करार से पीछे हटना होगा जो हमने चीन के साथ किया था। यदि हमारी सेना के साथ दलाई लामा को तिब्बत को आजाद करने के लिये भेजा जाता है, तो उसका अर्थ चीन के अन्दरूनी मामले में दखल देना होगा।

नेहरू ने मई 1954 में लोक सभा में कहा था कि किसी भी देश ने तिब्बत पर चीन के साथ प्रभुत्व को कभी भी चुनौति नहीं दी है। मैं श्री नेहरू की इस घोषणा का समर्थक हूं। तिब्बत चीन का अंग है और हमें इस स्थिति को स्वीकार करना चाहिये।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : तिब्बत पर चीन का अधिकार होने के बाद, विधिवेत्ताओं के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा नियुक्ति तिब्बत आयोग के सामने दलाई लामा ने चीनी सरकार पर कई आरोप लगाये थे। जो आरोप लगाए गये थे उसमें से एक बहुत गम्भीर आरोप यह था कि चीनी सरकार ने जानबूझ कर नरहत्या की नीति अपनाई थी। मैं आयोग का एक सदस्य होने के नाते दलाई लामा से प्रश्न पूछने का इच्छुक था। क्योंकि आयोग का मुख्य उद्देश्य इन आरोपों की सत्यता का पता लगाना था इसलिये दलाई लामा से प्रश्न पूछना बहुत आवश्यक था। मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि दलाई लामा ने मेरे इस अनुरोध को तुरन्त स्वीकार कर लिया और वे आयोग के सामने उपस्थित हुए। उनसे बहुत से प्रश्न पूछे गये और उन्होंने उन सब का उत्तर दिया।

वह आयोग, जिसके तीन सदस्य भारतीय थे, इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि चीन को जानबूझ कर तिब्बत के लोगों की हत्या करने का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। परन्तु उसकी राय में चीन के विरुद्ध यह आरोप सिद्ध हो गया था कि चीन ने वहां के लोगों के धर्म को नष्ट करने की पहले से ही योजना बनाई हुई थी। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि धर्म का अनादर किया गया या लोगों को साम्यवादी विचार धारा अपनाने के लिये कहा गया अपितु वहां के स्थापित धर्म को समाप्त करने का जानबूझ कर प्रयास किया गया।

{ **श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए**
Shri Bal Raj Madhok *in the Chair* }

मठों को गिराया गया। लामाओं को तंग किया गया और बलात् विवाह किये गये। इसके लिये काफी हद तक भारत उत्तरदायी है। यदि हम शक्तिशाली होते और जब चीन ने 1951 के 17 सूत्री करार का उल्लंघन किया था उस समय उसकी निन्दा करते, तो स्थिति भिन्न होती। दलाई लामा को सारे देशों की जनता के सामने अपना मामला पेश करने की हमने अनुमति नहीं दी। ऐसा करके हमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है। यदि दलाई लामा को सारे विश्व के सामने अपना मामला रखने के लिये उचित अवसर तथा उचित सुविधा दी जाती तो सारी दुनिया को मालूम हो जाता कि चीन ने तिब्बत में जानबूझ कर धर्म की हत्या की है। यह केवल अनादर का प्रश्न नहीं है अपितु एक देश के धार्मिक तथा सांस्कृतिक अस्तित्व को जानबूझ कर समाप्त करने का प्रश्न है। मानवता के हित में तथा बुनियादी मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु इसे बन्द किया जाना चाहिये। वहां पर किस प्रकार की सरकार हो, इसका निर्णय तिब्बत के लोगों द्वारा ही किया जाना चाहिये, ओर उन पर कोई चीज जबरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिये।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : मेरे साम्यवादी मित्र ने कहा है कि पहले तिब्बत का शासन कठोर था और कुछ ऐसे रीतिरिवाज थे जिन्हें मेरे माननीय मित्र पसन्द नहीं करते और वे चाहते हैं कि हम भी उन्हें पसन्द न करें। इस प्रकार उन्होंने तिब्बत पर चीन के अधिकार को उचित ठहराने का प्रयत्न किया है। उन्होंने अमरीका में हबशियों के साथ दुर्व्यवहार का उदाहरण दिया है। यदि वहां पर हबशियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है तो क्या वे चाहते हैं कि चीनी वहां पर जायें और उन्हें आजादी दिलाएं। उन्होंने बिलकुल गलत तर्क दिये है।

किसी देश के शासन को चलाना वहां की जनता का काम है। यदि वे अपने पुराने रीतिरिवाजों से मुक्ति चाहते हैं तो उन्हें वह मुक्ति प्राप्त करनी ही चाहिये। परन्तु इससे किसी अन्य राष्ट्र को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। तिब्बत के लोगों में अपने लामा के प्रति प्रेम और आदर की भावना है। किसी अन्य धर्म के अनुयायी की दृष्टि में उनका यह प्रेम तथा आदर सही भी हो सकता है तथा गलत भी। परन्तु इस आधार पर कोई अन्य देश उनके अन्दरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

तिब्बत की जन संख्या 20–30 लाख थी परन्तु उन्हें सभ्य बनाने के लिये उतने ही चीनी वहां पर जा बसे हैं। इसका बिल्कुल भी कोई औचित्य नहीं है। तिब्बत चीन और भारत के बीच एक मध्यवर्ती राज्य है। हमें यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि इस मध्यवर्ती राज्य पर किसी ऐसे राष्ट्र का अधिकार न हो जिससे कभी हमारे देश पर आक्रमण की आशंका हो।

तिब्बत में जो कुछ हुआ है उससे यह प्राचीन राष्ट्र ही समाप्त हो गया है। चाहे वहां की भाषा को लीजिये, चाहे रीतिरिवाजों को ले लीजिये, वे चीनी लोगों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। वास्तव में उनका चीन की अपेक्षा भारत से अधिक सम्बन्ध है। चीन तिब्बत पर बिल्कुल भी दावा नहीं कर सकता। तिब्बती लोग किसी के साथ नहीं झगड़ते। वे अपनी भूमि में ही अपना जीवन यापन करते हैं। उनका जीवन यापन का अपना ही तरीका है, उनका अपना ही धर्म है। इस कारण से हम उन्हें असभ्य नहीं कह सकते। यदि कोई राष्ट्र अपने आप को अधिक सभ्य समझता है, तो उसे उन पर अपनी सभ्यता थोंपने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, और न ही उसे ऐसा करने का अधिकार ही हो।

यूरोप अपने आपको एशिया और अफ्रीका के देशों से अधिक सभ्य समझता है। अफ्रीका में कुछ ऐसे लोग हैं जो नर भक्षी हैं। क्या इसी कारण उन पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया जाये ? परन्तु इससे मानवता की क्या भलाई होगी ? अपनी सभ्यता के प्रचार का तरीका वही होना चाहिये जो अब तक भारत का रहा है। भारत से बुद्ध धर्म के प्रचार के लिये प्रचारक लोग श्री लंका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और जापान तक जाते रहे हैं। प्रचार का यही तरीका है। आक्रमण करके विजय प्राप्त करना सभ्यता के प्रचार का तरीका नहीं है। यदि हमारी सभ्यता ऊंची भी हो तो भी हम शक्ति के प्रयोग से लोगों में परिवर्तन नहीं ला सकते।

इसलिये मैं कहता हूं कि तिब्बत में बड़े भारी अत्याचार हुए हैं और यह हमारे नाम पर एक स्थाई कलंक है कि हमने इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई जबकि हम ऐसा कर सकते थे। विदेशी लोग हमसे पूछते हैं कि जब चीन हमारे लिये खतरा है तो हमने तिब्बत पर अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ क्यों नहीं उठाई ? चीन का खतरा पहले से ही था परन्तु यहां के अधिकारियों ने इस बात की उपेक्षा की। उस समय भी सरदार पटेल ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था। उसमें यह बात स्पष्ट रूप से कही थी कि तिब्बत के विनाश के कारण भारत को चीन से खतरा है।

इस प्रकार किसी भी सही दिशा में सोचने वाले व्यक्ति का यही विचार होगा कि तिब्बत की समस्या के साथ सारे संसार का सम्बन्ध है। यदि संसार अपने आपको सभ्य समझे, और केवल साम्यवादी ही न समझें तो मेरे विचार में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का कर्तव्य है कि वह इस प्रश्न को उठाये।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : चीन ने जब तिब्बत पर अधिकार किया तो तिब्बत की जनता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, इस प्रकार की बात कहना उनके सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। परन्तु इस समय विचाराधीन प्रश्न यह है कि क्या दलाई लामा को तिब्बत की प्रवासी सरकार का प्रमुख मान लिया जाये और क्या साम्यवादी चीन के उपनिवेशी शासन से तिब्बत को छुड़ाने के लिये उसे भारत द्वारा सभी सुविधाएं दी जाये।

तिब्बत द्वारा चीन पर कब्जा करने के समय भारत ने एक विशेष नीति अपनाई थी। हमने चीन के साथ एक समझौता किया था। हमारी स्थिति यह रही है कि तिब्बत पर चीन का अधिराज है। यदि हम इस स्थिति को मानते हैं तो तिब्बत का मामला चीनी गणतंत्र का घरेलू मामला बन जाता है। यह समझौता कर लेने के बाद क्या हम कानूनी तौर पर कुछ कर सकते हैं ? वर्ष 1954 के बाद संयुक्त राष्ट्र की महासभा में यह प्रश्न उठाया गया था परन्तु इस प्रश्न पर बड़ी शक्तियों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। यदि 15 या 16 वर्षों के बाद हम अपने रवैये में परिवर्तन करके आगे बढ़ते हैं तो संसार हमारे विषय में क्या सोचेगा ?

इसलिये कानूनी दृष्टि से तथा संवैधानिक दृष्टि से मेरे विचार में इस संकल्प का समर्थन करना अनुचित होगा।

श्री नाथ पाई (राजापुर)। भारत के चुप रहने से कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ने भारत की अनुमति से तिब्बत पर बलपूर्वक नियन्त्रण किया। अतः यह घटना भारत के इतिहास में एक दुःखद घटना समझी जायेगी और भविष्य में भारतीय जनता इसे अपराध और लज्जा के भाव से पढ़ेगी। इसलिये भारत सरकार तिब्बत पर हो रहे अत्याचार से विमुख नहीं हो सकती।

हमें स्मरण रखना चाहिये कि तिब्बत के नेता तथा वहां की जनता माओवादी चीन के सुझावों से भयभीत थी और उन्होंने उनका विरोध करने का प्रयत्न किया। इस देश के साथ अपनी मित्रता की परम्परा का ध्यान करते हुए उन्होंने बड़ी आशाओं के साथ हमसे सहायता मांगी। परन्तु हमने उन्हें अपनी आजादी का झण्डा लहराने और फिर उसे नीचा करने की सलाह दी। यदि हम उन्हें इस प्रकार की गलत सलाह न देते तो आधुनिक तिब्बत का इतिहास कुछ भिन्न ही होता। वहां की शूरवीर जनता आजादी की जंग लड़ती रहती। यह बहुत ही शर्म की बात है कि वह भारत जो अन्य देशों की सदा सहायता करता रहा है यहां तक कि चीन पर जब जापान ने आक्रमण किया तो भारत ने चीन का समर्थन किया, वह भारत एक छोटे से पड़ौसी राष्ट्र की सहायता न कर सका और उसने तिब्बत को चीन की फुसलाहट के आगे झुक जाने दिया। यदि अब कानून की दृष्टि से देखा जाये तो वह भारत के विरुद्ध

है । परन्तु इससे हमारा दायित्व समाप्त नहीं हो जाता । तिब्बत एक स्वतन्त्र राष्ट्र रहा है । तिब्बत का प्रश्न आऊटर मंगोलिया के प्रश्न के ही समान है । रूस का अब दृष्टिकोण यह है कि आऊटर मंगोलिया को एक स्वतंत्र, प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र होना चाहिये । तिब्बत को धोखा देकर हमने भारत की स्वतंत्रता खतरे में डाल दी है । जो संगीन भारत की सीमा से हजारों मील दूर थी वह अब सीधे दिल्ली की ओर मुंह किये हुए है । हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिये । जो गलती हमने 1954 में की थी उसे 1967 में सुधारा जा सकता है । हमें चीन से डरना नहीं चाहिये । चीन का यह तर्क साम्राज्यवादियों के समान ही है कि क्योंकि तिब्बत के लोग सभ्यता की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, चीन की ऊंची सभ्यता उनकी सहायता करेगी । इसी प्रकार के बहाने से योरुप के साम्राज्यवादियों ने अफ्रीका की जनता पर उपनिवेशवादी शासन लागू किया था । हमने इस तर्क को कभी भी स्वीकार नहीं किया । इसलिये अब तिब्बत से चीनियों को चला जाना चाहिये (व्यवधान) । अभी हाल ही में एक रोचक घटना हुई है । अब रूस ने चीन के अन्याय को, बेशक देर से, महसूस करना आरम्भ कर दिया है । जब चीन का खतरा रूस की सीमाओं के निकट पहुँच गया है तब रूस के नेताओं ने तिब्बत की जनता को स्वाधीनता और प्रभुसत्ता के अधिकार दिये जाने के बारे में उल्लेख किया है । स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष करने वालों की सहायता करना भारत की परम्परा के अनुरूप है । हमें सर्वप्रथम तिब्बत के स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार करना चाहिये और तिब्बत की जनता को प्रोत्साहन देना चाहिये । मैं तिब्बत को स्वतंत्र देखना चाहता हूं ।

एशिया के लोगों में से खम्पा सबसे बहादुर लोग है । हमें हथियारों का मुंह बन्द कर के कानूनी बारीकियों में नहीं जाना चाहिये । सौभाग्य से अब मास्को भी हमसे सहमत होने जा रहा है । हमें वीर खम्पाओं को हथियार देकर प्रोत्साहित करना चाहिये । जब चीन इस बात को नहीं छिपाता कि वह उन भारतीयों को हथियार दे रहा है जो इस देश के टुकड़े-टुकड़े करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, जब मिज़ो और नागा विद्रोही चीन में बने हथियार प्राप्त कर रहे हैं तो फिर हमें क्या डर है ? पेकिंग रेडियो ने खुले तौर पर यहां तक कहा है कि नक्सलबाड़ी में जो प्रकाश चमक रहा है वह माओ की प्रेरणा का ही परिणाम है । ऐसी स्थिति में तिब्बत के स्वतंत्रता के अधिकार का हमें समर्थन करना ही चाहिये । इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रतिनिधि को तिब्बत की जनता के दास बने रहने के प्रश्न पर क्षमाप्रार्थी के रूप में खड़े नहीं रहना चाहिये । आशा है कि श्री चागला, जिन्हें इस सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है वह अपनी पहले की गलती को सुधारने का साहस करेंगे जो बहुत ही शर्मनाक गलती है ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : From the geographical and defence point of view Tibet is like a shield for India, We have committed a blunder in allowing China to establish their swzerainty over Tibet. Now we should rectify this mistake. China intends to overpower not only India but Russia, America and whole Asia and Africa and we, therefore, have to contain China.

China claims one lakh square miles of land which covers Ladakh, NEFA, Bhutan, Sikkim, Burma and Indo-China.

The enemy that we have to face does not understand the term of 'peace' but it believes in war only.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]
[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

So far as Tibet is concerned, it is not the question of Dalai Lama but it is the question of the existence of India. China wants to impose her own way of life, a dictatorial attack against democracy in India. If Tibet had becomes remained a buffer state between India and China, much of our defence expenditure could have been reduced, In fact we should have not believed China. Now there are two powers in Asia, On one side there is India with a democratic set up and on the other side China which is a war mongering nation and a confrontation is bound to take place in between the two. We should not bother about the treaties and we should change our attitude and adopt a strong policy with regard to that country. We have to safeguard our democracy. Our Government has taken a welcome step in giving asylum to Dalai Lama.

I am of the opinion that this matter should be raised in U.N.O. and we should create such a favourable atmosphere in Asia and Africa that Tibet regains her freedom. China is claiming vast territories all over the world. In the interest of our own country and the world, we should support Dalai Lama and condemn China.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर–पूर्व) : मैं इस अवांछित और बहुत ही गैर-जिम्मेदारी पूर्ण संकल्प का पूर्णतया विरोध करता हूं । मैंने सभी भाषण बड़े ध्यान से सुने हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि दलाई लामा की प्रवासी सरकार को मान्यता देना और तिब्बत को साम्यवादी चीन के उपनिवेशवादी शासन से मुक्त करवाने के लिये सभी प्रकार की सहायता देना इतना सरल काम नहीं है । मैं आचार्य कृपलानी को यह बताना चाहता हूं कि क्रान्ति के दौरान ज्यादतियां हुआ करती हैं । हम चीन के विरुद्ध बहुत कुछ कह सकते हैं । मैंने स्वयं चीन की जब निन्दा करनी चाहिये थी, की है । अब भी चीन गैर-जिम्मेदार तरीके से व्यवहार कर रहा है । परन्तु हम चीन को चाहे जितना नापसन्द करें, चाहे हम कितना ही महसूस करें कि चीन ने हमें बहुत हानि पहुँचाई है और हमारे देश के सम्मान को धक्का लगा है, फिर भी क्या हम ऐतिहासिक दृष्टि से चीन को भूल सकते हैं ? क्या हम भूल सकते हैं कि यदि 1949 में चीन में क्रान्ति न होती तो हम उस स्थान पर न रहते होते जिसे कुछ लोग तीसरे संसार का नाम देते हैं ? आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होकर संतुलन बनाये रखने के लिये शायद दो संसारों का अस्तित्व न होता ।

हमने यह बात स्वीकार की है कि तिब्बत चीन का एक प्रदेश है और उसका अंग है । अब यदि तिब्बत में कोई घटना होती है और हम उस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करते हैं तो वह उस देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना होगा । क्या सदा हस्तक्षेप करते रहना उचित बात है ? हमारा सच्चा क्रोध उस समय कहां था जब इण्डोनेशिया में हजारों साम्यवादी मारे गये थे ? क्या वहां किसी ने हस्तक्षेप किया था ? हमें इस प्रश्न पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करना चाहिये । चीन की उत्तेजना की परवाह न करते हुए हमारा दृष्टिकोण सिद्धान्तों पर आधारित होना चाहिये ।

पाकिस्तान से भी हमारा कई बेातों में विरोध है। हमारे मित्र श्री चागला कभी कुछ नरम शब्दों का और कभी कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तिब्बत के बारे में उन्होंने अभी अभी एक वक्तव्य में कहा था कि हमें तिब्बत के मामले में कुछ करना चाहिये। यदि हम चीन द्वारा उत्तेजित किये जाने पर कुछ कार्यवाही करते हैं तो वह खतरनाक बात है। यह संकल्प भारत की विदेश नीति के सिद्धान्तों के विरुद्ध है अतः हमें इसे अस्वीकार कर देना चाहिये। हमें जिम्मेदार तरीके से काम करना चाहिये। किसी के अच्छे भाषण के फलस्वरूप हमें अपनी नीति नहीं बदलनी चाहिये। यदि हम कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उस परिवर्तन का मूल्य देने के लिये भी हमें तैयार रहना चाहिये। इन बातों के साथ मैं इस सकल्प का जोरदार शब्दों में विरोध करता हूँ।

श्री बे० कु० दास चौधरी : किसी भी देश की विदेश नीति कठोर नहीं होनी चाहिये बल्कि परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन लाने की गुंजाइश होना चाहिये।

यदि सभी दस्तावेजों का अध्ययन किया जाये तो पता चलेगा कि अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन काल के दौरान तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता या अधिराज्य की कभी भी मान्यता नहीं दी। वर्ष 1954 में स्व० प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कुछ रियायतें दी थीं। भारत के विभाजन से पूर्व और बाद में भी तिब्बत के साथ हमारे कुछ प्रशासनिक सम्बन्ध थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि तिब्बत पर चीन का कभी भी प्रभुत्व नहीं रहा।

1954 के समझौते के अन्तर्गत चीन के प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाई से इस आशय का आश्वासन मिलने पर कुछ रियायतें दी गई थी कि तिब्बत एक स्वायत्तशासी प्रदेश बना रहेगा। इसके साथ हमें यह भी आशा थी कि हमारी सीमा पर शान्तिपूर्ण पड़ोसी होगा और हम अपने देश में कुछ रचनात्मक कार्य कर सकेंगे। उसी समय हमने चीन को अपना राज्य क्षेत्र हथियाने के लिये रास्ता बना दिया था। यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी जिससे हमारे देश की सुरक्षा हमेशा का खतरा पैदा हो गया।

दूसरी ओर चीन की सरकार ने 1954 के समझौते के अन्तर्गत दिये गये विशेषाधिकारों से सम्बन्धित वचनों का पालन नहीं किया। सर्वप्रथम उन्होंने ल्हासा, केन्द्रीय तिब्बत तथा अन्य स्थानों से भारतीय व्यापारियों को निकाल दिया जिससे काश्मीर तथा अन्य उत्तर भारतीय केन्द्रों के साथ व्यापार पर उसका प्रभाव पड़ा। फिर मानसरोवर और कैलाश पर जाने वाले हिन्दू यात्रियों पर चीन ने प्रतिबन्ध लगा दिया। उसके बाद उन्होंने हमारी सीमा के बहुत बड़े क्षेत्र पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। इन सभी अतिक्रमणों के साथ साथ चीन ने वर्ष 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया।

जब चीन ने 1954 के समझौते की सभी शर्तों को अस्वीकार कर दिया है तो भारत ही उस समझौते का क्यों पालन करे ? फरवरी 1959 में ल्हासा में जब गड़बड़ी हुई और तिब्बत में चीन के विरुद्ध क्रान्ति हुई और जब चीन ने तिब्बत में भारी जाति विनाश किया तब तिब्बतियों और दलाई लामा ने भारत में शरण ली। उस समय हमारे प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने कहा था कि हमें 50,000 तिब्बत के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये सभी प्रकार

की सहायता करनी चाहिये परन्तु दलाई लामा के लिये राजनीतिक गतिविधि आरम्भ करना उपयुक्त नहीं है। उस समय हमारे प्रधान मन्त्री के मन में यह विचार था कि हमें ऐसा कोई नहीं करना चाहिये जिससे चीन उत्तेजित हो।

इस प्रकार हमें यह पता लगता है कि तिब्बत के मामले पर हम जो नीति अपनाते रहे हैं वह चीन के भय पर आधारित है।

एशिया और अफ्रीका में स्वतन्त्रता आन्दोलनों का भारत ने सदा समर्थन किया है। उदाहरण के तौर पर 1949 में जब इन्डोनेशिया हालैण्ड से स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये संघर्ष कर रहा था तो भारत सरकार ने हालैण्ड के अत्याचारों के विरुद्ध प्रचार करने के लिये नई दिल्ली 'आजाद इन्डोनेशिया सरकार' के नाम से एक कार्यालय खोलने के लिये इन्डोनेशिया को आरम्भ में 5 लाख रुपये की सहायता दी थी।

इसलिये अब समय आ गया है जब हमें तिब्बत के सम्बन्ध में अपनी नीति पर फिर से विचार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri K. N. Tiwary (Betia) : This resolution deserves our support. There is no doubt that we have committed a mistake in regard to Tibet and it should be rectified. It is no use taking shelter under legal difficulties.

For the defence of our country, we should see that Tibet is there to serve us a bufferstate between our country and China. for this purpose we should help the Dalai Lama in freeing Tibet. from Chinesed omination.

श्री रा० की० अमीत (ढंढ़का) : हमने 1954 में जो गलती की थी उसे अब सुधारा जाना चाहिये। इस संकल्प को स्वीकार करने से कई प्रश्न हल हो जायेंगे। तिब्बत के प्रति हमारा सांस्कृतिक दायित्व है। वह हमारा एक ऐसा पड़ौसी है जिसके साथ हमारे हजारों वर्ष पुराने सम्बन्ध हैं। तिब्बत का समर्थन करने में कोई खतरा नहीं है और यदि कोई खतरा भी हो, तो उसका सामना किया जाना चाहिये।

चीन हमारे मामले में हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिये हमें भी उसके साथ इसी तरह का वर्ताव करना चाहिये। हमारे लिये यही उपयुक्त समय है कि हम एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करें जिससे चीन को ऐसा महसूस हो कि भारत उस पर आक्रमण कर सकता है और उस स्थिति में ही संभवतः चीन की विचारधारा में संतुलन आ सकता है अन्यथा जब तक हम अपने राज्यक्षेत्र के दायरे में ही रहेंगे तब तक चीन का ही हाथ ऊपर रहेगा ओर वह हमें हमेशा तनाव की स्थिति में रखेगा। हम यहां तिब्बत सरकार की स्थापना करके चीन के लिये तनाव की स्थिति क्यों न पैदा करें ? यदि यहां तिब्बत सरकार की स्थापना हो जाती है तो इससे तिब्बत के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार हो सकेगा और चीन के लिये कठिनाई उत्पन्न होगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannuj) : In the past Tibet had mantained its seperate entity and it is only recently that China has deprived the people of that countre of their independence In fact China is trying to exterminate the Tibetan race itseif. But it is

doubtiful whether this intention of theirs would ever be fulfilled. One day the Tibetans are bound to regain their independence.

So far as our relations with China are concerned, the Mac Mahon Line cannot be accepted is our border with that country. Instead this line can be our border with Tibet.

The issues of Tibet and Kashmir are two quite different issued which cannot be equated with one another. Therefore, there is no use in saying this that if we raise the Tibetan issue in the U. N. O. China will take up the controversy about Kashmir. My suggestion is this that we should acknowledge Dalai Lama as the constitutional head of the territory between Nepal and Kailash-Mansarovar. This will help us in achieving our ultimate objective,

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : प्राय: सभी दलों के माननीय सदस्यों ने तिब्बत के लोगों के प्रति गहरी चिन्ता तथा सहानुभूति प्रकट की है। चीन उनकी प्राचीन सभ्यता को मिटाता जा रहा है। वह उनके धर्म तथा संस्कृति को मिटा रहा है परन्तु इस बारे में हमें यथार्थवादी दष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। हमें तिब्बत के राजनैतिक स्तर तथा तिब्बत की जनता के बीच के महत्वपूर्ण अन्तर को ध्यान में रखना चाहिये। जहां तक तिब्बत की जनता का सम्बन्ध है, वहां जो कुछ हो रहा है, उसके विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हमने सब कुछ किया है। तिब्बत की जनता जिन मानवीय अधिकारों की हकदार है उनके बारे ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, हमारे देश ने उसका समर्थन किया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवीय अधिकारों को कुचलने के लिये चीन की निन्दा की है। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी हो सकता है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से ही हो सकता है। जब दलाई लामा हमारे देश में आये तो हमने उनका स्वागत किया था। वह स्वेच्छा से जितनी देर यहां रहना चाहें रह सकते हैं। दलाई लामा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की यात्रा करना चाहते थे और हमने उनको सभी आवश्यक सुविधाएं दी हैं। प्रश्न यह है कि हम दलाई लामा की कैसे सहायता कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि दलाई लामा ने स्वयं भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि उनकी सरकार को मान्यता दी जाये।.....

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : उन्हें भारत सरकारके उत्तर का पहले पी पता था।

Shri Madhu Limaye : Did the Government make this offer ?

श्री जी० भा० कृपलानी : उन्होंने भारत सरकार से अपनी यह इच्छा प्रकट न की हो, परन्तु वे चाहते यही हैं।

श्री मु० क० चागला : मुझे पता हैं, वे क्या चाहते थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक प्रस्ताव पारित करना चाहते थे जो उन प्रस्तावों से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा जो हम दो-तीन सत्रों में पास करते रहे हैं।

वास्तव में हमारे सम्मुख जो प्रश्न है वह यह है कि हम दलाई लामा की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। माननीय सदस्य जो मार्ग अपनाने के लिये कह रहे हैं क्या उससे दलाई लामा या तिब्बत की जनता को कोई फायदा हो सकता है ? क्या तिब्बत

पर चढ़ाई करके तिब्बत के लोगों को मुक्ति दिलाई जा सकती है ? इसका परिणाम तो यही होगा कि या तो हमारी सीमा पर युद्ध भड़क उठे या तिब्बत की जनता का और अधिक दमन हो। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो केवल एक ऐसा प्रस्ताव पास करने से कोई लाभ नहीं होगा जिसके गम्भीर परिणाम निकल सकते हैं और जिससे तिब्बत की भी कोई सहायता नहीं होगी। मुझे भी तिब्बत के लोगों के साथ पूरी हम दर्दी है। अन्तराष्ट्रीय दृष्टि से तिब्बत भारत तथा चीन की जो स्थिति है उसे देखते हुए हम तिब्बत की कैसे मदद कर सकते है, मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम इतिहास को नहीं बदल सकते हैं। हमने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता है .....।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री नाथपाई (राजापुर) : हम तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं करते। क्या हमने इसे स्वीकार किया है ? यह अधिराजत्व है प्रभुसत्ता नहीं। माननीय मन्त्री फिर वही गलती कर रहे हैं ।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली-दक्षिण) : मेरा प्रश्न यह कि मन्त्री जी को माननीय सदस्यों की राय का पता लग गया है.....(अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शान्ति। सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जायें। मन्त्री जी एक ऐसी स्थिति के बारे में सरकार का दृष्टिकोण रख रहे हैं जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से गहरा सम्बन्ध हैं। अतः माननीय सदस्यों को इतना शोरगुल नहीं करना चाहिये।

श्री मु० क० चागला : मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि सरकार तिब्बत के सम्बन्ध में अपनी नीति की निरन्तर जांच करती रहेगी और यह प्रयास करती रहेगी कि तिब्बत की जनता की सहायता करने तथा उनके कष्टों को दूर करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से और क्या कुछ किया जा सकता है ।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : कांग्रेस के कम से कम तीन सदस्यों ने इस संकल्प के समर्थण में भाषण किये हैं। जब यह कहा जाता है कि इस बारे में सर्वसम्मति है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वहां एक मत है। परन्तु मैं निश्चय से यह कह सकता हूँ कि सभा का बहुमत एक संकल्प के पक्ष में है ।

Shri Shrichand Goel (Chandigarh) : I am glad to see that the resolution has been supported by all sides of the House. Having aside few even the Congress Member have spoken in its favour.

There is no denying the fact that the countries like Cylon, Thailand, Combodia South Vietnam and Indonesia are worried about Chinese expansionism and that is why they will stand by us. India should make efforts in and outside United Nations to free the Tibet from Chinese occupation and I am sure several South Asian countries will land their support to us. I would say that this is a high time for us to raise the question of Tibets' freedom because cultural revolution is going on in China and they are miserably involved in it, We should also help the 'Lama' and other Tibetans refugees for establishing their Government.

I am quite sure that the hon. Members will support this resolution keeping in view all these factors.

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : विदेश नीति के बारे में इस सभा के प्रत्येक दल को संयुक्त मोर्चा बनाना है। हम विदेशों सम्बन्धी नीति को कुछ मतों के आधार पर अथवा दल-गत पराज्य अथवा विजय के आधार पर नहीं बना सकते और न ही इसे सफलतापूर्वक क्रिया-न्वित कर सकते हैं। देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति को देखते हुए अधिकांश दलों के विचारों के आधार पर ही विदेश नीति बनानी होगी।

जहाँ तक श्री गोयल के संकल्प का सम्बन्ध है यह सच है कि कांग्रेस तथा अन्य दलों के बहुत से सदस्य इसके पक्ष में हैं।

वैदेशिक कार्य मन्त्री ने वर्तमात स्थिति का तथा पिछले इतिहास का एक प्रकार से स्पष्टीकरण ही किया है। हमें विदेश नीति में परिवर्तन तथा संशोधन करने से कोई नहीं रोक सकता। परन्तु नीति के पीछे एकमत होना आवश्यक है। यदि इस संकल्प पर मतदान किया जाता है तो बाहर के लोग यह समझेंगे कि इसमें से कुछ सदस्य इसके विरोधी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को भाषण करने की अनुमति नहीं दे सकता। यदि वह प्रस्तावक को प्रस्ताव वापस लेने के लिए अपील करना चाहते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटे) : प्रस्तावक द्वारा उत्तर दिये जाने के बाद यदि किसी अन्य सदस्य को समय दिया जाता है तो मुझे भी समय दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उनको भाषण करने की अनुमति नहीं दी है।

श्री हनुमन्तय्या : मैं संकल्प के प्रस्तावक से प्रस्ताव को वापस लेने के लिए अपील करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह इससे सहमत हैं।

Shri Shrichand Goel ; Hoping that the Government will make necessary changes in its policy in regard to Tibet I withdraw my resolution.

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प को वापस लेने के लिए माननीद सदस्य को सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी।

श्री नाथपाई (राजापुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं। इस बारे वे नवीनतम व्यवस्था यह दी गई है कि निर्धारित समय के पश्चात यदि प्रस्तावक अध्यक्ष की सहमति से अपने प्रस्ताव के लिए आग्रह नहीं करता तो मामला वही समाप्त हो जाता है। श्री गोयल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अपने संकल्प के लिये आग्रह नहीं करना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : निदेश 44 में दिया गया है कि :

"यदि वाद-विवाद के अन्त में कोई सदस्य, जिसने कोई संशोधन या प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो, जिसका प्रस्ताव अध्यक्ष ने भी किया हो, अध्यक्ष को सूचित करे कि वह उस पर आग्रह नहीं करना चाहता और संशोधन या प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा सभा के सामने मतदान के लिए न रखा जाये तो ऐसा संशोधन या प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापिस लिया गया माना जायेगा ।"

Shri Madhu Limaye (Moghyr) : I rise on a point of order. There is no need to put it to the vote of the House. Under rule 334 the hon, Speaker can seek the pleasure of the House. If no one dissents he can say that the motion is by leave withdrawn."

I would, therefore, say that first of all you should seek the pleasure of the House.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसी प्रक्रिया का अनुसरण करने वाला था । क्या सभा प्रस्ताव को वापस लिये जाने पर सहमत है ।

अनेक माननीय सदस्य : हां, **अन्तर्बाधाएं**

श्री उमानाथ : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की यह राय है कि दलाई लामा को तिब्बत की प्रवासी सरकार के प्रमुख के रूप में मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए और तिब्बत को साम्यवादी चीन के उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार को उन्हें सभी सुविधायें और सहायता देनी चाहिए ।" जो पक्ष में है वे 'हां' कहें और जो विपक्ष में है वे 'न' कहें ।

कुछ माननीय सदस्य : 'हां'

अनेक माननीय सदस्य : 'न'

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल में 'न' कहने वालों की संख्या अधिक है ।

Shri Madhu Limaye : You should not have put the question. Don't act in a hurry, You should act according to the procedure.

उपाध्यक्ष महोदय : जल्दबाजी का कोई प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य को यह शब्द वापिस लेना चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : I will not Interuption.

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अपना वक्तव्य वापिस लेना होना । यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो मुझे कोई चिन्ता नहीं । सभा द्वारा अन्तिमरूप से निर्णय कर लिया गया है ।

अब मैं आधे घटे की चर्चा लूंगा ।

Shri Madhu Limaye ; I will neither walk out nor I will withdraw my words. You should act according to the procedure. You should take the pleausre of the House.

श्री मीलु मोडी (गोधरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किस बारे में ।

अन्तर्बाधा : वह मामला समाप्त हो चुका है ।

कोशिश की। फिर जब श्री उमानाथ और शायद श्री वासुदेवन नायर ने विमत प्रकट किया तो मैंने नियमावली के अनुसार इसे मतदान के लिये रखा। पहले वे वापिस लेने के लिये सहमत नहीं थे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : We have no objection if you go by rules.

उपाध्यक्ष महोदय : एक माननीय सदस्य ने विमत प्रकट किया था। (**व्यवधान**) यह क्या है ? फिर मैंने मतदान करवाया। उस समय आपने चुनौती नहीं दी।

Shri Madhu Limaye : We all challenged it.

Shri Rabi Ray (Puri) : Kindly take a vote second time.

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा (**व्यवधान**)।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यह एक ऐसा मामला है जिसमें सारे देश को रुचि है। इस मामले पर लगभग सबकी सहमति है। कुछ सदस्य इसके विरुद्ध हैं। परन्तु हमारी कार्यवाही इस सभा में साधारण बहुमत से चलती है। देश की एकता को बनाये रखने के लिये माननीय प्रस्तावक ने प्रस्ताव पर अधिक बल नहीं दिया। यह बहुत अच्छी पेशकश थी और इसे स्वीकार कर लिया जाने चाहिये था। कुछ लोगों के कारण जिनके जीवन का उद्देश्य ही संदिग्ध है, आपने यह कह दिया कि सभा की इच्छा नहीं है। यह उचित नहीं है (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : सारी कार्यवाही नियमों के अनुसार की गई थी परन्तु आप दूसरी बार मतदान के लिये अनुरोध कर रहे हैं और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

***उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

Shri M. A. Khan (Kasganj) : This will not add to the prestige of the House. It is not proper to change the ruling of the House under pressure **(Interruptions)**.

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker ***in the Chair*** }

This is your insult and insult of the House. Therefore that decision should not be revised.

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही सीधी सी बात है। एक बार मतदान लिया गया परन्तु उपाध्यक्ष ने कहा है कि वह दोबारा मतदान करवा देंगे।

श्री खाडिलकर (खेड) : मैंने प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की है। मैंने सभा की इच्छा पूछी। कुछ सदस्यों ने "नहीं" कह दिया। मैंने मतदान करवाया। उसे किसी ने चुनौती

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा। (**व्यवधान**) जब मैंने आपकी बात सुनी है तो आपको भी मेरी बात शान्तिपूर्वक सुन लेनी चाहिये। मैंने पहले सभा की इच्छा जानने की

***उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

नहीं दी। परन्तु श्री मधु लिमये ने दोबारा मतदान करवाने के लिये अनुरोध किया और मैंने उसे स्वीकार कर लिया।

संसदीय-कार्य और संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : प्रस्तावक ने प्रस्ताव वापिस लेने के लिये अनुरोध किया था।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : सभा की सर्वसम्मति के कारण।

डा० राम सुभग सिंह : जो कुछ भी हो। उपाध्यक्ष महोदय ने सभा की इच्छा पूछी। सामान्य तौर पर इस बात के लिये सहमति हो गई थी कि प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति दे दी जाये परन्तु शायद किसी ने आपत्ति कर दी। फिर उपाध्यक्ष ने मौखिक मतदान करवाया और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। उन्होंने फिर अगले विषय पर कार्यवाही आरम्भ कर दी और श्री पाणिग्रही को आधे घण्टे की चर्चा उठाने के लिये कहा। इन परिस्थितियों में क्या अब फिर उस विषय पर विचार करना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने मौखिक मतदान करवाया और अब उसकी पुष्टि करना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं कहा है कि क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने उनसे पुनः मतदान के लिये अनुरोध किया था, उन्होंने उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसलिये मैं अब दोबारा सभा के मतदान के लिये रखता हूँ। फिर वही चीज़ होगी।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : प्रस्ताव क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : जब उपाध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हो सकता है कि उसी समय किसी ने चुनौती न दी हो, परन्तु कुछ गड़बड़ी के कारण दोबारा मतदान की मांग की गई। उपाध्यक्ष महोदय ने यह मांग स्वीकार करली है।

डा० राम सुभग सिंह : अब संकल्प पर मतदान होगा या संकल्प को वापिस लेने वाले प्रस्ताव पर मतदान होगा ?

अध्यक्ष महोदय : संकल्प पर।

डा० राम सुभग सिंह : हमने सभा से पहले ही अनुरीध किया है कि संकल्प को वापिस लेने की अनुमति दे दी जाये। उसी पर मतदान होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री हनुमन्तय्या ने मंत्री महोदय के उत्तर देने के बाद भाषण दिया और इसी कारण स्थिति में गड़बड़ी हुई है। मंत्री महोदय को संकल्प वापिस लेने की अपील करनी चाहिये; परन्तु मंत्री महोदय के भाषण के बाद कोई और सदस्य संकल्प वापिस लेने की अपील करे, वह एक विचित्र बात है। इसीलिये यह गड़बड़ हुई है।

श्री हनुमन्तय्या : मैंने वही बात कही है जो मुख्य सचेतक ने कही है।

अध्यक्ष महोदय : जब उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी तो आपको कुछ नहीं कहना चाहिये था ।

श्री हनुमन्तय्या : मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की । सभा यह चाहती है कि (**व्यवधान**) । जब कोई सदस्य संकल्प वापिस लेने की अनुमति मांगता है तो उसी प्रस्ताव पर मतदान होना चाहिये । यही हमारा अनुरोध है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे मेरे साथ सहयोग करें । उपाध्यक्ष महोदय ने संकल्प को पढ़ भी दिया है । सभा के समक्ष संकल्प को वापिस लेने की अनुमति का प्रश्न रखा गया था । उपाध्यक्ष ने मतदान भी करवाया । परन्तु क्योंकि इस पर आपत्ति की गई, इसलिये वह दोबारा मतदान करवाने के लिये सहमत हो गये ।

Shri Madhu Limaye : Leave to withdraw is also a motion.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि दलाई लामा को तिब्बत की प्रवासी सरकार के प्रमुख के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए और तिब्बत को साम्यवादी चीन के उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार को उन्हें सभी सुविधायें और सहायता देनी चाहिए ।" जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में है वे 'हाँ' कहें (**व्यवधान**) ।

श्री बलराज मधोक : माननीय सदश्य ने प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति मांगी है ।

श्री श्रीचन्द्र गोयल (चण्डीगढ़) **:** मैंने पहले ही यह अनुरोध किया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर मतदान होगा । नियम 339 में लिखा है कि···"किन्तु यदि कोई विमत ध्वनि सुनाई दे या कोई सदस्य वाद-विवाद जारी रखने के लिये उठे, तो अध्यक्ष तुरन्त प्रस्ताव रखेगा ।"

श्री मधु लिमये : कौनसा प्रस्ताव ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे समझने का प्रयत्न कर रहा हूं । नियम 339 में लिखा है ।

"अध्यक्ष पूछेगा 'क्या यह आपकी इच्छा है कि प्रस्ताव वापिस लिया जाये ?' यदि कोई विमत में न हो तो अध्यक्ष कहेगा 'प्रस्ताव अनुमति से वापिस लिया गया" । किन्तु यदि कोई विमत ध्वनि सुनाई दे या कोई सदस्य वाद-विवाद जारी रखने के लिये उठे तो अध्यक्ष तुरन्त प्रस्ताव रखेगा ।"

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव कौनसा है । मैं उसे समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ ।

संकल्प को वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति मांगना कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रस्ताव वह है जो नियमानुसार हो । उस प्रस्ताव पर मतदान हो चुका है (**व्यवधान**) । संकल्प को

वापिस लेने की अनुमति को कुछ सदस्यों ने अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने इसका विरोध किया है (**व्यवधान**)। मैं इस बात से सहमत नहीं कि कोई गलती हुई है। प्रश्न यह है कि जिस प्रस्ताव पर मतदान हुआ है, वह स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत हुआ है ?

श्री खाडिलकर : जब किसी ने चुनौती नहीं दी थी तो मैंने कहा कि 'न' कहने वाले जीत गये। फिर कुछ सदस्यों ने दोबारा मतदान के लिये कहा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अगले विषय पर विचार आरम्भ कर देते तो बात समाप्त हो जाती। अब जिस प्रस्ताव या संकल्प पर मतदान हुआ था, उसको चुनौती दी गई है। इसलिये अब मैं उसे सभा के मतदान के लिये दोबारा रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

"इस सभा की राय है कि दलाई लामा को तिब्बत की प्रवासी सरकार के प्रमुख के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिये और तिब्बत के साम्यवादी चीन के उपनिवेशी शासन से मुक्त कराने के लिये भारत सरकार को उन्हें सभी सुविधायें और सहायता देनी चाहिये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

श्री नाथ पाई : श्री हनुमन्तय्या ने जानबूझ कर मतदान में भाग नहीं लिया। इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है यह एक महत्वपूर्ण मत था।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : उन्होंने बटन नहीं दबाया, इसलिये ऐसा हुआ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : So far the convention has been that doors of lobby are closed at the time of division but this convention has been violated in this case. The doors remained open at the time of division.

अध्यक्ष महोदय : यह गलत बात हुई है। हम उसे ठीक कर रहे हैं। जहां तक श्री हनुमन्तय्या द्वारा बटन दबाये जाने का सम्बन्ध यदि वे चाहते तो ऐसा कर सकते थे। परन्तु यदि वह बाहर जाना चाहे तो उन्हें कोई विवश नहीं कर सकता।

मत विभाजन में 'न' वाले जीत गये हैं।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उड़ीसा की गेहूँ सम्बन्धी आवश्यकता के बारे में**

RE : SUPPLY OF WHEAT TO ORISSA.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : 30 मई, 1967 के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि उड़ीसा सरकार ने 15,000 टन गेहूं प्रति मास मांगा है, परन्तु उस राज्य को मार्च में 6,800 टन और अप्रैल में 4,800 टन गेहूं उपलब्ध हो सका है। मई और जून के लिये क्रमशः 10,400 और 10,800 टन गेहूँ नियत किया गया है। परन्तु प्रश्न यह है कि वास्तव में मई और जून में उड़ीसा को कितना गेहूं दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जनवरी से जून तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को 63000 टन गेहूँ भेजा जाना था। परन्तु जनवरी से अप्रैल तक राज्य सरकार को केवल 8000 टन गेहूं प्राप्त हुआ है। मई और जून में 20,000 टन ओर गेहूं दिया गया जिसे मिल कर कुल 63000 टन की बजाय 28,000 टन गेहूँ दिया गया।

इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य को गेहूं पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया है। चाहे जो भी कठिनाइयां हो परन्तु राज्य के लिये गेहूँ की जितनी मात्रा नियत की गई थी, वह उसे नहीं भेजी गई। यह स्थिति राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार है।

जहां तक उड़ीसा से अन्य राज्यों को चावल भेजने का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने 30 मई को सभा में बताया था कि उड़ीसा ने पश्चिम बंगाल को 71,739 टन चावल दिये थे और राज्य सरकार ने 1,81,400 टन चावल वसूल किये थे। राज्य सरकार की सूचना के अनुसार उड़ीसा ने केन्द्र सरकार को 7 जून, 1967 तक 78,000 टन चावल दिये थे और सीधे पश्चिम बंगाल को 5,500 टन चावल भेजे थे और बिहार को धान के बीज के रूप में 6,700 टन धान के बीज भेजे थे।

सरकार को और मंत्री महोदय को यह तो मालूम ही है कि उड़ीसा में 1965–66 और 1966–67 में लगातार सूखा पड़ा था। 1965–66 का सूखा तो उड़ीसा में गत सौ वर्षों में सबसे खराब सूखा था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस मामले को उठाने का आपने मुझे अवसर दिया है। 1965–66 में अनुमानतः 61.50 करोड़ रुपये की धान की फसल को नुकसान हुआ था और 1966–67 में 55 करोड़ रुपये का। इस समय 1,81,000 टन की वसूली की जाती है जिसमें से पहले ही 85,000 टन का पश्चिम बंगाल को निर्यात किया जा चुका है तथा आगामी तीन महीनों में बहुत कठिनाई होने वाली है। अगले चार महीनों में उड़ीसा को अपने लिये एक लाख टन चावल की आवश्यकता होगी परन्तु उसके पास इस समय केवल 95,000 टन का स्टॉक है।

**आधे घंटे की चर्चा।

Half-an-hour Discussion.

माननीय मंत्री, श्री सत्यनारायण सिन्हा हाल में उड़ीसा गये थे और उन्होंने वहां के मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत भी की थी। हमें मालूम नहीं है कि वास्तव में क्या बातचीत हुई है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह राज्य सरकार को आगामी तीन महीनों में 45,000 टन चावल भेजने के लिये सहमत कर लिया है। मैं खाद्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में जानकारी देवें।

इस समय उड़ीसा में खाद्य स्थिति बहुत गम्भीर है। वहां के कई भागों से भूखे मरने के समाचार मिल रहे हैं। इसलिये मैं माननीय खाद्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह उड़ीसा को अधिक गेहूं भेजें ताकि वहां के लोग इस कठिन स्थिति का मुकाबला कर सकें।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार लगातार दो वर्ष सूखा पड़ने के बावजूद भी देश के कमी वाले क्षेत्रों में चावल भेजती रही है। 8 अप्रैल को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह निश्चय किया गया था कि केन्द्रीय भण्डार में 75,000 टन चावल दिया जायेगा। उड़ीसा सरकार ने समझौते के अनुसार दिये जाने वाले चावल के अलावा भी लगभग 15,000 20,000 टन चावल दिया है। दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार समझौते के अनुसार अपने वचन को पूरा करने में असफल रही है। उसने जो 15,000 टन गेहूं भेजने का वचन दिया था उसे पूरा नहीं किया है। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्र तथा अन्य स्थानों से तार आ रहे हैं कि वहां पर गेहूं बिल्कुल नहीं है। इसलिये जब तक इस सम्बन्ध में मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया जायेगा यह समस्या हल नहीं हो सकेगी : अतः मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार उड़ीसा के लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बना सकती। उसने 15,000 टन गेहूं भेजने का वचन दिया था।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए। / Mr. Deputy Speaker *in the Chair.* }

उड़ीसा के लोगों ने अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह से निभाया है। इसलिये जब तक केन्द्रीय सरकार उड़ीसा को पर्याप्त मात्रा में गेहूँ नहीं भेजेगी तब तक वहां से फालतू चावल कहीं भी नहीं भेजा जायेगा।

श्री श्रद्धाकर सुपकार (सम्बलपुर) : मैं माननीय मंत्री से दो तीन बातें पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि क्या वह यह समझते हैं कि उड़ीसा सरकार केन्द्रीय सरकार को बेवकूफ बना सकती है। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार समझौते के अनुसार चावल निर्यात कर रही है। अधिक मात्रा में चावल निर्यात किये जाने से वहां हाल ही में चावल का मूल्य बढ़ गया है। चूंकि उड़ीसा एक गरीब राज्य है इसलिये वहां की जनता के कष्टों को कम करने के लिये वहां चावल अथवा गेहूं भेजा जाना चाहिये।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : प्रश्न यह है कि जबकि देश के कुछ भागों मे काफी गेहूं है वह उड़ीसा को नहीं दिया जा रहा है हालांकि हम उसकी निरन्तर मांग करते आ रहे हैं। जब बिना विभाग के मंत्री वहां गये थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि उड़ीसा को तुरन्त गेहूं भेजा जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस आश्वासन के बाद कितना गेहूं वहां भेजा गया है। उस राज्य के साथ राजनैतिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। जब हम अन्य राज्यों को अधिक चावल देने के लिये तैयार हैं, और वास्तव में हम दे भी रहे हैं, तो उसी अनुपात से हमें गेहूँ दिया जाना चाहिये। खाद्य मंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया था कि नियमित रूप से गेहूँ भेजा जायेगा लेकिन वास्तव में भेजा नहीं जा रहा है।

आगामी कुछ महीनों में बड़ी कठिनाई होने वाली प्रतीत होती है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि एक ऐसा निकाय बनाया जाना चाहिये जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा सरकारों के प्रतिनिधि हो। उस निकाय का काम गेहूँ की सप्लाई को नियमित करना होना चाहिये। उस क्षेत्र की गेहूं की सम्पूर्ण सप्लाई का काम उस निकाय पर छोड़ दिया जाना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, my question is regarding procurement. I would like to know from the hon. Minister whether the quota for procurement is being realised or not. I would also like to know whether wheat is being supplied to Orissa according to fixed target. Secondly I would like to know whether the wheat which is being supplied is distributed fairly specially to the poor sections of the society ?

Shri Rabi Ray (Puri) : Before I ask my question I would like to make it clear that the purchasing capacity of the people of Orissa is very low. At the same time it is wrong to say that the people of Orissa take rice and not wheat. I would like to know why the commitments of supplying 15,000 tonnes of wheat to Orissa every month has not been fulfilled. Why less wheat has been supplied to that State. I would like the Minister to give this assurance to the House that in future the state will be supplied full quota as has been committed by the Centre ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार और भारत सरकार के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। बिना किसी कारण आक्षेप लगाया गया है। मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि उड़ीसा को पूरा-पूरा सहयोग दिया जायेगा।

गेहूँ की सप्लाई के बारे में भी कुछ गलतफहमी है। मैं यह नहीं कहता कि गेहूं कम भेजा गया है। मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में कम गेहूँ भेजा गया था। सप्लाई के लिहाज से मई का महीना सबसे खराब महीना था। उस महीने में हमे बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों को वहां की जनता पर आयी विपत्ति को टालने के लिये गेहूँ सप्लाई करने में प्राथमिकता देनी पड़ी थी। मई के बाद अर्थात् जून में तो स्थिति सुधर गई थी। उस महीने हमने 10,800 टन की बजाय 12,400 टन गेहूँ भेजा था। हमारा ऐसा विचार है कि जुलाई मैं तो उतना ही गेहूँ भेजा जायेगा जितना नियत किया गया है।

मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि भविष्य में उड़ीसा सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच जो भी समझौता होगा हम उसके अनुसार उड़ीसा को सप्लाई भेजने का प्रयत्न करेंगे और जितनी अतिरिक्त सप्लाई उड़ीसा ने पश्चिम बंगाल को करने का वचन दिया हैं हम उतने ही गेहूं उड़ीसा को भेजेंगे । अब कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये ।

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, 15 जुलाई, 1967/24 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Saturday, the 15th July, 1967/Asadha 24, 1889 (Saka).